खण्ड-289, अंक-7
मंगलवार, 29 आषाढ़, शक संवत् 1893
(20 जुलाई, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७५१–७५५
प्रश्नोत्तर	७५५–७८३
विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	७८३–७८६
श्रम-आयुक्त द्वारा सदन के बाहर सरकारी नीति सम्बन्धी घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	७८६–७८७
रुद्रपुर नगरपालिका के अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी पर गुन्डों द्वारा आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य	७८७–७९०
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्रसंघ) विधेयक, १९७० (विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव–जारी) ..	७९०
१९७१–७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	७९०–८४०
विविधविषयों के सम्बन्ध में जानकारी	८४०
राजस्व विभाग के चपरासियों तथा चकबन्दी कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	८४०–८४१
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	८४२–८४५
सत्थियां	८४६–८४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक २० जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्षता श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८२

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, (श्री उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रतापनरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, वैद्य श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैथाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री

बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल , श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलूसिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजविहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)

रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपालसिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथसिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर(उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर

श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीउल्ला, श्रीमती
हरनरायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--श्री बलदेव सिंह आर्य, सामुदायिक विकास मंत्री तथा श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, राज्य सूचना मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २० जुलाई, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय के प्रमोशन के पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का कोटा

**१--श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय में जो पद प्रमोशन द्वारा भरे जाते हैं उन पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो जो पद प्रमोशन द्वारा भरे जाते हैं उनमें अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने के लिये सरकार ने क्या नीति या नियम बनाये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

शासन की अभी तक कोई ऐसी नीति नहीं है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिये पद आरक्षित किये जायं। अतएव सचिवालय में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा होने का कोई प्रश्न सामान्यतया नहीं उठता।

काशी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नेता श्री सन्तोष कुमार कपूरिया का गुण्डों द्वारा मारा जाना

**२—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद), श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) तथा श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत ७ मई, १९७१ को काशी विश्वविद्यालय के अन्दर सन्तोष कुमार कपूरिया को जो कि छात्र संघ के नेता थे, कुछ गुण्डों ने जान से मार दिया ? यदि हां, तो सरकार ने हत्यारों को पकड़ने और दण्ड देने के लिये क्यापग उठा रही है ? इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार कौन से पग उठा रही है ?

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री सन्तोष कुमार कपूरिया, अध्यक्ष, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऊपर दिनांक ७-८ मई, १९७१ की रात्रि में विश्वविद्यालय के अन्दर दो व्यक्तियों ने हमला किया और उन्हें छुरे से घायल किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हमला करने वाले एक व्यक्ति को घटनास्थल पर पकड़ लिया गया तथा दूसरे ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। यह दोनों विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं। उक्त हत्या की जांच केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो द्वारा की जा रही है। विश्वविद्यालय के अन्दर अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।

श्री रामगोपाल सन्ड—

इन दोनों हमलावर व्यक्तियों के नाम क्या हैं ? और क्या हमला करने वालों ने कोई कारण भी बताये हैं हमला करने के ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

एक है मसीउद्दीन खां, दूसरा है चतुर्वेदी।

श्री रामगोपाल सन्ड—

इन दोनों ने क्या बयान दिये हैं ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

दोनों के बयानों की सूचना नहीं है, सी० बी० आई० इसकी जांच कर रहा है। इसलिये ज्यादा डिटेल्स में जानकारी नहीं दी जा सकती।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद् से भी संबंधित थे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्रीमन्, वे विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन किसी और संस्था से संबंधित थे या नहीं, यह जानकारी नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सी० बी० आई० हत्या के कितने दिन बाद से जांच कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उसने जांच बहुत जल्दी ही शुरू कर दी। १९ मई से शुरू की क्योंकि उसके लिये सरकार ने भी यह मांग की थी और वाइस चांसलर ने भी इसके लिये मांग की थी।

श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

जिन दोनों आदमियों ने हमला किया, क्या वे किसी राजनैतिक दल से भी संबंधित थे या यह विशुद्ध विद्यार्थी परिषद् के सदस्य थे?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उन लोगों ने कोई दमन सेना नाम की पार्टी गठित की है जिसके वे सदस्य बताये जाते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि संतोष कुमार कपूरिया ने अपनी हत्या के काफी दिन पेश्तर पुलिस के उच्चाधिकारियों को यह सूचना दे दी थी कि उनकी हत्या किये जाने की कोशिश की जा रही है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस प्रकार की कोई सूचना शासन के पास उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने ऐसी कोई बात लिखकर दी हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है ये दोनों व्यक्ति उस समय विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि बाहर के व्यक्ति रात्रि में विश्वविद्यालय के परिसर में न आएं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह बड़ा कठिन काम है क्योंकि यह शिकायत तो कई बार वाइस चांसलर्स ने की है। ऐसे व्यक्ति भी होस्टल्स में जाकर टिक जाते हैं जो विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन इसमें पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि उपकुलपति यह नहीं कहते कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए कार्यवाही की जाय।

श्री रामगोपाल सण्ड—

जैसा कि अभी कहा गया कि खां साहब और चतुर्वेदी जी दमन सेना नामक संस्था के सदस्य थे, तो क्या यह दमन सेना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित हैं?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

नहीं, ऐसा कहा जाता है कि यह सेना उनके विरोध में है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस लड़के ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया, उसने घटना के कितने दिन बाद आत्म-समर्पण किया और यदि इसमें अधिक समय लगा तो क्या इस बीच ८७/८८ की भी कार्यवाही की गई?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उसने २ जून, १९७१ को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया था। ८७/८८ की कार्यवाही की सूचना की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री छांगुर राम (जिल आजमगढ़)—

अभी एक माननीय सदस्य ने पूछा कि जिसने आक्रमण किया क्या वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित था। आप की तरफ से उत्तर आया, नहीं, वह उसके विरोधी पार्टी का था। तो मैं अब मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह आर० एस० एस० का सदस्य था?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इसकी भी अभी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दमन सेना के गठन की सूचना सरकार को कब मिली और क्या कब से इस सेना के कार्यकलापों का अवलोकन सरकार ने किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

'दमन सेना' बनी होगी तो यूनिवर्सिटी में बनी होगी। उसके बाहर कोई दमन सेना नहीं बनी थी। बाद में वाइस चांसलर से मालूम हुआ था कि ऐसी सेना बनी थी। अब सी० बी० आई० की जांच की जा रही है। इसलिए इस पर अब और अधिक बताना उचित नहीं होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उत्तर से यह बात तो स्पष्ट है कि दमन सेना का मार्क्सवादी पार्टी से सम्बन्ध है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं कहा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तो श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात की जांच करा ले अलग से कि इसका संबंध मार्क्सवादी पार्टी से तो नहीं था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सेना तो उसके खिलाफ थी। यह कब गठित हुई और कौन-कौन लोग इस संगठन के पीछे हैं, इन सब बातों के बारे में सी० बी०आई० द्वारा जांच की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सेना का सीधा सम्बन्ध आर० एस० एस० से है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सारी बातें अंडर इंक्वायरी हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मृतक आर० एस० एस० का सदस्य था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। जहां तक इसकी सूचना है वह यह है कि जब यह छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गये उस वक्त उन्होंने एक ऐलान किया था कि मेरा सम्बन्ध किसी पार्टी से नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूं।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, उत्तर में बताया गया कि सरकार की ओर से विश्वविद्यालय के अन्दर इस प्रकार की फिर दुर्घटना न हो इसके लिए उचित व्यवस्था कर दी गयी है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भविष्य में वहां यूनियन का अध्यक्ष न मारा जाय इसकी क्या व्यवस्था की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यूनियन का अध्यक्ष न मारा जाय, इसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए, कोई भी न मारा जाय । रह गया यूनिवर्सिटी में जो व्यवस्था की गयी है, वाइस चांसलर ने जैसा चाहा है, वैसी व्यवस्था कर दी गयी है।

यू० पी० एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के मैनेजिंग डाइरेक्टर की शैक्षिक योग्यता तथा उनके द्वारा हवाई जहाज से यात्रा पर व्यय

**३—श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एच० के० एस० राना की शैक्षिक योग्यता क्या है और इनकी नियुक्ति किस वेतन-क्रम में हुई तथा नियुक्ति के लिये नियमानुसार कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की पूर्व स्वीकृति न प्राप्त करने का क्या कारण है ? क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि उक्त मैनेजिंग डायरेक्टर ने १ अप्रैल, १९७० से ३१ मई, १९७१ तक हवाई जहाज से कितनी यात्रायें कारपोरेशन के खर्च पर कीं ? ऐसी यात्रायें करने का अधिकार उन्हें कब और किसने दिया तथा इन यात्राओं पर कारपोरेशन का कितना धन व्यय हुआ ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के भूतपूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर डा० एच० के० एस० राना की शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है :—

(१) बी०एस०सी० (एग्रीकल्चर),

(२) एम०ए० (इकोनामिक्स),

(३) पी०एच० डी०,

(४) एसोशिएट आई०ए०आर०आई० ।

इनकी नियुक्ति निगम के निदेशक मंडल की पूर्व स्वीकृति से की गई थी। उन्होंने डा० राना को रु० १,८००–२,००० के वेतन-क्रम में प्रारम्भिक वेतन देने का निर्णय किया था।

१ अप्रैल, १९७० से ३१ मई, १९७१ तक डा० राना ने निगम के कार्य से हवाई जहाज द्वारा सोलह बार यात्राएं कीं जिन पर कुल रु० ४,६४७.७७ व्यय हुआ। निगम के अधिकारियों को राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुरूप यात्रा सुविधायें उपलब्ध हैं राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत रु० १,६०० या उससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी वातानुकूलित रेल यात्रा अथवा वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए अधिकृत हैं।

श्री राममूर्ति अंचल—

मान्यवर, पहले मैं यह बता देना चाहूंगा कि उत्तर जो आया है बहुत गोलमोल है। इसकी मुझे कुछ विशेष जानकारी है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिए।

श्री राममूर्ति अंचल---

राणा जी को जिस दिन डाइरेक्टर बनाया है उस दिन वह किस वेतन-क्रम में परमानेंट थे, किस वेतन-क्रम में टेम्पोरेरी थे क्योंकि प्रश्न यह है कि ज्वाइंट डाइरेक्टर ७ सौ से १३ सौ पाते हैं, ऐडीशनल डाइरेक्टर १५ सौ से १७ सौ पाते हैं, और डाइरेक्टर १८ सौ से २ हजार पाते है, राणा जी में क्या विशेषताएं थीं कि ३ सौ से ९ सौ के वेतन-क्रम वाले को बुलाकर डाइरेक्टर बनाया और किस तारीख में बनाया? क्या यह सही है कि १४ अप्रैल, १९७० से बनाया? अगला प्रश्न यह इसके बाद करूंगा जो बड़े महत्व का है।

कृषि मन्त्री (डाक्टर सीताराम)---

अध्यक्ष महोदय, डाक्टर राना के बारे में अभी मन्त्री जी ने पूर्णरूपेण प्रश्नोत्तर में बतलाने का प्रयास किया है। जहां तक पे का प्रश्न है डाक्टर राना ३ सौ से ९ सौ के स्केल में नहीं हैं, न रहे हैं। डाक्टर राना गवर्नमेंट आफ इंडिया में जाने के पहले क्लास वन आफिसर थे, ६ सौ से साढ़े १२ सौ के स्केल में थे। गवर्नमेंट आफ इंडिया में करीब-करीब दो हजार रुपये पे पाते थे। लेकिन वहां से रिवर्ट होने के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट में आये तो ६ सौ से साढ़े १२ सौ स्केल में आये। जब स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के मैनेजिंग डाइरेक्टर के पद पर रखने का प्रश्न आया तो वहां के चेयरमैन ने और बोर्ड ने गवर्नमेंट को लिखा कि इनको १८ सौ से २ हजार पे दे दी जाय। अगर फाइनेंशियल हैन्डबुक को देखें तो अगर कोई आफिसर डेपुटेशन पर जाता है उसको २५ परसेंट ज्यादा पे मिलती है। डाक्टर राना को यू० पी० गवर्नमेंट में साढ़े १२ सौ पे मिल रही थी तो साढ़े १२ सौ प्लस २५ परसेंट देते हैं, तब भी १६ सौ पे डाक्टर राना की वहां फिक्स होनी चाहिए, जो प्रश्न गवर्नमेंट के विचाराधीन है। यह कहना कि वह ३ सौ से ९ सौ के स्केल में यू० पी० एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, यह ठीक नहीं है।

श्री राममूर्ति अंचल---

श्री राना डिस्ट्रिक्ट एग्रोकल्चरल आफिसर थे। ३००-९०० के ग्रेड में परमानेंट थे और ६००-१,२०० के ग्रेड में टेम्पोरेरी थे। वह उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी थे, डेपूटेशन पर भले ही दिल्ली गये हों लेकिन जब रिवर्ट होकर उत्तर प्रदेश में आये तो डायरेक्टर के वेतन से अधिक उनको देने की क्या आवश्यकता पड़ी और उनका जो वेतन-क्रम था क्या वह उनके नियुक्ति-पत्र में शामिल किया गया है जिस दिन उनकी नियुक्ति हुई थी?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने अपनी १७ अप्रैल की बैठक में उनके वेतन-क्रम के सम्बन्ध में निर्णय लिया था।

श्री राममूर्ति अंचल---

उनके वेतन-क्रम के बारे में १२ और १३ अगस्त को निर्णय हुआ है। जो रिपोर्ट माननीय मन्त्री के पास आई है वह गलत है। अप्रैल में १४ तारीख को वह डायरेक्टर बनाये गये थे और ५ महीने के बाद अगस्त १२, १३ को वेतन-क्रम के बारे में निर्णय लिया गया था। तो माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि किस तिथि में उनको मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? दूसरे उनका वेतन-क्रम किस तारीख को कारपोरेशन ने निर्धारित किया है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

इनकी नियुक्ति का आदेश १४ अप्रैल, १९७० को हुआ और १७ अप्रैल को उन्होंने अपना पद संभाला। डाक्टर राना के वेतन-क्रम के मामले में १२, १३ अगस्त की मीटिंग में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने निर्णय लिया कि उनको १,८०० से २,००० का वेतन-क्रम दिया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

जैसा सरकार ने बतलाया कि डाक्टर राना सुयोग्य आफिसर थे और उनकी क्वालिफिकेशन्स से प्रभावित होकर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने निर्णय लिया कि उनको वहां रखा जाय तो फिर इस समय डा० राना का वहां से स्थानान्तरण क्यों किया गया ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

डा० राना की नियुक्ति एक वर्ष के लिये ही हुई थी और उनका वह कार्यकाल समाप्त हो गया है। बोर्ड और एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के चेयरमैन श्री शुक्ला ने यह सिफारिश की थी कि इस पद पर एक सीनियर आई० ए० एस० आफिसर नियुक्त किया जाय। चेयरमैन के प्रस्ताव को देखते हुए और उनके कार्यकाल की समाप्ति को देखते हुए श्री जोशी को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया था।

श्री राममूर्ति अंचल---

मन्त्री जी ने बतलाया कि १४ अप्रैल को उनको डायरेक्टर बनाया गया और १७ अप्रैल को चार्ज लिया और उनका वेतन-क्रम १२, १३ अगस्त, १९७० को निश्चित किया गया तो इस बीच में उन्होंने क्या वेतन लिया ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

इस निर्णय के बाद उन्होंने वेतन लिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

नव-नियुक्त जो इसके चेयरमैन है उन्होंने कहा कि आई० ए० एस० की नियुक्ति की जानी चाहिये तो प्रदेश में बेकारी की स्थिति को देखते हुये किन कारणों से फिर एक रिटायर्ड आई० ए० एस० को नियुक्त किया गया ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मान्यवर, जिनकी नियुक्ति की गई है, मिस्टर जोशी वे रिटायर्ड नहीं हैं।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या यह सही है कि भूतपूर्व एच० के० एस० राना को जो पे स्केल दिया गया था वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग की सब-कमेटी की सिफारिश संख्या ८ के अनुरूप दिया गया था जो कि इस प्रकार है---सैलेरीज आफ परसन्स औकुपाइंग . . .

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि माननीय मन्त्री जी के डिफेन्स में क्या माननीय शिवराज सिंह जी जवाब देना चाहते हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

तो मान्यवर वह सिफारिश इस प्रकार है---

"Salaries of persons occupying top posts in Public Undertakings should be fixed on the basis of the responsibilities attaching to the posts and the needs of the situation and need not necessarily be pegged to the scales obtaining in Government serviced

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मान्यवर, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने यह पे स्केल तय किया है राना साहब के वेतन के बारे में। वह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है . . .

श्री रामकरन सिंह---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, अभी उन्होंने बताया कि उनकी तनख्वाह साढ़े छः सौ से बारह सौ तक थी और जिस व त यह मैनेजिंग डायरेक्टर बनाये गये उस समय आपकी फाइनेंशियल हैन्डबुक के अनुसार उनका वेतनक्रम लगभग १,६०० रु० पर फिक्स होना चाहिए था, उनको १८००-२००० रु० पर नियुक्त किया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने १६०० के बजाय १८०० पर क्यों उन्हें नियुक्त किया ?

श्री श्याम सू त उपाध्याय---

मान्यवर, यही मामला तो सरकार के विचाराधीन है। फाइनेंशियल हैन्डबुक के अनुसार १६०० होना चाहिए था किन्तु माननीय शिवराज सिंह जी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी उसके अनुसार १८०० से २००० होना चाहिए। इस मामले पर अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।

श्री राममूर्ति अंचल---

अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि १,६०० रु० से ऊपर के अधिकारी को हवाई जहाज में यात्रा करने का अधिकार है और उन्होंने यह भी कहा है कि १४ अप्रैल को उन्होंने चार्ज लिया है जब कि वह १२, १३ अगस्त को फिक्स कर दिया गया था। तो जो ये १८ अप्रैल से हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे उस समय उनको यह कह दिया गया था कि हम आपको १,८००-२,००० का पे स्केल देंगे आप हाई जहाज में यात्रा कर लें ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मान्यवर, यह तनख्वाह तो उनको अप्रैल से मिलनी थी यह तय हुआ था...

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, वह जवाब नहीं दे सकते। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है...

श्री राममूर्ति अंचल---

मन्त्री जी ने विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। एक तरफ कहा कि जब तक उनकी पे फिक्स नहीं हुई तब तक उन्होंने तनख्वाह नहीं ली, इधर कहा है कि अप्रैल से पहले १,८०० रुपये तनख्वाह लेते रहे। पे फिक्स करने का ८५ अनुच्छेद जो है इसके अनुसार फिक्स करने का अधिकार राज्यपाल को है लेकिन वह बोर्ड ने फिक्स की और अप्रूव भी राज्यपाल से नहीं हुई होगी फिर भी उनको यह अधिकार मिल गया कि १,८०० तनख्वाह लें। तो इस प्रकार जो अलग-अलग बातें कहीं गयी हैं इसको ठीक कराइये।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मैंने बताया कि इनको जो तनख्वाह मिली वह अप्रैल से मिली और जब फैसला हो गया अगस्त में तो अप्रैल से वह तनख्वाह मिली और १,८०० मिलने लगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इस बात को देखते हुए कि अभी कृषि मन्त्री ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ कर सुनाई गई तो कहा कि इसके अनुरूप पे स्केल निर्धारित कर दिया गया, तो क्या सरकार ने उस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया है जिसके अनुरूप तनख्वाह मिलेगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

यह एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन आटोनामस बाडी है और यह बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का फैसला था कि उनको १,८०० से २,००० वेतन...

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की सारी बातें नहीं स्वीकार की गई हैं। न तो भारत सरकार ने सारी स्वीकार कर ली हैं और जो स्वीकार की गई हैं वह भी धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। यह तो सीधा और साफ प्रश्न है कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन एक आटोनामस बाडी है, स्वतंत्र व्यावसायिक संस्था है, उसका बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बना हुआ है। जो वह तय करता है उसके अनुसार किया जाता है और जो उन्होंने तय किया वह हमने मंजूर किया। अगर कारपोरेशन ने कोई ऐसी बात की है जो नियमों के अनुकूल न हो तो वह देख लेंगे। एक कामर्शियल संस्था में जो पे दी जाती है तो अगर बाहर से आदमी लिये जायं तो उनको अधिक पे दी जायगी, यह बात रिफार्म्स कमीशन ने कही है और एक व्यावसायिक संस्था अगर आवश्यकता समझती है तो तय करती है, साधारणतया उसकी सिफारिश मंजूर की जाती है। इसी हिसाब से है, इसमें अधिक प्रश्न की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

..देश में बिजली की कमी

**४---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय बिजली की कितनी कमी है ? और यह कमी पूरी करने की सरकार के पास क्या योजना है ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

प्रदेश में इस समय लगभग ८०० मिलियन यूनिट (२०० मेगावाट) विद्युत् की कमी है। विद्युत् की कमी को पूरा करने के लिये राज्य विद्युत् परिषद् की विभिन्न जल एवं वाष्प विद्युत् गृहों के निर्माण तथा वतमान विद्युत गृहों की क्षमता बढ़ाई जाने की योजना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ७६० मेगावाट विद्युत् उपत्न करने का कार्य भिन्न-भिन्न योजनाओं में चल रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस समय किस-किस योजना से आपको कितनी-कितनी बिजली मिल रही है ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

रिहन्द पावर हाउस की क्षमता तो ३०० मे० वा० है लेकिन पिछले वर्ष पानी की बहुत कमी हो जाने के कारण हमें बहुत कम बिजली मिल सकी। दूसरे, ओबरा से हमको करीब ६४.२५ मे० वा० बिजली मिलती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस समय कौन-कौन सी स्कीम्स चल रही हैं जो ३१ मार्च, १९७२ तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यमुना योजना दूसरा चरण, जिसकी क्षमता २४० मे० वा० है १९७२–७३ में पूरी हो जायगी, खोदरी स्कीम १२० मे० वा० पंचवर्षीय योजना में पूरा होना है परन्तु उसका एक यूनिट पहले ही चालू हो जायगा। मनेरी भाली योजना को भी पंचवर्षीय प्लान में पूरा होना है, उसका भी एक यूनिट पहले चालू हो जाने की आशा है। रामगंगा योजना १८० मे० वा० क्षमता की है जिसके १९७३ में पूरे होने की आशा है। यमुना चतुर्थ चरण ३० मे वा० की है जिसके १९७३ में पूरा होने की आशा है।

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

जिन किसानों के साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ था लेकिन बिजली की कमी के कारण वह पूरा नहीं कर पाये, तो क्या सरकार उनको जितने समय तक बिजली नहीं मिलती है उसके अनुपात में उनको छूट देने पर विचार कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या उन्होंने जून माह में यह बताया था कि उत्तर प्रदेश में ३०० मे० वा० बिजली की कमी है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस बात को देखते हुए कि इस साल रबी की फसल मारी गई है या सरकार अगली फसल के लिये किसानों के लिये यह सिद्धान्त निश्चित करने जा रही है बजाय केवल रात के हर समय, दिन और रात किसानों को उनके कामों के लिये बिजली उपलब्ध रहेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, सरकार का प्रयास तो यही है लेकिन दैवी आपदायें आ जाती हैं तब मजबूरी हो जाती है। वह न किसानों के अधिकार की बात होती है और न सरकार के अधिकार की।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि देवरिया जिले में विद्युत् की कमी की वजह से इस साल थ्रेशर भी नहीं चल पाये। विद्युत् विभाग से २० प्रतिशत बिजली की कमी की वजह से लाइन ही काट दी थी, जिससे कोई भी थ्रेशर नहीं चल पाया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

विद्युत् लाइनें काटी नहीं गयीं। कुछ रोस्टरिंग कहीं पर आवश्यकतानुसार की गई। परिस्थिति भी ऐसी थी जिस पर किसी का बस नहीं था। रिहन्द का जल स्तर बहुत नीचे गिर गया था। किसी प्रकार बिजली की आवश्यकता पूरी करने का प्रयास किया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी की जानकारी में यह बात है या नहीं कि विद्युत् विभाग के अधिकारियों ने उनको यह सूचना दी है कि जिस हिसाब से उद्योग और कृषि के लिये बिजली

को आवश्यकता निरन्तर बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और १९८० में उत्तर प्रदेश में पूर्णतया ब्लैकआउट हो जायगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ऐसी कोई सूचना किसी भी विभागीय अधिकारी ने नहीं दी है और न ऐसी सम्भावना है। विकासोन्मुख प्रदेश है। पावर की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और उसके लिये प्रयास भी किया जा रहा है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि किसान को प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय सदस्य ने सवाल किया था कि पानी की कमी की वजह से जो आपने २५ प्रतिशत बिजली की कमी की थी वह किसान और औद्योगिक उपभोक्ताओं, दोनों से समान रूप से की थी और जो बारिश में गल्ला सड़ रहा था, तो थ्रेशर के लिये कोई प्राथमिकता नहीं दी थी। तथ्य तो यह है। तो किसान को वरीयता किन-किन क्षेत्रों में देंगे, यह माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

उद्योगों में भी २५ प्रतिशत की कटौती की गई थी। इसके अलावा डोमेस्टिक पावर में भी बाद को कटौती की गई थी। माननीय सदस्य की ऐसी जानकारी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री। प्रश्न संख्या १ और २।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस पर आधे घंटे की बहस दे दें। बिजली हमारे यहां फेल हो रही है। सारा उत्तर प्रदेश डूब जायगा। ये कहते हैं सौ मेगावाट यहां से ले लेंगे, सौ मेगावाट वहां से ले लेंगे। इसलिये आप आधा घंटे बहस के लिये दे दें।

श्री अध्यक्ष---

वह तो आप मांग सकते हैं लेकिन इतने आदमी जब खड़े होते हैं....

(व्यवधान.....शोर)

तारांकित प्रश्न

[दिनांक २० जुलाई, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

भावर क्षेत्र की पेयजल योजनाओं हेतु दी गयी आर्थिक सहायता

*१---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सहारनपुर के भावर क्षेत्र के लिये शासन द्वारा पेयजल योजनाओं को कार्यान्वित करवाने के लिये आर्थिक सहायता किस आधार पर दी गयी है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

इस क्षेत्र की दो योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर आर्थिक सहायता दी गई थी।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसी उनकी विभाग की यह परम्परा है कि वह पेयजल समस्या वाले स्थानों का सर्वेक्षण करते हैं तो सहारनपुर के भावर क्षेत्र की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये विभाग ने कोई अन्य योजना बनाई है?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जिला परिषदों से जहां-जहां के लिये प्रस्ताव आते हैं उनके लिये योजना बनाई जाती है और सहारनपुर में इस प्रकार की अनेक योजनायें चल रही हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस समय वहां पर कितनी योजनायें ऐसी हैं जिन पर कार्य करने के लिये सरकार सोच रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

५७ गांवों में पेयजल का कष्ट है। ११ गांवों में सुविधायें दी जा चुकी हैं और बाकी के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर के अलावा भी पेयजल के लिये योजना बनाई गई है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और पेयजल का किस भांति इन्तजाम किया जा रहा है?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

हमारे इस प्रदेश में ५ स्थानों पर पेयजल का कष्ट है। देहरादून, बिजनौर, सहारनपुर, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। जहां से जैसे-जैसे जिला परिषदों की ओर से प्रस्ताव हमारे पास आये हैं, उन प्रस्तावों के आधार पर सर्वेक्षण किया जाता है और वहां जल कष्ट दूर करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

श्री रामकुमार शास्त्री---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद और मिर्जापुर का पथरीला इलाका भी उसमें शामिल है या नहीं जहां पर बड़ी कठिनाई से पानी पीने को मिलता है?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

उन स्थानों का नाम मैं सुन नहीं पाया।

श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी जिलों में अल्मोड़ा जिला भी शामिल है या नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

अल्मोड़ा के लिये इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि पिछले साल पेय जल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रदेश के अंचलों में जी नलकूप या हैन्ड पम्प लगाये गये लेकिन उन के फालो-अप या रखरखाव की कोई योजना नहीं है और बहुत से उन में से बेकार पड़े हैं। क्या मन्त्री जी कोई ऐसी योजना बनायेंगे कि उन का रख रखाव भी ठीक से किया जाय ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह योजनायें केवल पहाड़ी क्षेत्रों में हैं जो जल श्रोतों से पूरी की जाती हैं लेकिन माननीय सदस्य जिस सम्बन्ध में कह रहे हैं वहां सूखे के सिलसिले में हैंड पम्प लगाये गये थे, इसकी मैं जानकारी करा लूंगा कि कितने हैंडपम्प काम कर रहे हैं और कितने खराब पड़े हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जिले के लिये कोई पेयजल योजना सरकार के विचाराधीन है इस समय जो एक साल से अधिक से पड़ी है और अभी तक वह कार्यान्वित नहीं हुई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

देहरादून से, जिन जिलों से या जिन पहाड़ी क्षेत्र के जिलों से जहां से जिला परिषदों ने इसकी मांग की है वहां पर सर्वे कराने का बराबर प्रयास किया गया है और सर्वे हो रहा है और अगर कहीं से प्रस्ताव ही नहीं हुआ तो उसके लिये शासन क्या कर सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा प्रश्न यह था कि जो योजनायें विचाराधीन पड़ी हैं उनमें से कितनों को सरकार स्वीकृति नहीं दे सकी है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह आंकड़े इस समय प्रस्तुत करना कठिन है कि कितनी योजनायें केवल देहरादून की ऐसी हैं।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत जो राजकीय नलकूपों की व्यवस्था की गई है वे सब बेकार पड़े हैं और वह सब रुपया सरकार का बेकार गया है क्या यह सही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

राजकीय नलकूप तो पेयजल के लिये केवल एक नैनीताल में व्यवस्था थी बाकी कोई इस योजना के अन्तर्गत नहीं बने हैं बाकी कोई नलकूप पेयजल योजना के, अगर कहीं बेकार पड़े हैं तो उनको देखा जायगा।

सहारनपुर तथा गढ़वाल के भावर क्षेत्र में पेयजल की समस्या

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सहारनपुर तथा गढ़वाल के भावर क्षेत्र में पेयजल की समस्या, पहाड़ी क्षेत्रों तथा सूखे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकट है ? यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों को उनकी कठिनाई के अनुपात में आर्थिक सहायता अथवा ऋण दिया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

ऐसी तुलना करना संभव नहीं है ।

यदि संबंधित स्थानीय निकायों से इन क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक सहायता की मांग प्राप्त होती है तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल से उनके पास भावर क्षेत्र में ३ नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव उनके पास आया है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

नलकूप के संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं है, अगर वह बतायेंगे तो कर ली जायेगी ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भावर क्षेत्र के लिए नलकूप लगाने की योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है तो और कौन-सी योजनाएं हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ? और कब तक विचार किया जायेगा जिससे कि पेयजल की समस्या दूर हो ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

सहारनपुर के चार ब्लाकों में पेयजल के लिए व्यवस्था की जा रही है जिसमें ११ गांवों में पूर्ति की जा चुकी है, शेष गांवों में सर्वे किया जा चुका है और उसके लिए धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है और शीघ्र पेय जल की व्यवस्था किए जाने पर विचार किया जायेगा ।

*३---श्री रियासत हुसैन---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*४-५---श्री रामगोपाल सण्ड---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

टिहरी गढ़वाल के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

*६---श्री गोविंद सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में कितने सरकारी अस्पतालों में और कब से कोई डाक्टर या वैद्य नहीं है ? इनमें से कितने अस्पतालों में एम० बी० बी० एस० डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं और उनमें कब से एम० बी०, बी० एस० डाक्टरों की नियुक्तियां नहीं की गयीं ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)---

निम्नलिखित सरकारी चिकित्सालयों में उनके सम्मुख उल्लिखित तिथियों से कोई डाक्टर व वैद्य तनात नहीं ह ।

एलोपैथिक चिकित्सालय

१---गोमतीधार पी०एच०सी०	..	मई, १९६१
२---जौनपुर पी०एच०सी०	..	२१ नवम्बर, १९६२
३---सुमनपुर महिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर	..	१९ मई, १९७० ।

इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय

१—लम्बांच डिस्पेन्सरी .. १ मार्च, १९७०

२—सकलाना डिस्पेन्सरी .. २४ जुलाई, १९६९

३—अंजनीसेन डिस्पेन्सरी .. १२ जुलाई, १९६९।

उपरोक्त सभी एलोपैथिक चिकित्सालयों में एम० बी०, बी० एस० अर्हता प्राप्त डाक्टरों के लिए पद स्वीकृत है। इन चिकित्सालयों के सम्मुख उल्लिखित तिथियों से ही एम० बी०, बी० एस० अर्हता प्राप्त डाक्टर तैनात नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। माननीय मंत्री जी ने कहा कि गोमतीधार में सन् ६१ से डाक्टर नहीं है और जौनपुर में सन् ६२ से डाक्टर नहीं है। तो मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन दस सालों के अन्दर इन स्थानों पर किसी डाक्टर की नियुक्ति की गई? यदि हां, तो कब-कब और वे नियुक्तियां निरस्त क्यों की गई?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

गोमतीधार के संबंध में डाक्टर की तैनाती के आदेश १२ नवम्बर, १९७० को जारी किए गए थे लेकिन उक्त स्थान पर डाक्टर के न जाने के कारण दूसरा आदेश २८ जनवरी, १९७१ को जारी किया गया। इस आदेश के बाद भी डाक्टर के न जाने से डा० एम० एम० शेख के आदेश २१ मई, १९७१ को जारी किए गए।

श्री गोविंद सिंह—

मेरा निवेदन यह है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि १९६१ के बाद १९७० में आदेश जारी किए गए डाक्टर की नियुक्ति के। मैं पूछना चाहता हूं कि इस दस साल के दौरान में क्यों नहीं किसी डाक्टर की नियुक्ति की गई?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कुछ डाक्टरों की कमी थी और पहाड़ों पर यातायात की सुविधा न होने के कारण और वहां कुछ कठिनाइयां होने के कारण डाक्टर लोग वहां पर जाते नहीं थे। इसलिए यह डिस्पेंसरी खाली रही। अब कोई डिस्पेंन्सरी खाली नहीं है जिसमें तैनाती नहीं की गई।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए सन् १९६१ से अभी तक कितनी डिस्पेन्सरीज ऐसी हैं जिनमें डाक्टर नहीं गये हैं और आपने जैसे कहा है कि वहां पर आने-जाने की दिक्कत है तथा और कितनी कठिनाइयां हैं। तो क्या जो पहाड़ पर डाक्टर जाएं उनको अलग से एलाउन्स देने की कृपा करेंगे ताकि डाक्टर वहां पर जा सकें?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

हां, ऐसा प्राविधान किया गया है कि हम उस डाक्टर को सौ रुपये पेमेन्ट देने को तैयार हैं जो वहां जाएं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विभाग की यह नीति रही है कि जो भी नियुक्तियां हों वे डाक्टर कम से कम चार वर्ष पहाड़ों में अवश्य नौकरी करेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

हां, यह सही है कि डाक्टर की एफीशिएन्सी-बार के लिए यह जरूरी है कि वे पहाड़ पर जाएं और इस तरह उनको आदेश भी दिए जाते हैं। लेकिन माननीय सदस्यगण भी इसमें डिफिकल्टी पैदा करते हैं और कोई भी पहाड़ पर जब डाक्टर जाते हैं तो उसकी सिफारिश यहां पहुंच जाती है कि उसको वहां न भेजा जाय। इसलिए पहाड़ पर और ऐसी जगहों पर जहां पर दिक्कतें हैं, डाक्टर नहीं जा पाते हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

अभी बताया गया कि बहुत सी कठिनाइयों के कारण डाक्टर लोग नहीं जाते हैं। तो क्या मंत्री जी इन कठिनाइयों को देखते हुए मेडीकल कालेज में भर्ती के लिए छात्रों पर जो प्रतिबन्ध है और जो कम्पटीशन होता है उसमें पहाड़ी लड़कों को ऐसी सुविधा देने पर विचार करेगी ताकि वह चुनाव में आ जाएं और फिर पढ़न के बाद पहाड़ी क्षेत्र में जाकर कार्य कर सकें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी लड़के भी इसमें आएं यह तो ठीक है, लेकिन अभी तक कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं रखा जाता है।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी कहा कि उनकी नियुक्तियां की जाती हैं और उसके बाद सिफारिश पर उन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया जाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अब इन सब स्थानों पर डाक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है और यदि हां, तो क्या वह यह आश्वासन देने की कृपा करेंगी कि अब किसी की सिफारिश पर उनकी नियुक्तियां निरस्त नहीं की जाएंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने मेरा काम हल्का कर दिया। यह सारे सदन के लिये ही है।

श्री अध्यक्ष—

सदन यह चाहता है कि उनकी सिफारिश पर कैंसिल न किया जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसीलिए मैंने कहा कि माननीय सदस्य ने मेरा काम हल्का कर दिया।

श्री इन्द्रमणि—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जब पर्वतीय जिलों में अधिकतर डाक्टर नहीं जाते हैं तो क्या वहां कोई मेडिकल कालेज की स्थापना पर विचार करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

अब जितने मेडीकल कालेज स्थापित हो गए हैं, मैं समझती हूं कि वर्षों के बाद डाक्टर सरप्लस हो जायेंगे, इसलिये और स्थापित करने की बात नहीं आती है। लेकिन फिर भी अभी शायद देहरादून या नैनीताल में कुछ ऐसी बात चल रही है। हो सकता है कि शासन आगे कुछ ऐसा निर्णय ले।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि पहाड़ पर नियुक्ति जरूर होती है लेकिन माननीय सदस्य सिफारिश करके उसे रुकवा देते हैं, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उन्हीं के दल के लोगों की सिफारिश पर रुकता है या और दलों के लोगों के कहने पर भी ?

श्री अध्यक्ष—

सभी बल के जाते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि देहरादून या नैनीताल में विचार है । वह कृपा कर स्पष्ट रूप से बताएं कि देहरादून में मेडिकल कालेज का विचार है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

जब कोई प्रश्न विचाराधीन है तो स्पष्ट जवाब तो दिया नहीं जा सकता ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी गढ़वाल में कितने ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं और क्या वे खाली जगहों पर नियुक्तियां करने की व्यवस्था करेंगे ? क्या वे यह भी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जो नियुक्तियां सिफारिशों के आधार पर की गई हैं, उन्हें निरस्त किया जायगा ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

टेहरी गढ़वाल जिले में २२ अस्पतालों में से ६ जगहों पर डाक्टर नहीं हैं । इन ६ जगहों को भरने के लिए भी कोशिश की जा रही है । वहां पर शीघ्रातिशीघ्र डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़) —

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि डाक्टरों की नियुक्तियां इसलिए नहीं हुयी हैं क्योंकि डाक्टरों की कमी है । अगर हम एम० बी०, बी० एस० डाक्टरों के नाम माननीय मंत्री जी को दें तो क्या वे उनकी नियुक्तियां करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जहां तक पुरुष डाक्टरों का प्रश्न है उनकी पूर्ति तो हो गयी है और अब उनकी कमी नहीं है । महिला डाक्टरों की अवश्य कमी है । अगर आप महिला डाक्टरों के नाम का सुझाव देंगे तो उस पर हम विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त ।

सीड स्टोर बभनान, जिला गोंडा में गबन

*७—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि सीड स्टोर इंचार्ज बभनान, जिला गोंडा के विरुद्ध क्षेत्रीय विकास अधिकारी, श्री स्वामी नारायन छपिया, जिला गोंडा ने कोई रिपोर्ट गबन के संबंध में मई, जून, सन् १९७० में कृषि विभाग, जिला गोंडा के अधिकारियों के यहां की है ? यदि हां, तो उसके (सीड स्टोर इंचार्ज के) विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की जा रही है और उक्त सीड स्टोर में कितने रुपये का गबन ३१ मार्च, सन् १९७१ तक सिद्ध हो चुका है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

खण्ड विकास अधिकारी, छपिया, जिला गोंडा से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा एक पत्र २७ अप्रैल, १९७० को जिला कृषि अधिकारी, गोंडा को भेजा गया था जिसमें उन्होंने बभनान सीड स्टोर के इंचार्ज के विरुद्ध यह लिखा था कि उक्त गोदाम के हिसाब में तथा स्टाक में गोलमाल की संभावना है। परन्तु उक्त पत्र जिला कृषि अधिकारी, गोंडा को प्राप्त न होने के कारण उक्त सीड स्टोर के इंचार्ज के विरुद्ध कोई कायवाही नहीं की जा सकी। उक्त बीज भण्डार पर दिनांक ५ व ६ सितम्बर, १९७० की रात्रि में आग लग गई थी जिसके पश्चात् जांच होने पर कुल रु० २,०३,३६२.१९ पसे की सरकारी हानि पाई गई है। सीड स्टोर इंचार्ज को निलम्बित कर दिया गया है और मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई है।

प्रदेश में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

*८—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने-कितने प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं और किस-किस जिले में कितने खोलने बाकी है? जहां प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं क्या उनके पिछड़े होने तथा यातायात, भवन की सुविधा न होने के कारण नहीं खोले गये ह? यदि हां, तो उस पिछड़े क्षेत्र के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रदेश में स्वीकृत ८७५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलेवार सूचना का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है जिसकी एक प्रति माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गई है। ६२ केन्द्रों के अस्पतालों द्वारा कार्य आरंभ न किए जाने के मुख्य कारण यह हैं कि कुछ स्थानों पर पहले से ही अस्पताल चल रहे हैं, उन्हें किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना है। कुछ स्थानों पर उपयुक्त भवन नहीं मिल पा रहे हैं तथा प्रशिक्षित फारमेसिस्टों का भी अभाव है। प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि शेष ६२ केन्द्र भी शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८४६-८४७ पर)

*९—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये गये परन्तु वहां पर भवन आदि की व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार जहां प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन नहीं है, भवन बनवाने के लिये सोच रही है? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया जिले के पशु चिकित्सालय एवं पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

*१०—श्री शंभूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला में पशु-चिकित्सालयों और पशु-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर वित्तीय वर्ष १९६८-६९, १९६९-७० और १९७०-७१ में भूसा, दाना और देशी दवाओं की पूर्ति हेतु टेन्डर आमंत्रित किए गए थे? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने टेंडर भेजे और किसका-किसका किस दर से टेन्डर स्वीकृत हुआ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*११—श्री शंभूनाथ चौधरी—

क्या कृषि मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त अवधि में किन-किन पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम-गर्भाधान केन्द्रों पर उक्त वस्तुओं की पूर्ति कितनी-कितनी धनराशि में की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामों की पेय जल योजनायें

*१२—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक ३० मार्च, १९७१ ई० को नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या ५ व ६ के उत्तर के क्रम पर क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतावेंगे कि अधिशासी अभियन्ता तृतीय सर्वेक्षण अभियंत्रण विभाग, ननीताल ने जिन स्प्रिग अथवा गधेरों द्वारा जो दो योजनायें ३८ गांवों के लिए बनायी हैं इन स्प्रिग अथवा गधेरों के नाम क्या-क्या हैं और प्रत्येक स्प्रिग का डिसचार्ज कितना-कितना है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

तृतीय सर्वेक्षण एवं अनुसंधान शाखा, नैनीताल द्वारा ३८ ग्रामों की जो दो पेयजल योजनाएं तयार की गई हैं, उनके अन्तर्गत आने वाले स्प्रिग के नाम तथा उनका डिस्चार्ज इस प्रकार है—

स्प्रिग का नाम		डिस्चार्ज
(क) भगूली	..	अक्तूबर, १९६९ में १८० लीटर प्रति मिनट ।
(ख) काचर	..	नवम्बर, १९६९ में १३५ लीटर प्रति मिनट ।
(ग) तलिया	..	जून, १९६८ में २७० लीटर प्रति मिनट ।
(घ) फलना	..	जून, १९६८ में ३४ लीटर प्रति मिनट ।

*१३—श्री इन्द्रलाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतावेंगे कि जब उल्लिखित योजना के संबंध में अधिशासी अभियन्ता तृतीय सर्वेक्षण अभियंत्रण विभाग, नैनीताल ने प्रश्नकर्त्ता को अपने पत्र संख्या १७६२, दिनांक १० जुलाई, १९७० द्वारा जिन ५० ग्रामों को सम्मिलित करने की सूचना दी थी तो अब इन ५० ग्रामों में से वह कौन-कौन से १२ ग्राम पृथक किए गए हैं और उन्हें कहां किस योजना में सम्मिलित किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

संबंधित अधिशासी अभियन्ता ने अपने १० जुलाई, १९७० के पत्र में ५० ग्रामों की दूसरी पेयजल योजना का उल्लेख किया था, वह उन ३८ ग्रामों की पेयजल योजनाओं से भिन्न है जिनका उल्लेख प्रश्न संख्या १२ में किया गया है । अतः किसी ग्राम को पृथक करने या उसको किसी दूसरी योजना में सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[१५ वें गुरुवार के प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

परिवार नियोजन विभाग, सीतापुर के कर्मचारियों को पदमुक्त किया जाना

*१५—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई सन् १९७० ई० से १५ जनवरी, सन् १९७१ के मध्य परिवार नियोजन विभाग, सीतापुर के कुछ कर्मचारियों को पद मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इन्हें किस कारण पद मुक्त किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। पदमुक्त करने के कारण यह थे कि ये लोग कार्य में रुचि नहीं लेते थे, सेवाकाल में निर्धारित मुख्यालय पर नहीं रहते थे, चेतावनियां देने के बावजूद कार्य में प्रगति लाने की ओर ध्यान नहीं दिया तथा बिना अवकाश ही अपने कार्य से अनुपस्थित रहते थे।

*१६—श्री रामलाल राही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन अधिकारी ने किन २ लोगों को निकाला है और उनकी सेवायें कितने समय की ह ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

परिवार नियोजन अधिकारी, सीतापुर ने किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला है। उन्होंने केवल दो स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्ति हेतु जिला अधिकारी से शिफारिश की थी जिनमें से एक की सेवायें लगभग डेढ़ साल की थीं और दूसरे की एक साल की थी।

विकास क्षेत्र, लक्ष्मीपुर और नौतनवां, जिला गोरखपुर के लिये चिकित्सा सम्बन्धी असुविधाएं

*१७—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र, लक्ष्मीपुर और नौतनवां के निवासियों के लिये पचीस तीस मील तक दूरी में चिकित्सा की कोई व्यवस्था आज तक नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो सरकार इस कमी की पूर्ति के लिए क्या विचार कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह सही नहीं है कि विकास क्षेत्र, लक्ष्मीपुर और नौतनवा के निवासियों के लिए पचीस तीस मील की दूरी तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

*१८—श्री रामलगन दुबे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि विकास क्षेत्र, नौतनवां के ग्राम भगवानपुर, परसामलिक, बरगदवा बाजार एवं खोरिया बाजार तथा विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर के ग्राम महु-अवाअड्डा बाजार, नई कोट, कोल्हुई एवं बरगदवा में चिकित्सालयों की स्थापना के संबंध में सरकार के निश्चय क्या हैं तथा व्यवस्था कब तक संभव है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

संबंधित ग्रामों में आयुर्वदिक चिकित्सालय खोलने अथवा न खोलने के औचित्य पर आवश्यक जांच कराई जा रही है।

टिहरी गढ़वाल में पेयजल योजनायें

*१९—श्री गोविन्द सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में पिछले ५ वर्षों में पीने के पानी की कितनी योजनाएं क्षेत्रीय समितियों द्वारा प्रस्तावित की गईं ? उनमें से कितनी योजनाएं संपन्न कर दी गईं और कितनी योजनाओं का अभी तक सर्वेक्षण भी नहीं हो पाया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

क्षेत्र समितियों से ऐसे कोई प्रस्ताव स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में नहीं प्राप्त हुए हैं लेकिन जिला परिषद्, टिहरी गढ़वाल से ५०० गांवों की पेजयल योजनाओं के बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से ३३ गांवों की योजनायें पूर्णतया संपन्न की जा चुकी हैं। २४२ गांवों का सर्वेक्षण अभी नहीं हो पाया है।

दशहरी आम की फसल की क्षति

*२०—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जूलाजी विभाग के डाक्टर एस० एन० प्रसाद ने जनवरी, १९७१ और अप्रैल, १९७१ में लखनऊ में आकर और मलिहाबाद व काकोरी जाकर आम के पेड़ों की जांच करके प्रदेश के कृषि निदेशक को सूचित किया है कि दशहरी आम की फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई क्योंकि उसमें एक कीटाणु जिसका नाम (Eros ...iy grover infeding Bud) लग गया जिससे २ करोड़ रुपया की दशहरी जो लखनऊ व सीतापुर से बाहर विदेशों को जाती थी, न जा पायेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

*२१—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या कृषि मन्त्री को यह भी जानकारी है कि सन् १९७० में भी यही बीमारी लग जाने से लखनऊ, सीतापुर व अन्य कई जिलों की फसल दशहरी आम की पूर्णतया नष्ट हो गई थी और उसकी जांच भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जूलाजी विभाग ने करके अप्रैल, १९७० में उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया था? यदि हां, तो इस वर्ष इस कीटाणु की रोक-थाम के लिये उपाय क्यों नहीं किये गये और इसका उत्तरदायित्व किस पर है?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९७० में आम की फसल को 'इरोसोमिया इन्डिका कीट' द्वारा क्षति पहुंचाने की सूचना डा० प्रसाद से मिली थी। इसकी जांच के लिये कृषि विशेषज्ञों का एक दल गठित किया गया और राज्य के विभिन्न जनपदों में आम की फसल की जांच की गई परन्तु इस दल द्वारा सर्वेक्षण में इस कीट का कोई व्यापक प्रकोप देखने में नहीं आया। आम की फसल में और भी कई प्रकार के कीड़े और रोग लगते हैं जिनसे बचाने के लिये प्रादेशिक कृषि रक्षा सेवा ने सभी सम्भव उपाय किये। जहां तक इस कीटाणु, इरोसोमिया इन्डिका, की रोक थाम का प्रश्न है, इसके लिये शोध कार्य की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक इसके नियंत्रण का कोई प्रभाविक उपचार उपलब्ध नहीं हो सका है यद्यपि इसके लिये उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान में शोध कार्य चल रहा है।

कुरसठ, जिला उन्नाव में सरकारी अस्पताल

*२२—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा कुरसठ, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव में कोई सरकारी अस्पताल व जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की सरकार की कोई योजना है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ग्राम कुरसठ में अस्पताल स्थापित किये जाने की मांग प्राप्त हुई है। इसी तरह की अन्य मांगें प्रदेश की अन्य जगहों से आई हैं। इन सभी पर विचार किया जा रहा है। स्थानों का अंतिम निर्णय होने पर अस्पताल खोलने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा। एक जच्चा-बच्चा केन्द्र ग्राम कुरसठ में कार्य कर रहा है।

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत योजनाएं तथा उन पर व्यय किया जाने वाला धन

*२३—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में क्रैश प्रोग्राम के अधीन कौन-कौन सी योजनायें रक्खी गई हैं और उन पर अलग-अलग कितना-कितना धन व्यय किया जावेगा ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

उन्नाव जिले में क्रैश प्रोग्राम के अधीन ८ सड़कों तथा २६ ड्रेन्स की परियोजनाओं को लेने तथा उन पर क्रमशः ३१,४२,४०० रु० व ६,०७,६०० रु० व्यय करने का प्रस्ताव जिले से प्राप्त हुआ है।

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद द्वारा संचालित राजेपुर अस्पताल के भवन की खराब हालत

*२४—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् फर्रुखाबाद के द्वारा संचालित मेडिकल अस्पताल राजेपुर का भवन काफी खराब हालत में है जिससे पिछले महीनों में मरीजों के ऊपर खपरैल गिरने से काफी चोट भी आई थी ? यदि हां, तो सरकार उक्त भवन को ठीक कराने के लिए तुरन्त संबंधित अधिकरियों को निर्देश जारी करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, राजेपुर मेडिकल अस्पताल खराब हालत में है। उसकी मरम्मत के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। खपरैल गिरने से मरीजों को चोट आने की किसी दुर्घटना की सूचना नहीं है।

पंचायतों के निर्वाचनों का अनिश्चित काल के लिये स्थगन

*२५—श्री महरम सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि पंचायतों के निर्वाचन सन् १९७० में होने के आदेश थे और उस अवसर पर प्रधानों से पूरा चार्ज ले लिया गया था परन्तु पंचायतों के निर्वाचन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो जाने की सरकारी घोषणा के बाद भी फर्रुखाबाद जिले में अनेक प्रधानों को अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। वर्ष १९७० में गांव पंचायतों के सामान्य निर्वाचन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो जाने पर फर्रुखाबाद जिले की समस्त गांव पंचायतों के प्रधानों को चालू अभिलेखों का चार्ज दे दिया गया है।

*२६-२७—श्री नौनिहाल सिंह—

[तीसरे मंगलवार के लिए स्थगित।]

जनपद गोंडा के जच्चा बच्चा केन्द्र

*२८—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में कितने जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं और किन-किन स्थानों पर और सन् १९७१ ई० में कितने नये केन्द्र खोलने जा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोंडा जिले की तरबगंज तहसील में फाइलेरिया तथा फीलपांव की बीमारी

*२९—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में तहसील तरबगंज में फाइलेरिया तथा फीलपांव की बीमारी बड़े जोरों से फैली है ? उसके रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कानपुर जिले के सिठमरा ग्राम में एलोपैथिक सरकारी अस्पताल

*३०—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सिठमरा में एलोपैथिक सरकारी अस्पताल खोले जाने पर विचार चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल कब तक खोल दिया जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सिठमरा में अस्पताल खोलने का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। इस तरह की अन्य मांगें प्रदेश की अन्य जगहों से आयी हैं। इन सभी पर विचार किया जा रहा है। स्थानों का अंतिम निर्णय होने पर अस्पताल का कार्य प्रारंभ कर दिया जायगा।

ग्राम सिठमरा, जिला कानपुर में स्टाकमैन सेण्टर

*३१—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खण्ड डेरापुर, ग्राम सिठमरा में स्टाक मैन सेन्टर खोले जाने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना सोसाइटी, मेरठ में गबन

*३२—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि गन्ना सोसाइटी, मेरठ में लाखों रुपये का गबन है? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर सीताराम—

सरकारी गन्ना विकास समिति लि०, मेरठ में वर्ष १९६८-६९ के गन्ना मूल्य भुगतान में गबन हुआ है जिसकी जांच जारी है। इसके अतिरिक्त समिति के खाद गोदामों में खाद एवं उर्वरक के हिसाब में १,१६,०५३.२३ रु० का अपहरण प्रकाश में आया है। संपरीक्षा दल की संस्तुति पर इन गबन के मामलों में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जा रही है। अब तक की गई जांच के फलस्वरूप दोषी पाए गए कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है और उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही भी की जा रही है तथा उनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट भी की जा चुकी है।

विकास खंड, हाथरस, जिला अलीगढ़ में राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों का ब्लाक में ५ वर्ष से अधिक रहना

*३३—श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के विकास खण्ड, हाथरस में राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों ही श्रेणियों के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो किसी ब्लाक में ५ वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं तथा इतने अधिक दिन से एक ही स्थान पर कायम रहने का क्या कारण हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

राजपत्रित अधिकारी—शून्य।

अराजपत्रित कर्मचारी—१६।

१६ अराजपत्रित कर्मचारियों में से ७ कर्मचारी सामुदायक विकास बजट से वेतन पाते हैं। ४ कर्मचारी (ग्राम सेवक) ऐसे हैं जो कृषि विभाग के बजट हेड से (३१—कृषि) से वेतन पाते हैं परन्तु सामुदायिक विकास विभाग के नियंत्रण में ह।

शेष ५ कर्मचारी कृषि विभाग के बजट पर विकास खण्ड में नियुक्त हैं जिनका वेतन कृषि विभाग के बजट हेड से आहरण होता है और कृषि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

कार्यक्रम के हित में ये कर्मचारी एक ही स्थान पर कायम हैं।

बृजमनगंज में महिला चिकित्सालय

*३४—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बृजमनगंज में महिला चिकित्सालय खोलने के लिये क्षेत्र समिति ने दिनांक ११ जनवरी, १९६८ को प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा था? उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बृजमनगंज में महिला चिकित्सालय खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*३५—श्री रामपति—

[२रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३६—श्री मंजूर अहमद तथा श्री शिवानन्द नौटियाल—

[३रे बुधवार के प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में फसल व पशु बीमा योजना

*३७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर फसल व पशु बीमा योजना से सम्बन्धित कोई योजना तैयार की गई है या नहीं?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

केमिकल फर्टीलाइजर के प्रयोग से उत्पन्न खाद्य पदार्थों से कैंसर की बीमारी

*३८—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मन्त्री को यह ज्ञात है कि केमिकल फर्टीलाइजर्स के प्रयोग से उत्पन्न खाद्य पदार्थों से कैन्सर की बीमारी होने का खतरा रहता है? यदि हां, तो इसके ऊपर मुख्य मन्त्री क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। अभी तक सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

हिन्दुस्तान अल्मुनियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रेनूकूट को श्रमिकों को आवास हेतु अनुदान तथा ऋण

*३९—श्री राम प्यारे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन लिमिटेड, रेनू कूट को अब तक श्रमिकों के आवास हेतु भवन बनाने के लिये अनुदान तथा ऋण क्रमशः कितना दिया गया है और उक्त अनुदान तथा ऋण देने का आधार क्या है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मेसर्स हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन लिमिटेड, रेनूकूट, मिर्जापुर को अब तक १०२४ श्रमिक भवन बनवाने के लिये १४,५०,०५० रु० बतौर ऋण और १२,२३,३१२.५० रु० बतौर अनुदान के दिये गये हैं। यह वित्तीय सहायता मकानों की स्वीकृत लागत का ५० प्रतिशत ऋण व २५ प्रतिशत अनुदान के रूप में, सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत दी गई है।

दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में मास्टर प्लान योजना

*४०—श्री राम प्यारे—

क्या स्वायत शासन मन्त्री को ज्ञात है कि दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगे मास्टर प्लान स्कीम से उक्त क्षेत्र की ग्रामीण जनता को वहां की परिस्थितियों के अनुसार गृह निर्माण करने में कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्लान को जनहित में समाप्त करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

पुनियोजित विकास के लिये विकासोन्मुख क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित क्षेत्र घोषित किया जाता है। बुद्धी से अब इस अधिनियम के प्राविधान हटा लिये गये हैं। बाकी क्षेत्र से इसे हटाना उचित नहीं होगा।

*४१–४२—श्री कल्याण सिंह—

[२रे शुक्रवार के प्रश्न संख्या २९–३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४३—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*४४–४५—श्री राममूर्ति अंचल—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित]

डाकपत्थर नेहरू मार्केट, जिला देहरादून की दूकानों का भू-स्वामित्व

*४६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या पंचायत राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें देहरादून जिला स्थित डाक पत्थर नेहरू मार्केट के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन दिनांक १९–२० नवम्बर, १९७० को मिला जिसमें उन्होंने मार्केट की दुकानों के नीचे की भूमि का स्वामित्व दिलाये जाने की प्रार्थना की है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। उक्त प्रतिवेदन पर जांच करने से ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा किया है। इसके विषय में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

*४७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मुहल्ला बागमुन्नू घसियारी मंडी, लखनऊ में पीने के पानी का संकट

*४८—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें बाग मुन्नू, घसियारी मन्डी सुरक्षा एवं सुधार समिति, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र दिनांक १८ दिसम्बर, १९७० एवं १५ फरवरी, १९७१ उक्त समिति के महामन्त्री, श्री नौशाद अली के हस्ताक्षर युक्त प्राप्त हुआ है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि मुहल्ला बाग मुन्नू, घसियारी मन्डी, लखनऊ में पीने के पानी का संकट दूर करने लिये मेन पाइप लाइन डलवा दी जाय? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्री नौशाद अली का १५ फरवरी, १९७१ का कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता किन्तु १८ दिसम्बर, १९७०, जनवरी १९७१ तथा १६ मई, १९७१ के तीन प्रार्थना-पत्र अवश्य प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों के संबंध में मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ से रिपोर्ट मांगी गई थी। मुख्य नगर अधिकारी ने शासन को सूचित किया है कि बाग मुन्नू, घसियारी मन्डी में नई जल वितरण नालिका डालने का प्रस्ताव महापालिका के समक्ष रक्खा गया था परन्तु अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं दी गयी है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि इस वर्ष नगर के अन्य क्षेत्रों में जल वितरण नालिकायें बिछाने के प्रस्तावों के साथ महापालिका प्रश्नगत नालिका बिछाने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी।

*४६—श्री उपेन्द्र नाथ—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि उक्त समिति मुहल्ला निवासियों की ओर से १९६० से बराबर इस विषय की प्रार्थना स्थानीय महापालिका तथा सरकार से करती आ रही है ? इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सरकार की जानकारी में नहीं है।

*५०—श्री नेतराम सिंह—

[३रे बुधवार के प्रश्न सं० ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य पदार्थों का निरीक्षण

*५१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया यह बताने का कष्ट करेगी कि बस्ती जिले में वित्तीय वर्ष १९६९–७० के दौरान स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य पदार्थों के कितने निरीक्षण जिला स्वास्थय अधिकारी की उपस्थिति में किये गये ? फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों का चालान हुआ और कितनों को सजायें हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वित्तीय वर्ष १९६९–७० में बस्ती जिले में जिला स्वास्थय अधिकारी की उपस्थिति में स्वास्थय एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा खाद्य पदार्थों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत जिले में १९४ मुकदमें चलाये गये जिनमें से फैसले हुये ६४ मुकदमों में जुर्माने की सजा हुई।

दून चिकित्सालय तथा महिला चिकित्सालय, देहरादून का विस्तार

*५२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून स्थित दून चिकित्सालय तथा महिला चिकित्सालय के विस्तार हेतु देहरादून की पुरानी पुलिस लाइन तथा संलग्न लाइन इन्सपेक्टर के बंगले तथा पुलिस अस्पताल आदि को अस्पताल के वार्डों के विस्तार, डाक्टरों के मकानों के निर्माण आदि सम्बन्धी विषय विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। इस सम्बन्ध में गृह विभाग से विचार विमर्श किया जा रहा है।

आर० एम० पी० स्कीम में ब्लाक धानी एवं फरेंदा की सड़कें

*५३—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के धानी व फरेंदा ब्लाक १९७०–७१ में आर० एम० पी० द्वारा जिला अधिकारी गोरखपुर ने किन-किन सड़कों को प्राथमिकता के अनुसार बनाने के लिये सिफारिश की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अपेक्षित सूचना परिशिष्ट में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८४८ पर)

*५४—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार आर० एम० पी० स्कीम में नई सड़कों को उपरोक्त ब्लाक में पक्की सड़क बनाने के लिये आदेश देने की कृपा करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार आर० एम० पी० स्कीम में कोई नये कार्य लिये जाने की व्यवस्था नहीं है । अतः धानी या फरेन्दा ब्लाक में नई सड़कों को उक्त स्कीम में लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहराइच जिले की इकौना से विशेसरगंज तक की सड़क का निर्माण

*५५—श्री भगौती प्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र, इकौना से भिन्गा तथा इकौना से विशेसरगंज की कच्ची सड़क कितनी लम्बी है और इकौना से विशेसरगंज के बीच की कच्ची सड़क जो निर्माण विगत वर्षों में किया जा रहा था वह किस विभाग द्वारा किया जा रहा था ? क्या निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इकौना भिंगा कच्ची सड़क १९.२ किलोमीटर लम्बी है । इकौना विशेसरगंज कच्ची सड़क २८.८ किलोमीटर लम्बी है । तीन वर्ष पूर्व जिला परिषद् ने इस सड़क पर दो पुलियों का निर्माण किया था ? इस सड़क की साधारण मरम्मत जिला परिषद् ने लोक सभा निर्वाचन के समय कराई थी जो उसी समय पूरी हो गई ।

ऋैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद, प्रतापगढ़ की सड़कें

*५६—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित ऋैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद, प्रतापगढ़ में किन सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री बल देव सिंह आर्य—

ऋैश प्रोग्राम में जिला प्रतापगढ़ में निम्नांकित सड़कों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव है :—

१—प्रतापगढ़ से गडवारा
२—प्रतापगढ़ से जिरियामऊ
३—रानीगंज कैथाला से सांगीपुर
४—मलाका रजागपुर से रहवाई
५—हिशामपुर से कोटामबानीगंज
६—मिटारा से जैसोंवा
७—पट्टी से कीहडोर
८—रामगंज से सैफाबाद
९—रानीगंज से कपुर ।लू

जिला प्रतापगढ़ को बिहार-दहियावां सड़क को क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत लिया जाना

*५७—श्री जयराम यादव—

क्या यह सही है कि विकास खण्ड बिहार, जिला प्रतापगढ़ की बिहार–दहियावां रोड इस ब्लाक के पूर्वी ग्रामीण अंचलों को लालगोपालगंज जेठकरा रोड से जोड़ती है ? यदि हां, तो इस रोड को क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, जिन सड़कों को जनप्रतिनिधियों एवं जनसेवियों ने चुना है, उन्हें ही इस प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री इन्द्रलाल—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित]

२—श्री राम अवध—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित]

विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

कल हमें एक सूचना मिली है कि ६ अगस्त, १९७१ को रक्षा बन्धन होने के कारण विधान सभा की बैठक नहीं होगी। मैं मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे रक्षा बन्धन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दें। यह त्योहार प्रदेश के कोने-कोने में मनाया जाता है। प्रदेश में जितने भी कर्मचारी हैं, आप उनकी रक्षा बन्धन के दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

रक्षा बन्धन की पूरी छुट्टी होनी चाहिए, सदन भी बन्द रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप को मेरे आफिस में आकर कहना चाहिये था—यहां पर नहीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आपने नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रश्न स्वीकार किया है और वह सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से संबंधित है। इसके लिये आपने २२ तारीख निश्चित की है। इससे पहले कि उस विषय पर विचार होता, कल रात उनके खेमे को उखाड़ कर उनको बन्द कर दिया गया है। आज सवेरे भी एक व्यक्ति को बन्द किया गया है। विधान सभा के सामने लोग आ करके प्रदर्शन करते हैं और अपनी मांगें रखते हैं, यह एक प्रजातांत्रिक ढंग है। प्रजातांत्रिक ढंग से वे मुख्य मन्त्री जी का, सदन का और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अभी २२ तारीख आ भी नहीं पायी थी कि उनके तम्बू उखाड़ दिए गए और उनको बन्द कर दिया गया। इसका कागनिजेन्स लिया जाना चाहिए। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। जब उनका कोई अपराध न हो तब फिर ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। बातचीत करके इस मसले को निपटाते।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न मुख्य मन्त्री जी से....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह प्रश्न मैं मुख्य मन्त्री जी से, आपके माध्यम से, कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

यहां कहने की क्या जरूरत है, आप मेरे कमरे में कहते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप मिलते नहीं हैं, आप तो बड़ी देर में आते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे रोज मिलते हैं। ऐसा कोई रोज नहीं है जब आप मुझे न मिलते हों।

मुख्य मन्त्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)—

नित्यानन्द जी ने सदन में अपना बयान दिया कि आप मिलते ही नहीं हैं और आप ने कहा कि आप रोज मिलते हैं, तो क्या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा निवेदन है कि इन बातों के लिए आप नहीं मिल पाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह आकर रोज मुझसे बात करते हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि.....

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

आप घोर पक्षपात करते हैं। आप सवालों पर अनुमति नहीं देते हैं। २,०३,३६९ रु० का गबन है और साफ-साफ प्रश्न के उत्तर में आया था कि अधिकारियों ने छिपाया है। महत्वपूर्ण प्रश्न को लें और देखें।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये आप लिखकर भेजें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

आप चर्चा करने दें, एक-एक सीड स्टोर पर दो-दो, ढाई-ढाई लाख रुपये का गबन है तो यह सब कैसे चलेगा। कृषि विभाग में ६०, ७० करोड़ रुपये का गबन है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मैं कई रोज से प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने १४ तारीख को लिखित रूप से भी प्रार्थना की थी।

(व्यवधान)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन में मेरे सवाल का जवाब मिलेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

वीरेन्द्र वर्मा जी को मैंने बतला दिया था। आपने कहा था तो मैंने उसको मंगाया था और कल दूसरे सज्जन ने दिया तो मैंने कहा कि इसको उसमें शामिल कर लिया जाय।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

दफा ५२ में मैंने यह प्रश्न दिया और रोजाना पूछता रहा। कल जो प्रश्न आये उनमें मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया। मैं १४ तारीख से इसको दे रहा हूं लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

जब अधिक लोगों के वही प्रश्न आते हैं तो उनको एक साथ कर देते हैं।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

यहां ऐलान गलत हो गया था ।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, जो आर्डर था वह पढ़ा नहीं गया। जो स्वीकृत हुआ उस चीज को रख दिया गया।

श्री गंगा प्रसाद—

मेरे प्रश्न का उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि जब मन्त्रियों के पास सूचना न आई हो, तो वह कह सकते हैं कि सूचना एकत्र हो रही है । इस तरह का उत्तर दे सकते हैं। जब सूचना आयेगी तो यह पेश हो जावेगी ।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

आपको श्री सुखपाल पांडेय ने संबोधित कर कहा था कि आप अन्याय करते हैं, तो क्या किसी सम्मानित सदस्य को इस प्रकार आक्षेप करना उचित है ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैंने तो सुना नहीं, इनको कैसे सुनाई दिया ?

श्री अध्यक्ष—

अगर मैंने उसको अच्छी तरह सुना होता तो सही था। पता नहीं चला क्या कह रहे हैं। शोर था। अगर कहा भी तो मैंने माफ कर दिया ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

एक व्यवस्था का सवाल है। अध्यक्ष महोदय मुझे यह कहना है...
(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।
(व्यवधान)

श्री मोहनलाल कपूर—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। कि दो दिन से बजट पर बहस हो रही है परन्तु अभी तक बहुत कम सदस्यों को बोलने को मिला है। आप समय का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। बहुत कम सदस्य बोल पाये हैं। जो शेष समय हैं उसमें बोलने का समय निर्धारित कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल सकें ।

श्री राम कुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और आपने देखा होगा कि सम्मानित सदस्य की भावनायें क्या थीं। क्या मान्यवर उस पर आधे घंटे की चर्चा कराने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दें।

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, आपको कई बार ध्यान दिला चुका हूं। आप अपोजीशन को ज्यादा समय दे देते हैं और सरकारी पक्ष के सभी सदस्य वंचित रह जाते हैं। कई बार आपका ध्यान आकर्षित किया।

(व्यवधान)

अब आप दे दें....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, यह आक्षेप है। माननीय सदस्य ने आक्षेप किया है आपके विवेक पर, आपकी न्याय दृष्टि पर।

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं, आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारी तरफ के सदस्य जब खड़े होते हैं जबाव देने के लिये या प्रश्न पूछने के लिये तो इधर मौका नहीं दिया जाता है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इधर भी निगाह रखा करें।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

जैसे ही आजमगढ़ के माननीय सदस्य जो विरोधी दल में हैं। खड़े होते हैं माननीय त्रिवेणी राय खड़े हो जाते हैं।

श्रम आयुक्त द्वारा सदन के बाहर सरकारी नीति संबंधी घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का कल्पनाथ सिंह जी का आया है। दिनांक १९-७-७१ के पाइनियर के पृष्ठ २ पर श्रम आयुक्त महोदय ने शासन की नीति के सम्बन्ध में मंत्रि परिषद् के निश्चय का उल्लेख करते हुए अपना वक्तव्य देकर मंत्रि परिषद् की गोपनीयता को भंग किया है।

यों तो सामान्यतः नीति सम्बन्धी घोषणा करने का अधिकार सरकार को ही है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं ही सरकार का कार्य करने की अस्वस्थ्य परम्परा डाल रहे हैं। नियमानुसार जब विधान सभा का सत्र हो रहा हो, नीति सम्बन्धी घोषणा सदन के बाहर करना विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने का कारण बनती है। श्रम आयुक्त महोदय ने नीति विषयक घोषणा करके सदन का अवमान किया है। अतः हम उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करते हैं।

श्री रामकुमार (जिला कानपुर)—

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पायनियर में जो स्टेटमेंट श्रम आयुक्त महोदय ने दिया है उससे मंत्रि परिषद् की गोपनीयता भंग हुई है। उसमें सारे पालिसी मैटर को इस तरह से

पेश किये कि मालूम होता है हमारे मुख्य मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को आश्वासन दे रखा है कि सरकार की नीति विषयक घोषणा मंत्रि परिषद् न करके वरिष्ठ अधिकारी किया करेंगे। श्रम आयुक्त की इस प्रकार की कार्यवाही विशेषाधिकार हनन बन गई है। अभी तक तो अपने ऐसी रूलिंग दी है कि मंत्रि परिषद् के सदस्य अगर ऐसी कोई बात बाहर करें तो कर्टसी का कारण बनता है लेकिन अब मंत्रि परिषद् के सदस्यों के अतिरिक्त सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस प्रकार की घोषणा करने लगे हैं जिस प्रकार की घोषणा करने का अधिकार उनको किसी भी तरह प्राप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को विशेषाधिकार का प्रश्न मान कर अवश्य कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर कल फैसला दूंगा क्योंकि यह मेरे पास अभी पहुंचा है। बल्कि मैं समझता हूं कि परसों इस पर फसला दूं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि कल भी बजट पर सामान्य बहस चलेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह सारे सदन का मामला है। अगर हमारे अधिकारी लोग नीति सम्बन्धी घोषणा करने लग जायं तब तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा जब कि यहां पर सदन भी चलता रहे।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर आप सदस्यों को सुन लें, तब अपना निर्णय दें तो उचित होगा।

रुद्रपुर नगरपालिका के अध्यक्ष, श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी पर गुंडों द्वारा आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब नैनीताल जिले की रुद्रपुर नगरपालिका के अध्यक्ष, श्री सुभाष चतुर्वदी पर गुन्डों द्वारा आक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में गृह मन्त्री का केवल वक्तव्य होगा।

गृह उप मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)—

उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक जुलाई ५–६ की रात्रि में जनसंघ के श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी एवं उनके कुछ अन्य साथियों तथा कांग्रेस के श्री अमरनाथ बांगा, श्री मोहन सिंह व उनके कुछ साथियों के बीच कुछ कहा सुनी तथा संभवतः कुछ मारपीट हुई जिसके विषय में दोनों पक्षों ने रुद्रपुर थाने पर रिपोर्ट लिखाई। श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी द्वारा धारा ३५२/५०४/५०६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दिनांक ६–७–७१ को प्रातः १०–३५ बजे श्री अमरनाथ बांगा व एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोट लिखायी गयी तथा श्री मोहन सिंह द्वारा दिनांक ५–६ जुलाई की रात्रि में १२–३५ बजे धारा ३२३/५०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी सहित ४ व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट अंकित करायी गयी।

उक्त दोनों ही रिपोर्टों के अनुसार अंकित अपराध हस्तक्षेपनीय थे अतः पुलिस द्वारा स्वयंमेव इन पर कोई जांच नहीं की गयी थी। बाद में परगना मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस जांच किये जाने के आदेश दिये जाने पर विवेचना आरम्भ कर दी गयी है। अब तक की जांच से यह सही नहीं प्रतीत होता है कि रुद्रपुर नगरपालिका के अध्यक्ष, श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी पर प्राणघातक आक्रमण गुण्डों द्वारा किया गया और उनकी हालत गंभीर है। ऐसी दशा में फिलहाल

गृह उप मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)--

किसी की गिरफ्तारी अथवा किसी के फरार होने का प्रश्न नहीं उठता है। पुलिस के अकर्मण्य होने का आरोप भी सही नहीं प्रतीत होता।

दिनांक ९-७-७१ को भारतीय जनसंघ के आवाहन पर नगर की लगभग २५ प्रतिशत दूकानें बंद रहीं तथा वे भी १२-१/२ बजे बाद पुनः खुल गयी।

दिनांक ११-७-७१ को जनसंघ के श्री काशीनाथ पाण्डे ने सरे आम सड़क पर भूख हड़ताल आरम्भ की। उनकी दशा संतोषजनक बताई जाती है। नगर की सामान्य स्थिति पूर्णतः संतोषजनक है तथा शांति भंग होने का कोई अंदेशा नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी को जो चोटें आयी हैं उनकी रिपोर्ट उनके पास है? क्या वे ग्रीवस इनजरीज हैं तथा श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी ने जो रिपोर्ट लिखायी है उसको वे कृपा करके पढ़ देंगे?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी ने घायल होने की रिपोर्ट नहीं की है। क्योंकि केस अहस्तक्षेपणीय है इसलिये पुलिस ने डाक्टरी नहीं कराई और श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी है कि उन्हें कोई गंभीर चोट लगी है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी ने रुद्रपुर थाने में जो रिपोर्ट लिखायी है, कृपया उस रिपोर्ट को पढ़ कर सुना दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो रिपोर्ट लिखाई है वह इस प्रकार है--थाना रुद्रपुर सब डिवीजन तराई (जिला नैनीताल) रिपोर्ट किये जाने का दिनांक तथा समय ६-७-७१, समय १०.३५ ए० एम०। अभियोक्ता या सूचना देने वाले का नाम तथा निवास स्थान-श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी, पुत्र श्री राधे श्याम, अध्यक्ष नगर पालिका, रुद्रपुर थाना रुद्रपुर, जिला नैनीताल। अभियुक्त का नाम तथा निवास स्थान १-अमरनाथ बांगा, पुत्र अज्ञात, २--एक आदमी नाम पता अज्ञात निवासी रुद्रपुर। धारा ३५२/५०४/५०६ भा० दं० वि०। घटना का स्थान दिनांक तथा समय-प्रताप मार्केट रुद्रपुर समय साढ़े १० बजे रात तारीख ५-७-७१। गवाहों के नाम तथा निवास स्थान-श्री ओम प्रकाश, पुत्र तहरीर में नहीं है। श्री बनारसीदास पुत्र तहरीर में नहीं है।

नकल तहरीर

सेवा में श्री मान थाना इन्चार्ज महोदय रुद्रपुर (नै०ता०) महोदय निवेदन है कि दिनांक ५-७-७१ को रात के लगभग साढ़े १० बजे जब मैं पार्टी मीटिंग से घर लौट रहा था तो प्रताप मार्केट से जरा आगे एक आदमी जिस का नाम नहीं जानता, ने आकर मेरा गिरहबान पकड़ लिया और अमरनाथ बांगा मेरे ऊपर चाकू लेकर टूटा, गाली देते हुये उसने कहा कि आज मैं तेरे खून से अपनी हार का बदला लूंगा। मैंने अपना गिरबान छुड़ाया जिससे मेरा कुर्त्ता भी फट गया तथा मैं अपनी जान बचाने के लिये भागा, इस वाकये को श्री वेद प्रकाश और बनारसीदास ने देखा है, भाग कर मैं बस अड्डे तक पहुंचा जहां से मैंने इस घटना की खबर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस साहब को टेलीफोन से दी। मैं रिपोर्ट लिखाने थाना आना चाहता था किन्तु मुझे पता लगा कि उक्त लोगों ने मुझे जान से मार डालने की योजना बना रखी है तथा रास्ता घेरा हुआ है, इस कारण मैं रात को रिपोर्ट नहीं लिखा सका। आपसे प्रार्थना है कि उक्त व्यक्तियों के खिलाफ

सख्त कार्यवाही की जाये तथा मेरी जान की रक्षा की जाये और मेरी रिपोर्ट दर्ज की जाय भवदीय दस्तखत अस्पष्ट, सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी अध्यक्ष नगरपालिका रुद्रपुर, नै० ता० पुत्र सर्वश्री राधेश्याम ६–७–७१ ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि चूंकि रुद्रपुर की नगर-पालिका में जनसंघ का बहुमत हो गया और यह सुभाष चतुर्वेदी जनसंघ के अध्यक्ष हैं, इसलिये राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों ने उनसे बदला लेने के लिये मारपीट का यह षड़यन्त्र रचा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसी जानकारी नहीं है कि राजनैतिक आधार पर यह मारपीट हुई हो, परन्तु इसकी जांच हो रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यह बात नहीं चाहेंगे कि प्रदेश की राजनीति के अन्दर कोई ऐसी दुर्गन्ध आ जाये कि एक राजनैतिक पार्टी तथा दूसरी राजनैतिक पार्टी के बीच इस तरह की बात हो । इसलिये क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस घटना की जांच वहां के अधिकारियों से वापस लेकर प्रदेश के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायेंगे जिससे कि वहां का वातावरण ठीक हो जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तो है नहीं इसलिये कि वहां न तो कोई अशान्ति है और न ही कोई बड़बड़ी है ।चतुर्वेदी जी ने भी जो रिपोर्ट की उसमें कोई यह जिक्र नहीं है कि उनके कोई चोट आदि लगी हो । पुलिस ने मामले में जांच की । मामला एस० डी० एम० की अदालत में है और उस पर तफतीश जारी है । दूसरी पार्टी की तरफ से भी रिपोर्ट लिखाई गयी है । हम पूरी तरह से सतर्क हैं कि वहां कोई अशांति न होने पाये । न कोई मारपीट की घटना ही होने पायेगी । (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, बड़े महत्व का प्रश्न है, निरन्तर भूख हड़ताल चल रही है । ११ तारीख से लगातार भूख–हड़ताल चल रही है, १०–११ दिन हो रहे हैं और सरकार कहती है कि उनकी हालत चिंताजनक नहीं है । अतः आप इस बारे में सरकार से निश्चित आश्वासन दिलाइयें कि जिससे वहां का वातावरण सही हो जाये ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, श्री चतुर्वेदी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनकी जान को खतरा है, तो क्या उनकी जान की सुरक्षा के लिये कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वहां पर कोई अशान्ति नहीं हो रही है । पूरी व्यवस्था की गई है, पुलिस जागरूक है ।

श्री मैनेजर सिंह—

चतुर्वेदी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपनी जान के खतरे की बात कही है, तो क्या इसे देखते हुये उनकी प्राण रक्षा के लिये कोई सुरक्षा प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, रिपोर्ट दोनों पार्टियों की ओर से है। चतुर्वेदी की रिपोर्ट पढ़कर सुना दी गई है। दूसरे की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उन्होंने हमें घेरा और पीटने की कोशिश की। अब एस० डी० एम० की अदालत में मुकदमा चल रहा है, उनकी इजाजत से मामले की जांच हो रही है। तो उसमें कोई राजनीतिक दलबन्दी का झगड़ा न हो, इसके लिये पुलिस सतर्क कर दी गई है और ऐसी कोई आशंका नहीं है।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७०

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा दिनांक १४ जुलाई, १९७१ को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) विधेयक, १९७० को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

इसे विधान सभा ने पास किया था, विधान परिषद् से भी यह सब कमेटी में जा चुका था, इसके बाद भी वापस लेने की बात है, जो बड़े महत्व की बात है, इस पर बहस के लिये पूरे एक दिन का समय हम लोगों को मिलना चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आपको समय मिलेगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

कुछ समय पूर्व ही इस सदन से यह विधेयक पास किया गया था, फिर यह विधान परिषद् में गया, वहां लम्बित रहा और बाद में उसे किसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। फिर शासन में परिवर्तन आया और वर्त्तमान शासन ने इस विधेयक को जिसको बहुमत से पास किया गया था, वापस लेने का प्रस्ताव किया है। इसी विधान सभा ने इसे बहुमत से पास किया था और इसके लिये तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्रदेश की जनता से हजारों बधाई संदेश प्राप्त हुये। तो ऐसे अच्छे विधेयक को वापस लेने की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर विचार करने के लिये समय निश्चित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये हम समय निश्चित कर देते हैं। इस बजट के बाद में इसें लेंगे।

१९७१–७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुरेन्द्र विक्रम बोल रहे थे। उनका पांच मिनट का समय बाकी है।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष, महोदय, सामान्य चर्चा जो बजट पर चल रही है उस पर मैं बोल रहा था। मैंने वन विभाग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। चूंकि वन मंत्री नहीं हैं वन विभाग

---

†१९ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बारे में उसकी मांगों पर ध्यान आकृष्ट करूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि टी० एन० श्रीवास्तव से भ्रष्ट कोई अधिकारी इस प्रदेश में नहीं है। मैं सबूत देने के लिये तैयार हूं, अगर माननीय मुख्य मंत्री आश्वसन दें कि वह विजिलेंस कमीशन को भेज देंगे, पिछली मर्तबा विधान सभा में प्रश्न उठाया था लेकिन विजिलेंस में नहीं भेजा गया सब बेकार हो गया, अगर माननीय मुख्य मंत्री आश्वासन देंगे तो मैं लिखित रूप से उनके विरुद्ध दे दूंगा।

पुलिस विभाग ने जो रिपोर्ट बांटी है उसको अगर देखें तो मालूम होगा कि कत्ल, डकैती, राहजनी, चोरियों में कितनी जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। इस साल तो बढ़ोत्तरी की हद हो गयी है। यहां तक कि विधायक भी सुरक्षित नहीं है। त्रिवेणी सहाय जी का कत्ल हो गया। बारुलशफा में चोरी होती है। श्रीमती सौभाग्यवती की मोटर चोरी की गयी, मोटर साइकिल दिन दहाड़े छीन ली गयी। बड़ी समस्यायें इस प्रदेश में हैं। (व्यवधान) विधायक पकड़ लिया गया और छोड़ दिया गया, वह तो हाउस को मालूम है। विधायकों की बड़ी भारी बदनामी हुई। प्रदेश की जनता जानती है कि विधायक भी चोरी करते हैं। लखनऊ से मुरादाबाद को जो बस जाती है, उसकी रक्षा के लिये स्पेशल स्क्वैड मुकर्रर करना चाहिये। लखनऊ से मेरठ जो डिलक्स बस जाती है, फरीदपुर में उसको सशस्त्र डकैतों ने रोक लिया। उस पर जो आर्म्ड गार्ड चलता है उस पर फायरिंग हुई, और बस जर्जर हो गयी, जहां तक मुझे जानकारी है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है। इसकी निश्चित व्यवस्था कर दें।

पुलिस बिलकुल अकर्मण्य हो गयी है। पुलिस में राजनीति घुस गयी है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं इससे असहमति प्रकट करता हूं कि हर एक अधिकारी भ्रष्टाचारी है। कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं। लेकिन बाकी एक से एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। चाहे गुप्ता जी की सरकार हो, चाहे चौधरी चरणसिंह की सरकार हो, चाहे टी० एन० सिंह की सरकार हो या पंडित कमलापति त्रिपाठी की सरकार हो कुछ अधिकारियों की वजह से वह खराब हो जाती है, और उसको गालियां सुनने को मिलती हैं। उनमें आमूल परिवर्तन किया जाय। भ्रष्ट अधिकारी जो सिफारिश करवा कर तबादला करवाते रहते हैं। एक बार एक प्रश्न किया गया कि जो रिश्वत लेते हैं उसकी कैसे जानकारी होगी, तो उत्तर दिया गया कि मछली पानी में रहती है लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वह पानी पीती है। कुछ लोग इतने भ्रष्ट होते हैं कि जिनके बारे में रोज चर्चा होती है। उसके बावजूद उनको बाइब मिल जाती है, उनकी अच्छी पोस्टिंग हो जाती है। जो ईमानदार अधिकारी हैं, किसी से सिफारिश नहीं करवाते, या किसी गुट में नहीं हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहां की परम्परा हो गयी है कि अधिकारियों में वर्गीकरण हो गया है। जब उसकी सरकार आती है तो अपना पक्का फिट करके फायदा उठाना चाहता है। चाहे हम रहें, या न रहे चाहे मुख्य मंत्री रहें या न रहें लेकिन प्रदेश की जनता रहनी चाहिये। इसका उपाय जरूर ढूंढ निकालना चाहिए।

मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री कृपा करके नोट कर लें। अगर लाबी में कोई पुलिस के अधिकारी बैठे हों तो वह भी नोट कर लें। पिछले साल जिला शाहजहांपुर में ग्राम, खुरमानपुर, थाना जैंतीपुर में एक कत्ल हो गया जो बिलकुल पार्टी बन्दी की बिना पर कर दिया गया। बुधपाल सिंह सरेंडर कर के हाजरि हो गये। लेकिन वहां दीक्षित दरोगा हैं। उन्होंने उनके घर को पूरी तरह से लुटवा लिया। तीन सौ बीघे में फसल खड़ी थी सब लुटवा लिया। एक दाना नहीं मिला। २५ हजार रुपये की लूट कई मर्तबा हुई। मैंने एस० पी० और माननीय मुख्य मंत्री को लिखा लेकिन आज तक उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई। और जिस बदमाश ने लूटा उसके खिलफ एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी। प्रश्न किया गया तो उसका उत्तर दिया गया कि फायनल रिपोर्ट लगा दी गई है। जब दरोगा वहां का श्री दीक्षित बदमाशों को पनाह देता है तो, फायनल रिपोर्ट लग ही जायगी। ऐसी परिस्थिति में पब्लिक क्या कर सकती है? दरोगा जी को एक

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

विशेष वर्ग का समर्थन प्राप्त है। जोगेन्द्र प्रताप जो वहां के एस० पी० हैं आज कल पैरेलल आई० जी० हो रहे हैं। दरोगा, डी० एस० पी० सब उनके यहां रोज हाजिरी देते हैं और उनकी राय पर ही सबका तबादला किया जाता है। अगर शाहजहांपुर में यही स्थिति रही तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वहां सिविल वॉर की शुरू होगी। मैं इस सदन में आज घोषणा करता हूं कि जो आरोप मैंने इस सदन में प्रस्तुत किये हैं अगर वे सिद्ध न हों तो मैं इस विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। वहां के लोकल अधिकारी से जांच मत करायेगा, बाहर की सी० आई० डी० से जांच कराई जाय। आज भी वहां लूट मची हुई है और दरोगा जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। बदमाशों को चाय पिलाते हैं।

मेरी जानकारी में यह भी आया है कि मंत्रि परिषद् के तीन चार मिनिस्टरों के खिलाफ एक सिलेक्टर कैम्पेन चल रहा है। ये मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, पक्षपात करते हैं। अगर यह बात सही है और मुख्य मंत्री जी को इसकी सूचना मिली है तो जनतंत्र के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वह इसका निराकरण करें और जांच करायें। जनता में जो भ्रम पैदा हो रहा है वह दूर होना चाहिये। गौरीशंकर राय जी ने उक्त पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि उनका दत्त जी ने १ लाख रुपया ले लिया, रोडवेज का कुछ झगड़ा था। मंत्रिमंडल के लिये यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। इन आरोपों की अविलम्ब जांच कराई जानी चाहिये। क्योंकि यह बहुत गंभीर मसला है। नारायणदत्त तिवारी जी नहीं हैं। उन्होंने एक शेर पढ़ा था। शेर का जवाब तो मैं नहीं दे सकता लेकिन इतना अर्ज करके समाप्त करता हूं—

बेरे हवादिस उन्हें कभी साहिल नहीं मिलता
सफीने जिनके तूफानों से टकराया नहीं करते।

श्री मङ्गीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बी० के० डी० विरोध में दूसरा बड़ा दल है लेकिन इसको सबसे कम समय मिलता है। ऐसी व्यवस्था आप कर दें कि संख्या के अनुपात से सदस्यों को समय मिले।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में अभी कहा गया कि तीन चार मिनिस्टरों के खिलाफ विधायकों द्वारा सिलेक्टर कैम्पेन चल रहा है। मुख्य मंत्री जी को वह दिया गया है या नहीं यह मुझे ज्ञात नहीं। लेकिन यह स्वाभाविक है कि प्रदेश की जनता के मन में यह बात आयेगी कि जब राज्य के मंत्रि परिषद के तीन चार मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाये जा रहे हैं तो मुख्य मंत्री को उनका स्पष्टीकरण देना चाहिये कि ऐसी कोई चीज है या नहीं। अगर है तो वह उनके खिलाफ क्या कदम उठाने जा रहे हैं? अगर कोई बात नहीं है तो इस सदन को ऐसा मालूम हो जाना चाहिये क्योंकि यह गंभीर मामला है।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपा करके बैठें।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने १९७१-७२ का बजट इस सदन में पेश किया है। जानबेजाला, बहुत कुछ इस बजट के मुतालिक कहा गया है और नुक्ताचीनी भी हुई है और यह भी कहा गया है कि इसमें कि समाजवाद की सही तस्वीर नहीं निकलती। कुछ मेम्बरों ने यह भी कहा है कि मुख्तलिफ

विभागों की रिपोर्टों में से बहुत सी बातें लेकर हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने स्पीच में शामिल कर दिया है। जनाबेवाला, यह तो जरूर है कि वित्त मंत्री जी का जो ह भाषण है इस बजट के सिलसिले में, उसमें उन्होंने हमारे प्रदेश की साफ तस्वीर खींची है। हमारे जिन-जिन विभागों में कमी नजर आ रही है जिनसे उनकी बेहतरीन सूरत हो सकती है उनको बिन बाइंट किया है जो पार्टी समाजवाद के वसूलों को लेकर आज कल के जमाने में हमारे सामने चले और जितने वादे वे जनता से करके आते हैं उनको पूरा करने का उस पार्टी का फर्ज होता है। इसलिये हमें यह पूरी उम्मीद और आशा रखनी चाहिये कि यह जो पार्टी इधर बैठी हुई है सरकार चला रही है और जिस पार्टी की सरकार आज केन्द्र में भी है उसको जरूर इस बात का खयाल होगा कि वह गरीबों के लिये हुछ कर सकें वह करें।

गरीबी को दूर करने के लिये, यहां के लोगों की हालात को बेहतरीन बनाने के लिये जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उनको दूर करने की जरूरत है। किन्तु जनाबेवाला, कोई जादू की छड़ी किसी भी पार्टी के पास नहीं हो सकती जिससे कि कोई पार्टी अपनी जादू की छड़ी से एक ही बजट में जितने भी वायदे जनता से किये जाते हैं, उनको पूरा कर सके। एक साल में एक ही बजट में वे वायदे पूरे नहीं हो सकते। जनाबेवाला, हमें देखना तो यह है कि जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है और जिस तरीके से हम आगे चलेंगे उसमें अगर कोई ऐसी चीजें नजर आती हैं जिससे हमें यह उम्मीद हो सके कि हमारा देश सही तरीके पर चलेगा और जो हमारे यहां के लोगों की कठिनाइयां हैं जो कि बहुत तादात में आज आ गई हैं उनको पूरा कर सकेंगे या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपनी पूरी कोशिश की कि इन तमाम चीजों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया है, और की सरकार की तरफ से बजट में वह चीजें दिखा कर ऐसे कदम उठाने की कोशिश की है जिसके जरिये से हम आगे चल कर अपने वसूलों के मकसदों को हल कर सकें। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आज यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारी जो फायनेन्सियल हैन्ड बुक है और जितने हमारे कायदे बने हुये हैं उनमें हमारे वित्त मंत्री तब्दीली करने जा रहे हैं। मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि हमारी जो यह हैन्ड बुक है जिसके जरिये से हम पूरे प्रदेश भर के खर्चे करते हैं और जिसमें बजट की मंजूरी होती है वह इतनी पुरानी हो गई है कि अब वह आज कल के बदले हुये हालात में और खास तौर से जमहूरियत के वसूलों को आगे बढ़ाने के लिये और उन प्लानों को जो हमारे देश में २० सालों से चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिये बनी हुई है वह बहुत ही नामुनासिब और आउट आफ डेट थी।

मुझे यह अर्ज करना है कि मुझे खुशी है कि उसमें कुछ तब्दीलियां होती चली जा रही हैं। अक्सर तो मैं यह सोचती हूं कि प्लान के सिलसिले में जो खर्चा होता है और बजट में मंजूर किया जाता है वह जब एक दफा सदन में मंजूर हो जाता है तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि फिर उसकी दोबारा सैंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो, क्योंकि उसी में सारी देर होती है और बाधिजेक्स होती है और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है, यह हमको भी अच्छी तरह से मालूम है। जिसको कि कुछ यहां के प्रदेश के काम चलाने का और यहां के इतिहास की खबर है वह जानते हैं कि आखिर में जाकर जब फाइनेंशयल साल खत्म होने वाला होता है उस वक्त ये हमारे अफसरान ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। ताकि वह दिखा सकें कि जो शुरू साल में रुपया मंजूर हुआ था उसमें से उन्होंने बहुत काफी रकम खर्च कर ली है लेकिन वह खर्चा सही तरीके से नहीं होता। क्योंकि आखिर में जाकर एक दम ही खर्च किया जाता है। इसलिये मुझे उम्मीद है कि अगर कांस्टीट्यूशनली कोई खराबी या कमी है तो उसको दूर करके कोई फाइनेंशयल पूल ऐसा बनायेंगे जिसमें जितना रुपया कि प्लान के ५ साल के लिये जिस विभाग के लिये मंजूर हुआ है वह उसमें रखा जाय और यह तसव्वर किया जाय कि वह इतने साल में खर्च किया जाय। किसी साल में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। किसी में मजबूरियों की वजह से या सामान न मिलने की वजह से

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

किसी साल रुपया खर्च नहीं भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि वह लैप्स हो उसको उस पूल में शामिल कर देना बहुत जरूरी चीज है।

समाजवाद के अब तक जो हमने कदम उठाये हैं उसमें न सिर्फ समाज को बेहतर बनाने के लिये या समाज में ऐसी हालत पैदा करने के लिये जिसकी हमको ख्वाहिश है, सिर्फ सरकार की तरफ से किसी तरह का कानून बन जाना या कोई इकदाम होना ही काफी नहीं है, यह सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि समाज को तरक्की देने वाले और बेहतर बनाने वाले जितने काम हैं वह महज कानून के जरिये से नहीं हो सकते। जब तक जनता का, हमारे लोगों का सहयोग न हो तब तक कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस पिछले सालों में हमने बहुत से कानून पास किये अपने समाज की बेहतरी के लिये औरतों को हकूक देने के लिये और सब तरह से अपने समाज की बुराइयां दूर करने के लिये, लेकिन कानून के जरिये से कभी नतीजा हासिल नहीं हो सकता जब तक उसमें पूरा जनता का सहयोग न हो। इसलिये मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगी कि हमारी जनता को भी इसमें मदद करना पड़ेगा। यह सरकार का तो फर्ज है ही जिसके हाथ में हुकूमत है लेकिन जनता का भी फर्ज है कि वह मेहनत करके, अपने जोरे बाजू से काम करके सरकार को मदद पहुंचाये। उससे अपना ही देश आगे बढ़ता है और जो हमारे सामने आदर्श हैं वह पूरे होंगे।

जनाबवाला, मैं सबसे पहले सरकार को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि इस उर्दू के मुताल्लिक जो उन्होंने अपने इस बजट में प्राविजन किया है और वित्त मंत्री ने अपनी तकरीर में जो कहा है उर्दू ऐकेडमी के लिये। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक दुनियां में माना हुआ उसूल है कि बच्चे की तालीम इबतदाई उसकी मादरी जबान होनी चाहिये। मुझे इस बात के ऊपर याद आ जाता है कि जो मैं आपकी इजाजत से कहना चाहती हूं थे कांस्टीट्युएंट असेम्बली में जब यह जबान का मसला चल रहा था और बहुत सी उस में तरमीमें पेश हुयीं और बहुत से उसमें सजेस्शंस हुये, तो मैंने भी इसी तरह की एक तरमीम पेश की थी।

मेरे पास पंडित जवाहर लाल नेहरू का खत मौजूद है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह दुनियां में माना हुआ उसूल है कि बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी जबान में होनी चाहिये। मैं इस उसूल को मानता हूं और मैं तमाम प्रदेशों को हिदायत भेज रहा हूं कि वह इस चीज को आगे बढ़ायें और इस उसूल को लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने मुझे लिखा कि आपको मेरे इस यकीन दिलाने से जरूर इत्मीनान हो गया होगा। मुझे इत्मीनान हुआ क्योंकि पंडित जवाहर लाल नेहरू एक ऐसी शख्सियत थी कि अगर वे कोई बात अपने मुंह से कह देते थे या लिख कर दे देते थे तो यकीन हो जाता था कि वह होगी ही। उसको मैंने बारह मुख्य मंत्रियों से पूछा कि क्या इस तरह के आदेश आफिसरान को चले गये हैं तो मुझे बताया गया कि चले गये हैं। लेकिन फिर भी पिछले २३ सालों में वह काम पूरा नहीं हो पाया। असल में सरकारों की जो नीतियां, खयालात और यकीन होते हैं वे अपनी जगह पर ठीक होते हैं लेकिन जो उन नीतियों को अमल में लाने वाले होते हैं, आफीसरान होते हैं उनके ऊपर मुनहसिर करता है कि वे ठीक तरह से उनको अमल में लाते हैं या नहीं। अगर नहीं लाते हैं तो हमारी सरकारें बदनाम होती हैं। यह सिर्फ उर्दू का ही मामला नहीं है और बहुत से मसायल हैं जिनमें सरकार के कुछ आदेश हैं लेकिन वे सही तौर से अमल में नहीं लाये जा रहे हैं। मैं समझती हूं कि उर्दू एकेडेमी जो बनायी गयी है, उसके बारे में सरकार सदन के उन माननीय सदस्यों से सलाह लेगी जिनको उर्दू में दिलचस्पी है और उसके मुताबिक वह अपनी पालिसी बनायेगी।

गुप्ता जी की मिनिस्ट्री के जमाने में हमने इस चीज को भी किया था कि कचहरियों में दरख्वास्त उर्दू में भी दी जा सके लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि वह डायरेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये तमाम चीजें हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि उसके जरिये जो डायरेक्टिव जाते हैं वे पूरे होते हैं या नहीं होते।

जनाबवाला, कांस्टीट्यूशनल डायरेक्टिव के मुताबिक हमारे मुल्क में १९६० तक कम्पलसरी तालीम हो जानी चाहिये थी। अब तो उसके बाद भी १०-११ साल बीत गये और जैसी कि रफ्तार चल रही है अभी २५ साल तक कम्पलसरी तालीम नहीं हो पायेगी। हमारे इस बजट में कहा गया है कि ३४५ प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे और १० हजार टीचर्स रखे जायेंगे। यह ठीक है कि स्कूल खोले जायेंगे लेकिन यह १० हजार टीचर्स कहां से आयेंगे क्या उसके लिये आपने कोई इन्तजाम किया है क्या उनकी ट्रेनिंग के लिये इन्तजाम किया है। जिस तरह से आजकल बिना डाक्टरों के डिस्पेंसरीज हैं क्या उसी तरह से यह स्कूल भी तो नहीं रह जायेंगे। मुझे यह भी कहना है कि अच्छे उस्ताद तभी मिल सकते हैं जबकि आप उनकी तनख्वाहें बढ़ायें। और कोठारी कमीशन के मुताबिक प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह १५० रुपया माहवार होनी चाहिये।

जनाबवाला, इसी से हम अच्छे स्कूल पैदा कर सकते हैं (लाल बत्ती होने पर) मुझे १ बजे तक वक्त दे दीजिये।

स्वास्थ्य के बारे में यह कहना चाहती हूं कि मुझे खुशी है कि अब बहुत कम अस्पताल ऐसे रह गये हैं जहां कि डाक्टर न हों। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स डाक्टर बन कर निकलते हैं उनके ऊपर सरकार फी विद्यार्थी कम से कम १५-२० हजार रुपया खर्च करती है। हमें बड़ी खुशी हुई जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी ने कहा कि हमने यह फैसला किया है कि दो साल तक सभी डाक्टरों को देहात में जाने का आदेश दिया जायगा और उसी वक्त उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी जबकि वह इस शर्त को पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि उन्होंने जो यह कहा है इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जायगा।

जनाबवाला, असल में हमारी तालीम सही तरीके से नहीं चल रही है। हमको पढ़ा कर डिग्री की जरूरत नहीं है बल्कि लिटरेसी की जरूरत है ताकि बहुत से बच्चों को धन्धों में लगाया जा सके। हमारे यहां बढई हैं, लोहार हैं और इस तरह के जितने पेशे हैं अगर बच्चों को इस तरफ लगाया जाय, जिसकी आजकल सब से ज्यादा जरूरत है, तो बेकारी बहुत हद तक दूर हो सकती है।

उद्योग धंधों के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी इंडस्ट्री सिर्फ इसीलिये पीछे पड़ी हुई है क्योंकि उसके अन्दर नयी रूह फूंकने की बेइन्तहा जरूरत है क्योंकि वह अभी तक स्टीरोटाइप्ड लाइन पर चल रही है। हमारी तालीम और उद्योग का ज्यादा से ज्यादा कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

(कई सदस्यों के खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है। आपने १ मिनट मांगा था।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

१ बजे तक मैंने कहा था।

(व्यवधान)

तो जनाबवाला, तालीम और उद्योग का बहुत साथ होना चाहिये जिससे हम अपने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लायमेंट दे सकें क्योंकि हमारे यहां बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

है । अभी हमारी केंद्रीय सरकार ने यह एलान किया था कि बेकारी को दूर करने के लिये रुपया मोहय्या किया जायगा । (शोर के मध्य) मैं चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में एग्रो सिटीज बनायी जायं और उन सिटीज में जो हमारे गांवों में जरूरियात की चीजें हैं उनके बनाने की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया । आप कृपा कर के बैठ जायं ।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

हमारे यहां स्कूटर्स चाहिये, डीजल इंजन चाहिये, ट्यूबवेल्स चाहिये । लेकिन अगर आज एक ट्यूबवेल खराब हो जाता है तो कई हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं । इसलिये जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के धंधे खोले जायं ताकि गांव वालों को करीब में ही यह सहूलियत मिल जाय। शहरों में ज्यादातर मकानों में फ्लश सिस्टम हो गया है । लेकिन अगर खराब हो जाय तो उसके लिये Plumbers नहीं मिलते . . . (शोर) इन चीजों को देखते हुये मैं यह उम्मीद करती हूं कि हमारी सरकार इस तरफ ख्याल करेगी और वह धंधे खोले जायेंगे जोकि जरूरत के ऊपर मबनी हैं । पंजाब और हरियाणा की हमको मिसाल लेनी चाहिये । जहां की इंडस्ट्री सारे आल इंडिया में दो बटा तीन है । उन्होंने अपने एजूकेशन में और अपने उद्योग धंधे में बहुत तरक्की की है। मैं उम्मीद करती हूं कि इन तमाम चीजों का ख्याल करते हुए जो हमारे सामने हमारा मकसद समाजवाद यहां पर लाने का है उसके लिये बराबर कोशिश करेंगे । जो मौजूदा उद्योग धंधे हैं उनके बिकवाने का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । हमारे प्रदेश में फल बहुत होता है विशेषकर आम और इसके लिये कैनिंग इंडस्ट्रीज खोली जाय । इसी प्रकार और भी सुझाव हैं जो कि वक्त की कमी की वजह से नहीं बता सकती । मैं इस बात का भी स्वागत करती हूं कि विधवाओं के लिये रुपया इस बजट में रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, आप अक्सर सदन में कह दिया करते हैं कि सदन में आपका समय समाप्त हो गया । बहुत से नौजवान सदस्य यहां पर सदन में बैठे हुये हैं तो क्या उन सब का समय समाप्त हो गया ?

श्री रामनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, हमारे वित्त मंत्री ने जो डेढ़ घंटे का भाषण यहां पर दिया वह बड़ा निराशाजनक रहा । मुझे ऐसा लगा कि इस भाषण के जरिये से ९ करोड़ प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की चेष्टा की गई है । यह सैद्धान्तिक नियम है कि किसी भी बजट में तीन बातें होती हैं । आय, व्यय और प्रशासन । अपने भाषण में उन्होंने प्रशासन की चर्चा ही छोड़ दिया है । मैं क्या निवेदन करूं । उत्तर प्रदेश के शासन को इन्होंने किस तरह अनुशासनहीन और भ्रष्ट बनाया है । आज जो जनता में चर्चा सुनाई देती है और जिस पर बजट का मूल्यांकन होता है वह कर नीति के सम्बन्ध में होता है । मैं वित्त मंत्री जी के भाषण को सारा पढ़ गया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला कि कर नीति क्या होगी और कैसे कर लगाये जायेंगे यह सब उन्होंने छोड़ दिया है । इस बात को सारा प्रदेश जानना चाहता था । यहां पर लोक सभा का चर्चा किया गया लेकिन यह प्रदेश यह जानना चाहता था कि यहां की कर नीति क्या होगी । किस प्रकार से यहां पर

समाजवाद की व्यवस्था होगी ? यह माना हुआ अर्थ-शास्त्र का सिद्धान्त है कि जैसे-जैसे साधारण जनता का विकास होगा वैसे-वैसे समाजवाद की व्यवस्था होगी। आखिर इस सरकार की क्या कर नीति है ? आप चाहते क्या हैं और किस प्रकार से जनता की आखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप आगे पूरक बजट ले आयें और गरीब जनता पर टैक्स लगा दिया जाय और उसके माध्यम से अनुदानों की स्वीकृति यहां पर प्रदान कर दी जाय। यह प्रदेश की जनता के आखों में धूल झोंकना है। इस बजट में ६४३ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। सदन तो यहां पर अब २ महीने चलेगा इसके बाद हम लोग यहां से चले जायेंगे तो फिर किस की जिम्मेदारी होगी इस बजट को खर्च करने की। वह जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की होगी लेकिन वह क्या करेंगे क्योंकि इस सरकार के काले कारनामों की वजह से सरकारी कर्मचारियों के अन्दर अनुशासन हीनता बढ़ रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं यह समझता हूं कि यह ६४३ करोड़ करोड़ रुपया सब बेकार हो जायेगा।

अनुशासनहीनता की पहली मिसाल मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उन सरकारी कर्मचारियों को बहाल किया गया है जिन्होंने दो दो मुख्य मंत्रियों को गाली दी है। १९६६ में जब यहां उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपालानी मुख्य मंत्री थीं और उसके बाद जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री हुये उन दोनों को और दो दो सचिवों को इन लोगों ने गाली दी थी .....

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री बसु व पीठासीन हुये)

यही नहीं परिवहन विभाग की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुचाया गया और उसके कारण उनको दंड भी दिये गये। उन मामलों को लेकर सरकारी कर्मचारी अदालतों में भी गये और सरकार ने जो उनको दंड दिया था अदालतों ने अपने फैसलों में उसकी ताईद की। लेकिन आप देखें कि जब अदालतों के भी निर्णय उनके खिलाफ हो गये तब इन सरकारी कर्मचारियों ने कौन सा काम किया। अब उन्होंने राजनैतिक का बाना पहनना और मजदूर परिषद् के रूप में उसकी संस्था सामने आई। हमारे बलिया क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी मजदूर परिषद् का उम्मीदवार खड़ा हुआ और तमाम प्रदेश में उनके ७५ उम्मीदवार खड़े हुये और खुले आम उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोपेगेन्डा किया इस तरह से वे केवल अपराधों में ही बड़ी नहीं हुये बल्कि उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया, नगरपालिका और महापालिकाओं के चुनाव भी उन्होंने लड़े और राजनीति में हर तरह से उन्होंने भाग लिया। लेकिन अब इस सरकार ने उनकी सभी बातों को माफ करके उनको बहाल कर दिया। इस तरह से इस सरकार ने सारी शासन की मर्यादा को और अनुशासन को समाप्त कर दिया और लाकर उन को यह बिठा दिया इसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार पर है।

एक साहब के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत बत घूमते हैं और कुछ नहीं करते। मालूम होता है कि कुछ बड़े और उनके दरबारी लोग हैं जो बहाल किये गये हैं। मैं आपको बताऊं कि आजमगढ़ के मऊ नगरपालिका का चुनाव हुआ जहां से नोमानी जी आते हैं। वहां पर इन्दिरा जी के समाजवाद का तोहफा लेकर आगा जंदी साहब भेजे गये और वहां जाकर उन्होंने भाषण दिया और कहा कि मुसलानों देखो चौधरी साहब ने अपने मुख्य मंत्री काल में मुसलमान को आई० जी० नहीं बनाया और कमलापति जी ने बना दिया। इससे जाहिर है कि किस तरह से यह सतारूढ़ कांग्रेस के लोग साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। मैं जनसंघ वालों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का कोई साम्प्रदायिक प्रचार नहीं किया वहां के मुसलमानों ने बी० के० डी० का साथ दिया और वहां चुनाव में बी०के०डी० को सफलता मिली वर्ना इन्होंने इस दूषित प्रचार के लिये आगा जंदी जैसे लोगों को न जाने कहां-कहां घुमाया होता। जिसको इन्होंने यहां का आई० जी० बनाया है उनके काले कारनामों को कौन नहीं जानता। सन् ५०-५१ में जब वह लखनऊ के एस० पी० थे तो लड़की का अपहरण किया गया, उस मामले की जांच हुई और उनकी साजिश प्रमाणित भी हुई लेकिन ऐसे दूषित आदमी को आई० जी० बनाया गया इनके द्वारा, यह इनके कारनामे हैं। यह उनके लड़के हैं जिनके बाप ने पंत जी का पेटीशन लड़ा था और उनको छोड़ाया था, वह पंत जी के वकील थे। यदि पंत जी के सामने उनके पिता पंत जी के वकील न होते तो वह कभी सपने में नौकरी से अपने कुकृत्य के लिये बर्खास्त हो गये होते।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

इसी तरह से यह डी० एन० शर्मा कौन आदमी हैं यह वह आदमी है जो छुट्टी लेकर चले गये, प्राविडेन्ट फंड का ८० हजार रुपया ले लिया और फिर उनको घर से बुलाकर यहां बठा दिया गया। अब मुझे मालूम हुआ कि उनके साथ यह सरकार ५ साल का अनुबन्ध करने जा रही है क्योंकि उनका कार्यकाल दिसम्बर में समाप्त होने वाला है।

ऐसा अनुबन्ध कर दिया जाय कि फिर कोई भी सरकार आवे, उस अनुबन्ध को तोड़ने न पाये। डी० एन० शर्मा अपने पद पर बने रहे। यहीं लखनऊ अस्पताल में थे। सन् ६१ से उनका काम था मंत्रियों की चापलूसी करने का। एक बार माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी साहब ने जनता की आवाज को देखते हुए यह महसूस किया कि बलरामपुर अस्पताल जैसा एक और अस्पताल बनना चाहिये। उन्होंने डा० खरे से बातचीत की। डा० खरे ने कहा कि अस्पताल की बात कौन कहे। यहां पर डाक्टर एक विंग बनाने की करते हैं। योजना तैयार हो गई थी पर वह कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। चौधरी साहब जनता की आवाज को लालफीताशाही में नहीं बांधना चाहते थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह फाइल कहां दबी हुई है। मालूम हुआ कि वह पी० डब्ल्यू० डी० में है। तो पी० डब्ल्यू० डी० को तलब किया गया। वहां वालों ने कहा कि हमारे यहां फाइल नहीं है। यह डा० डी० एन० शर्मा के यहां दबी हुई है क्योंकि जब तक वे रिपोर्ट नहीं देते तब तक हम कार्यवाही नहीं कर सकते। डी० एन० शर्मा ८-९ वर्ष तक इस फाइल को दबाये रहे इस वास्ते क्योंकि पी० डब्ल्यू० डी० से उनका कमीशन तय नहीं हुआ। चौधरी साहब ने जब तलब किया कि आठ वर्ष तक इस फाइल को क्यों दाबे रहे। श्री शर्मा के जो जवाबात आये वे बहुत ही गलत थे और श्रीमान् एक नियम है कि एक आदमी अपने पद पर पांच वर्ष से अधिक नहीं रह सकता। श्री शर्मा साढ़े आठ वर्ष तक रह चुके थे। इतने लम्बे समय तक रहने के बाद डा० त्यागी आये उनकी जगह पर। जब आप आये तो उन्हें आपने फिर बुला लिया।

इसी तरह से आप देखेंगे कि एक श्री जे० एन० तिवारी चर्चा के विषय बने हुए थे। वे महाशय विद्युत् और सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी और कमिश्नर थे। वे लोक लेखा समिति में भी आते थे। शराब में चूर होकर आते थे। लोक लेखा समिति के कई सदस्यों ने माननीय चौधरी साहब से इसकी शिकायत की। उनका एक कमरा रिजर्व रहता था सिंचाई विभाग के डाक बंगले में ऐश इशरत करने के लिये। उसकी जांच सी० आई० डी० को दी गई और चतुर्वेदी के जमाने में इसकी रपट शासन को प्राप्त हुई। उन्होंने इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी जैसी अपनी रिपोर्ट दी। मैं पूछना चाहता हूं कि सतर्कता आयोग के सामने आने के बाद भी वह कौन सी बात थी जो ला विभाग को सौंपी गई और उनको नियुक्त कर अब मिर्जापुर में तैनात कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारा जो आचरण होता है मंत्रियों का उसका असर भी प्रशासन पर पड़ता है। मंत्री भ्रष्ट होंगे तो स्वाभाविक है वे अपने कर्मचारियों पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि एक वरिष्ठ मंत्री बनारस में गये तो उन्होंने जो पहला खाना खाया वह किसी गुन्डे के यहां जिसका कई बार चालान हो चुका है और फिर वह तारकटी में पकड़ा गया। यही नहीं, वहां के एक प्रधान गुन्डे के यहां भोज था, उसके यहां या मकान बना था। जो कार्ड छपा था उसमें लिखा था कि एक वरिष्ठ मंत्री उसमें भाग लेंगे। लेकिन वह उसके पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया...

श्री उपाध्यक्ष—

अब ज्यादा समय नहीं है। आप अपनी समाप्त करें।

श्री मही लाल---

श्रीमन्, आपने और लोगों को भी निश्चित से ज्यादा समय दिया है। थोड़ा समय और न दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

पांच मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री शम्भू नाथ चौधरी---

तो हमारा आचरण भी सुधारना चाहिए। श्रीमान्, एक थानेदार है गोरखपुर में, जो वाराणसी के रहने वाले है। वह आफीसर दोयम थे। शिकायत पर तबादला हुआ। वह दौड़ी कर लखनऊ आए और यहां से आर्डर जाता है कि जहां अफसर दोयम थे वहीं पर उनको इंचार्ज बना दिया गया। इस प्रकार से प्रशासन नहीं चलेगा। हमारे यहां बलिया जिले में एक सक्सेना इंजीनियर थे। विधान परिषद् में भी इसकी चर्चा हुई। दो-दो बार तबादला हुआ लेकिन दोनों बार स्थगित कर दिया गया। कहा जाता है कि कोई सुदर्शन चौबे हैं, कहते हैं कि मैं कमलापति त्रिपाठी का रिश्तेदार हूं। इन सक्सेना इंजीनियर की चार-चार फर्म हैं। वाराणसी इंजीनियरिंग, हिन्दुस्तान इलैक्ट्रिक, लखनऊ, इंडियन इंजीनियरिंग कारपोरेशन, वाराणसी, इसी तरह से चार फर्म्स है। उसने घटिया किस्म के ट्यूबवेल की सामानों की सप्लाई की है।

श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल इतना भ्रष्ट हो चुका है जिसके प्रमाणस्वरूप यह फोटो हमारे पास है। बहू जी के दरबार की बड़ी चर्चा है। श्रीमन्, प्रफुल्ल कुमार शर्मन, निजी सचिव, मुख्य मंत्री के द्वारा लिखा हुआ यह पत्र है। इसमें सामने चन्द्रा त्रिपाठी लिखा है और फैक्टरी का और निवास का फोन नम्बर छपा है। औरंगाबाद-वाराणसी से लिखा है और जिलाधीश, प्रतापगढ़ के लिये है। इसमें लिखा है–जिलाधीश महोदय, पत्रवाहक पं० भगवत प्रसाद आज माननीय मुख्य मंत्री के सम्मुख उपस्थित होकर अपनी कठिनाइयों से माननीय मुख्य मंत्री को परेशान करने लगे। पंडित जी इनकी हालत सुनकर आपसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कुछ समय देने की इच्छा व्यक्त की है। कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का आदेश दें। उसके नीचे लिखा है प्रफुल्ल कुमार शर्मन, निजी सचिव, मुख्य मंत्री। मैं नहीं जानता कि यह निजी सचिव कौन हैं, सरकारी हैं या गैर सरकारी है, या किस दरबार के हैं। तो मुख्य मंत्री के निजी सचिव बनकर भी लोग जिलाधीश को खबर भेज रहे हैं। जब फोन जाता है कहा जाता है कि बहू जी का फोन है। यह भी बड़ी चर्चा का विषय है। आज इंदिरा जी में यदि थोड़ी भी ईमानदारी है तो इसको देखें।

सतिया कांड के सिलसिले में मैंने शिव दास तिवारी से कहा था कि क्यों बहुत शोर मचाते हो राधेश्याम शर्मा के खिलाफ, जब त्रिपाठी जी मुख्य मंत्री होंगे तो वह तम्हारे सिर पर बैठा देंगे। त्रिपाठी जी मुख्य मंत्री हुए और वह सिर पर बैठ गया।

इस प्रदेश में बहू जी के दरबार की बहुत चर्चा है। मैं आपके माध्यम से इंदिरा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये आप कुछ करें और इसको आप अपनी सिक्रेट एजेन्सी को दे दें जो यह देखे कि कितनी बार बहू जी का दरबार बनारस में होता है। श्री ओ० डी० शर्मा का हेडक्वार्टर गोरखपुर में था। वे अपना हेड क्वार्टर छोड़ कर लखनऊ आ गये। जब उन्होंने अपना हेड क्वार्टर ही छोड़ दिया तो फिर छितौनी बांध टूटेगा नहीं तो और क्या होगा। जिसको जहां पर रहना चाहिये वह वहां पर नहीं रहता है। श्री ओ० डी० शर्मा का फोन कितनी बार लखनऊ से बनारस गया। बलिया के एक इंजीनियर का तबादला वाराणसी के लिये हुआ। जब उसको मकान देने की बात आई तो भी बहू जी का फोन गया और मकान का अलाटमेंट भी बहू जी के फोन पर दूसरे को किया गया। यह क्या

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

हो रहा है ? मकानों के अलाटमेंट्स भी बहू जी के फोन पर हो रहे हैं । यह क्या तमाशा है ? श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन बातों पर गौर करें अगर आप इस प्रदेश को जिन्दा रखना चाहते हों तो हम सभी लोग इस प्रदेश के रहने वाले हैं चाहे विरोधी ही क्यों न हों । हर आदमी जनतांत्रिक व्यवस्था इस प्रदेश म कायम रखना चाहता है । जनतांत्रिक व्यवस्था इस प्रदेश में तभी कायम रह सकेगी जब भ्रष्ट कर्मचारियों से इस प्रदेश की जान बच जायेगी । अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारी भ्रष्ट न हों तो अपने को सुधारो । गंगा जी गंगोत्री से निकल कर एक लम्बे क्षेत्र में बहती हुयी जाती हैं । करेप्शन भी एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया है, आप इसे रोकें । इंदिरा जी ने एक निराशा का बातावरण पैदा कर दिया है । काला बाजार और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप एक आन्दोलन करो, आप तो सरकार में बैठे हुए हैं । मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जनता को कुशल प्रशासन दें वर्ना यह डिमोक्रेसी सफल नहीं होगी और यह बजट भी ऐसे ही रह जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

डाक्टर हरि प्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि सन् १९७१-७२ के सामान्य बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग ले सकूं और अपने विचार प्रकट कर सकूं । म १९७१-७२ के बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही वित्त मंत्री को बधाई देता हूं । बधाई इसलिये देता हूं कि उन्होंने, अगर आप पिछले १० वर्ष के बजटों का अध्ययन करें जो कि इस सदन में प्रस्तुत किये गये हैं तो स्पष्ट होगा कि इस बार कुछ उल्लेखनीय प्रस्ताव इस सदन के सामने रखे हैं । इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । हो सकता है कि वह दृष्टिकोण अभी निर्बल हो और कमजोर दिखलायी देता हो, मगर वह एक दृष्टिकोण है । उत्तरोत्तर उस दृष्टिकोण को यदि बल और विश्वास मिला तो संभवतः इस देश में जिस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते हैं उसमें हम को सफलता प्राप्त हो सकेगी । इस बजट का मूल्यांकन दो बातों से किया जा सकता है । पहली बात तो यह है कि यह बजट सामाजिक न्याय, जिसकी अपेक्षा की जाती है, दे सकेगा या नहीं ।

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की कल्पना हम करते हैं क्या वह हो सकेगी ? यह भी देखना आवश्यक है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को हम स्वस्थ बनाना चाहते हैं उस प्रकार से क्या वह बन सकेगी ? इस प्रदेश को पिछडा हुआ प्रदेश कहा जाता है। यह बिचार करना जरूरी हो जाता है कि स्वस्थ व्यवस्था स्थापित करने में यह बजट सहायक है या नहीं ?

अगर इन तथ्यों के अनुसार बजट खरा निकलता है तो मानना पड़ेगा कि जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है वह जिस तरह के समाज की कल्पना हम करते है वह स्थापित हो जायगा। यह मानना पड़ेगा कि पिछले २० वर्ष के नियोजित विकास में जिस प्रकार उपलब्धियों का संवितरण हुआ है उससे असमानता आई है । यह कहा जाता है और माना जाता है, कि जो उपलब्धियां विकास में हुई हैं उससे इस प्रदेश में ४७ प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष लाभान्वित हुये हैं और यदि प्रत्यक्ष एवं, अप्रत्यक्ष दोनों को लिया जाय तो यह संख्या ८५ प्रतिशत तक पहुंचती है । १५ प्रतिशत लोग जिनकी संख्या सवा करोड़ होगी विकास से लाभान्वित नहीं हुये हैं । हम यह जानना चाहेंगे कि क्या इस बजट में ऐसा प्राविधान किया गया है कि जहां हम अपने विकास की योजनाओं से दूसरों को फायदा देना चाहते हैं वहां यह सवा करोड़ लोग भी लाभान्वित होने की आशा रखते हैं । मेरे विचार से बजट की यह कसौटी है और इससे प्रत्यक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिलना चाहिये । हमारे समाज में कुछ लोग

कमजोर हैं । इसमें बालक आते हैं, महिलायें आती हैं, इसमें हरिजन आते हैं, पिछड़े हुए लोग आते हैं। हरिजनों के लिये बजट में लगभग ८ लाख रुपया उद्योग लगाने के लिए दिया जाता है, घर बनाने के लिए और मुर्गी पालने के लिये भी रुपया मिलता है । इसके अतिरिक्त भी पिछड़े हुए लोगों के लिये प्राविधान रखना पड़ता है ताकि उनकी उन्नति हो सके । वित्त मंत्री जी ने २१ उल्लेखनीय प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं लेकिन उनमें तीन प्रस्तावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पहला तो यह कहा गया कि हम एग्रो इंडस्ट्रियल कालोनी बनायेंगे यह हरिजनों के लिये बनेंगे यह दृष्टिकोण है कि जिन लोगों के पास शक्ति नहीं है, धन नहीं उनको एग्रो इन्डस्ट्री कालोनी में काम दिया जायगा इसका विवरण संभवतः सरकार प्रस्तुत करेगी और यह दृष्टिकोण है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं वह इससे लाभान्वित होंगे ।

ग्रामों में जो बेकारी का प्रश्न है उस बेकारी को दूर करने के लिये योजना प्रस्तुत की गई है और उस योजनामें विकास दल कायम करने की आशा की जाती है । जो बेकारी की समस्या है उसके संबंध में मालूम करना पड़ेगा कि किस प्रकार की बेकारी है । देहात में कुछ दिनों तो दो या तीन रुपये में भी एक दिन काम करने के लिये आदमी नहीं मिलेगा लेकिन यह बात कुछ ही समय के लिए रहती है और बाद में बेकारी रहत है । तो कुछ समय के लिए वहां काम है और बाकी समय के लिये नहीं है । ३६५ दिन में १५४ दिन के लिये काम है और साल के बाकी दिनों में काम नहीं रहता है । हम समझते हैं कि इन लोगों के लिये कार्यक्रम रक्खे गये हैं जिनमें अप्रोच रोड बनाना आदि शामिल है । स्केल सीजन में इन लोगों को काम मिल सकेगा ।

एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसमें उल्लेख किया गया है कि हम संशोधन करेंगे शीलिंग ऐक्ट में । अभी तक जितनी बातें हुईं और माननीय सदस्यों ने जो प्रकाश डाला उसमें यही कहा कि ४० एकड़ से ३० एकड़, २५ एकड़, १२ एकड़ या सवा ६ एकड़ कर दिया जाय । अभी तक आर्थिक इकाई क्या होगी संभवतः यह सिद्ध नहीं हो सका । कहा जाता है कि सवा ६ एकड़ की आर्थिक इकाई होगी । इसलिये सदन में माननीय सदस्य सुझाव दे सकते हैं कि जो शीलिंग की सीमा निर्धारित की जायेगी वह ४० एकड़ से घटकर सवा ६ एकड़ आ सकती है । मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि चाहे २५ एकड़ हो, या १२ एकड़ हो, कोई यूनिट महत्वपूर्ण नहीं है । महत्वपूर्ण बात क्या है वह यहां चर्चा की बात होनी चाहिये थी । उस पर माननीय सदस्यों को सुझाव देने चाहिये थे । हमने शीलिंग ऐक्ट पास किया । उसमें क्या दोष हैं । अन्ततोगत्वा उस समय ऐसे लोग थे जिनके पास २ हजार से ५ हजार एकड़ जमीनें थीं । उसी को कम करने की बात सोची गयी और शीलिंग ऐक्ट बनाया गया ।

गोरखपुर में एक अध्ययन इस तरह का चला था । आज भी वहां ऐसे लोग हैं जिनके पास दो हजार से लेकर १३ हजार एकड़ तक जमीन है । इस बीच कितनी ही सरकारें आयीं, कितने ही अध्ययन मंडल बने और यह कार्य मूल्यांकन निदेशालय को भी दिया गया जिसने सुझाव दिये लेकिन उनपर अमल नहीं हुआ । आप देखें कि वस्तु स्थिति क्या है । मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि ३०, ४०, २५ एकड़ की बातें महत्वपूर्ण नहीं है । महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार से ४० या २५ एकड़ एक ही परिवार के पास रह जाय। जो ऐक्ट बना उसमें दो दोष रहे। पहला यह कि व्यक्ति को इकाई माना, परिवार को नहीं । एक व्यक्ति के पास ४० एकड़, दूसरे के पास ४० एकड़, तीसरे के पास ४० एकड़ और इस प्रकार से आपने एक बड़ा परिवार बना लिया । उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं । गोरखपुर में एक परिवार है । वह तीन आदमियों का परिवार है । लेकिन उसके सात आदमी कलकत्ता में, कुछ आगरे में रहते हैं, कुछ बम्बई में, कुछ बरेली । ४७ आदमियों को मिलाकर एक समिति बन गई है जिसके

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

पास १६६६एकड़ भूमि है। दो समितियों को मिलाकर ३३६५ एकड़ भूमि अगर आप खतौनी उठा कर देखें तो उसमें लिखा होगा क, बाप का नाम ख, कलकत्ता । लेकिन वह आदमी ऐसा है जिसका कलकत्ता में पता नहीं । उसका गोरखपुर से ही पता लगाना संभव नहीं है । इस प्रकार की परिस्थिति है । यह दुर्भाग्य की बात रही कि व्यक्तिगत को इकाई माना गया । इसी तरह से संस्थाओं को जिनको हम ट्रस्ट के नाम से, कारपोरेट बाडी के नाम से या सोसाइटी के नाम से पुकारते हैं, रखा गया । इन सोसाइटीज को, एजुकेशनल ट्रस्ट को, कारपोरेट बाडीज को कह दिया कि यह भी एक यूनिट हैं और इस प्रकार फर्जी सोसाइटी बनाकर हजारों एकड़ भूमि बड़े परिवार जमीन को हथिया लिये हैं ।

आप मान्यवर समझ सकते हैं और सम्मानित सदस्यगण इस पर विचार कर सकते हैं कि एक सोसाइटी कम से कम ७ आदमियों की बन सकती है । लेकिन उस सोसाइटी में ५० आदमी भी रह सकते हैं । अगर ५० आदमी रहेंगे तो एक एक आदमी पर ४० एकड़ रखा जाय तो कितनी जमीन हो सकती है । मैं जानता हूं कि ३३६५ एकड़ जमीन केवल एक सोसाइटी के पास रखी गयी है । तो उस ऐक्ट में एक दोष था जिसको मैं समझता हूं कि संशोधन के जरिये मिटाने की आवश्यकता है । उसमें एक दूसरा दोष और भी है छूट देने की । ७ विषयों में छूट देने का प्राविधान है । अब अगर एक एकड़ जमीन है जिसमें अगर ५ पेड़ भी हैं तो उसको बगीचा माना जायेगा । अगर एक जमीन के एक कोने में एक पेड़ है, दूसरे कोने में एक पेड़ है और तीसरे कोने में एक पेड़ है तो वह भी बगीचा माना जायेगा । इस प्रकार से यह परिस्थिति उत्पन्न की गयी है । इसलिये मान्यवर आपके द्वारा मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जब हम सीलिंग ऐक्ट को संशोधन करने की बात करें और अपने संशोधन दें तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्रकार का संशोधन करें कि छूट का क्लाज सम्हाल कर रखा जाय । इस प्रकार के कारपोरेटेड बाडी का क्लाज न रह सके । इन तमाम बातों में आवश्यक सुधार होना चाहिये सही बात तो यह है कि स्पाट पर जमीन का सेटिलमेंट करना चाहिये ।

यह प्रस्ताव कार्यान्वित हो सके तो हम समझते हैं कि यह बजट सामाजिक न्याय दे सकेगा ।

दूसरा प्रश्न हमारी आर्थिक व्यवस्था का है । मान्यवर, अगर आर्थिक व्यवस्था को देखा जाय तो आयोजनागत बजट में २ ४ करोड़ ७४ लाख रुपये का कार्य होना है । उसमें से २२ प्रतिशत तो कृषि में, १५ प्रतिशत सिंचाई में और ३७ प्रतिशत विद्युत के लिये है । अगर इन तीनों को जोड़ा जाय तो कुछ ७४ प्रतिशत आयोजनागत खर्च केवल इन तीन विषयों पर ही आता है । बाकी खर्चा और विभाग के हैं उनमें ५.२ परसेंट सड़कों पर खर्च किया जायगा । मान्यवर, इस संबंध में आपके माध्यम से मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । यह सही है कि हम विद्युतीकरण करना चाहते हैं गांवों में हम बिजली ले जाना चाहते हैं । अगर गांवों में आप बिजली ले जायेंगे, घर घर में बिजली ले जायेंगे तो वहां पर उद्योग भी उत्पन्न होंगे । अगर सिंचाई होगी तो पदावार भी ज्यादा होगी । अगर वहां पर अधिक पैदावार होती है तो किस प्रकार से उसको हम मारकेट तक ले जायेंगे, यह प्रश्न भी उठेगा । अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराते हैं, कृषि के साधन उपलब्ध कराते हैं और औद्योगीकरण की बात करते हैं तो जाहिर है कि उद्योग भी पनपेगा, खेती भी पनपेगी । अगर खेती की पैदावार बढ़ेगी तो मारकेट सरप्लस जो होगा उसको मारकेट तक ले जाने का प्रश्न भी उठेगा । किस तरह से उसको वहां तक ले जाया जाय । हम आज ५.२ परसेंट यातायात पर खर्च करते हैं । मेरा यह सुझाव है कि अगर आप कृषि के लिये पैसा देते हैं, अगर आप विद्युत के लिये पैसा देते हैं तो यह आवश्यक है कि यातायात के ऊपर भी काफी पैसे खर्च करें । लेकिन यह बड़े दुख की बात है

कि जब हमारी योजना बनी और उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली सरकार के पास पहुंची तो दिल्ली की सरकार ने यह कहा कि कच्ची रोड की बात न करके पक्की रोड की बात करो ।

श्रीमन्, पूर्वांचल में रोड की स्थिति यह है कि एक लाख की आबादी पर एक मील कच्ची रोड है और १५ मील पक्की रोड है ।

आप समझते हैं कि पक्की सड़कों की क्या स्थिति होगी। एक बड़े शहर को छोटे शहर से तो जोड़ने का प्रयास किया जाता है, मगर जहां सकड़ों की संख्या में गांव है, वहां एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की जाती । हमारा देश तो गांव में बसा हुआ है, जब तक गांव की ओर आप ध्यान नहीं देंगे, गांव का कैसे विकास होगा ? कैसे गांव की पैदावार बिक सकेगी । मान्यवर, गोरखपुर में एक स्थान है बेलघाट वहां पर एक किसान को १०० रुपये की पैदा किये हुए अनाज का उसको केवल ३५ रुपया बाजार तक जाकर मिलता है कारण यह है कि यातायात के साधन न होने के कारण वह चीज दूसरी जगह नहीं जा सकती । वहां पर नदियां काफी हैं, और यातायात के साधन हैं नहीं, इसलिये १०० रुपये की चीज को ३५ रुपये में मजबूर होकर बेचना पड़ता है । इसलिये सरकार को अपनी रोड्स पालिसी में परिवर्तन करना चाहिये । आपको ५ वर्ष की कोई ऐसी योजना बनानी चाहिये जिसमें एक गांव को दूसरे गांव से किसी न किसी प्रकार अवश्य जोड़ा जायेगा । (लाल बत्ती होने पर) मैं एक बात और कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम प्रति व्यक्ति विकास व्यय को लें तो हम देखेंगे कि १९५१-५२ में, १९६०–६१ में और १९७०–७१ में क्रमशः राजस्व लेखे में ४.३२ रुपये, १०.४८ रुपये और २९.५२ रुपये खर्च हुए हैं । दूसरे शब्दों में अगर हम १९६०–६१ को आधार मान लें तो १९७०–७१ में राजस्व लेखे के अन्तर्गत हमने तिगुना खर्च किया है । अगर हम १९५१–५२ को आधार मान लें तो लगभग ७ गुना खर्च किया है । अब पूंजी लेखे के अन्तर्गत देखें तो हमें मालूम होगा कि १९५१-५२ में १.९ रुपये, १९६०–६१ में ३.४५ रुपये और १९७०–७१ में ६.६६ रुपये खर्च किये हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम १९५१–५२ को आधार मान लें तो हमने १९७०-७१ में तिगुना खर्च किया जब कि राजस्व लेखे में ७ गुना खर्च किया और अगर १९६०–६१ को आधार मान लें तो पूंजी लेखे में १९७०–७१ में दुगुना खर्च किया जब कि राजस्व लेखे में तिगुना खर्च किया। अब ऋण लेखे के अन्तर्गत देखें १९५१–५२ में हमने ०.४१ रुपये, १९६०–६१ में २.१८ रुपये तथा १९७०–७१ में १०.१८ रुपये खर्च किये । इसमें अगर हम १९५१–५२ को आधार मान लें तो हमने १९७०–७१ में २५ गुना व्यय किया है । इन आंकड़ों से यह सिद्ध हो जाता है कि हमने ऋण के अन्तर्गत बहुत ज्यादा खर्च किया है । अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रदेश तरक्की करे, प्रदेश ऊपर उठे, पिछड़ापन दूर हो तो आपको इस ओर विशेष ध्यान देना होगा ।

मान्यवर, अभी कल एक माननीय सदस्य प्रदेश के विभाजन की मांग कर रहे थे । बरसों का इतिहास इस बात को बतलाता है कि जो लोग प्रगति कर चुके हैं उन्होंने अभी अलग होने की बात कही है । यह बात तो कल सुनने को मिली कि समृद्ध भूखंड भी यह मांग करने लगे कि हमको अलग कर दिया जाय । यह मान्यवर, बड़ी गलत चीज है, जब अवसर आयेगा तो हम इस पर विचार करेंगे ।

मैं आपसे सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि पूंजी-लेखे पर जो व्यय है वह बहुत ही कम है, इसको बदलना चाहिये, इसमें परिवर्तन करना चाहिये । जो ऋण का प्रश्न है, इसमें हमने बहुत ज्यादा खर्च किया है । हमारे प्रदेश की ऋण की नीति अच्छी नहीं है, स्वस्थ्य परम्पराओं पर आधारित नहीं है । इसलिये इस दिशा में जितनी प्रगति होनी चाहिये थी, नहीं हुई है। पिछले वर्षों में जो ऋण देने की नीति अपनाई गई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो ऋण की नीति अपनाई है वह दोषपूर्ण है उसे बदल कर आपको बैंकों को इसका कार्य दे देना चाहिये । क्योंकि आज जो सरकार की व्यवस्था है उसके

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

अन्दर किसानों से बड़ी बेरहमी से पैसा वसूल किया जाता है और उसमें बहुत सी अनियमितायें देखने को नित्य मिला करती हैं । ऋण नीति में परिवर्तन करने की बड़ी आवश्यकता है । इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्यूशनस हैं, उन्होंने हमारे पूरे देश में १६५५ करोड़ रुपया दिया है, जिसमें से हमारे प्रदेश को केवल १०३ करोड़ रुपया ही प्राप्त हुआ है । ७ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूसन्श से हमें कुल १०३ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ । हमारे लिये एक और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा ८ प्रतिशत डिपाजिट है, हम ८ प्रतिशत डिपाजिट देते हैं और ३.६ फीसदी प्रदेश पाया । हमें उसी अनुपात से ऋण भी मिलना चाहिये, उसी हिसाब से मदद मिलनी चाहिये, किन्तु ऋण बहुत कम मिलता है, यह हमारे प्रदेश के साथ ज्यादती ही है ।

हमारे गोरखपुर में ही एक बैंक में तीन करोड़ रुपया डिपाजिट किया गया है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमें अपने जिले के विकास के लिये कितना रुपया मिलता है, हमें इतना कम रुपया ऋण में क्यों मिलता है ? मैं यह जानना चाहता हूं । सदन को चाहिये कि वह इस बात पर जोर डालें कि जो भी बैंकिंग इंस्ट्यूसंश ह हमारे प्रदेश और देश में, जो हमसे डिपाजिट लेती हैं, वे उसी आधार पर हमें ऋण भी दें । हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है, कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिये विकास के लिए ऋण हमें अन्य प्रदेशों से अधिक मिलना चाहिये, समृद्ध प्रदेशों की तुलना में हमें अधिक मिलना चाहिये, और दूसरों से वसूल करके हमें दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में यह एक शब्द में मैं यह कहूंगा कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है अच्छी नहीं है । दल-दल में फंसी है आज आवश्यकता इस बात की है कि उसे धक्का देकर स्वचालित, आत्म निर्भर व्यवस्था को हम प्रदेश में चालू कर सकें । यह बजट छोटे रूप में उसी स्वचालित आर्थिक व्यवस्था का शुभारम्भ है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का अनुमोदन करता हूं ।

*श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)----

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया है । चर्चा के दौरान इस प्रदेश को एक पिछड़ा हुआ प्रदेश कहा गया है, पिछले २२ सालों से इस प्रदेश को पिछड़ा हुआ कहा जाता है । किन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक जगत हो, साहित्यिक जगत हो, प्रभा का जगत हो, राजनैतिक लड़ाई का क्षेत्र हो चाहे वह १८५७ का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो या १९४२ का भारत छोड़ो आन्दोलन रहा हो, सभी में हमारे प्रदेश का इतिहास, उसका योगदान बड़ा ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है । मगर सूर और तुलसी का यह प्रदेश, राजर्षि टंडन और मदनमोहन मालवीय का यह प्रदेश इसलिये पिछड़ा है कि पिछले २३ वर्षों के कांग्रेस शासन काल में इसकी आर्थिक रचना ऐसी नहीं की गई है । यहां की योजनायें श्रम प्रधान नहीं बनाई गई हैं, योजनाओं में देश के पुनरुत्थान में आदमी को कोई महत्व नहीं दिया गया है । इसीलिये यह प्रदेश पिछड़ा है । यहां के सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों तथा दूसरे कर्मचारियों की दशा बहुत खराब है और डिग्री कालेज के अध्यापकों की दशा सुधारने के लिये इस प्रदेश में कुछ नहीं किया गया है । हां, हमने तीन प्रधान मंत्री जरूर दिये हैं और इस बात से संतोष कर लिया है कि तामिलनाड को अधिक रुपया दिया जाय, महाराष्ट्र में अधिक योजनायें लगाई जायें, बंगाल में अधिक धन व्यय किया जाये । अतः हमारा यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया ।

कल प्रदेश के विभाजन की बात कही गयी । मैं बड़े विनम्र शब्दों में भारतीय क्रांति दल के उन माननीय सदस्य से पूछूंगा कि पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसका मैं एक घटक हूं, से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्यों अलग होना चाहते हैं ? अंग्रेजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरें बनायी, अधिक विकास किया । देश की जन संख्या का १/६ भाग हमारे प्रदेश में रहता है लेकिन राष्ट्रीय आय का हम १/८ ही दे पाते हैं । पिछले २३ वर्षों में गलत योजनाओं के कारण हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम २ परसेंट बढ़ी है जब कि राष्ट्रीय आय ५ परसेंट बढ़ी है । प्रदेश की औसत आमदनी जिसमें इस सेक्रेटेरिएट का चौकीदार भी शामिल है, २५३ रुपया है और नैशनल इनकम ३३९ रुपया है । ९० रुपये घाटा क्यों ? इस लिये कि हमने तीन प्रधान मंत्री दिये और आर्थिक रूप से इस प्रदेश को पिछाड़ा । अपने बजट भाषण में माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा है कि बजट के ४८ करोड़ ८० लाख के घाटे को पूरा करने के लिए कर कैसे लगायें इसके लिये वलुएबिल सजेशंस दिये जायं । अंग्रेजी अख्बार ने लिखा है, मैं आपकी तरह अंग्रेजी का विरोधी हूं, लेकिन यह अंग्रेजी में है, आपकी अनुमति से इसको पढ़ दूं । स्टेट्समैन ने इस प्रकार लिखा है–

"And the poor helpless Finance Minister pleaded with the House to give him 'valuable suggestions about imposition of taxes'."

हम लोग विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं । उनको हम सजेशंस क्यों दें कि यह नये टैक्स लगायें केंद्र ने ४ सौ करोड़ का टैक्स लगाया है, रेल का भाड़ा बढ़ा, पेट्रोल का रेट बढा । उसका १६ परसेंट मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों और अध्यापकों का खर्चा बढ़ गया ।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी नारायणदत्त जी तिवारी द्वारा ४८ करोड़ का घाटे का बजट प्रस्तुत कर दिया है । नोट-छापे जायेंगे, चीजों के दाम बढ़ेंगे, जो दो नम्बर का रुपया है उससे अध्यापकों, कमचारियों, पंचायत मंत्रियों का शोषण होगा । इसलिये हम सुझाव नहीं देंगे । अगर माननीय नारायण दत्त तिवारी में हिम्मत है, मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर मिला था, कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ३१ करोड़ ८० लाख रुपया बिक्री कर का बकाया है । ४८ करोड़ रुपये के नये टैक्स न लगा कर माननीय नारायण दत्त दिवारी को कानपुर के जैपुरिया, लाला रामरतन गुप्त, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिन पर करोड़ों रुपया बिक्री कर का बकाया है, नये समाजवाद को लाने के लिये क्या उनकी फैक्टरियों को नीलाम करवायेंगे ? उन्होंने एक उत्तर दिया कि एक समझौता हुआ था । वह समझौता जनसंघ, ने, भारतीय क्रांति दल से, समाजवादी दल से नहीं किया था । तीन करोड़ रुपये का नुक्सान होता है, बिड़ला को बिजली देते हैं, १.९० पैसा पर यूनिट के हिसाब से और गरीब किसान को १८ पैसे के हिसाब से देते हैं । मैं चाहूंगा कि जैसे राजा महाराजाओं की पेंशन समाप्त करने के लिये विशेष बिल लाया गया, जैसे और विशेषाधिकार खत्म किये जा रहे हैं, क्या यह सरकार निकम्मी है, वह ऐसा बिल नहीं ला सकती है । मिर्जापुर के पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के लिये, फेक्टरियों में काम करने गरीब मजदूरों को राहत देने के लिए, बिड़ला से तीन करोड़ रुपये लेने के लिये १८ पैसे के हिसाब से बिजली देनी चाहिये । कहा जाता है कि कौन सा टैक्स लगाया जाय इसके लिये सुझाव दिया जाय ।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो जैसे करुणानिधि ने तामिल नाडु में प्राहिबिशन समाप्त किया और वहां विदेशी शराब का नीलाम होता है, वैसे ही यहां कदम उठायें । लखनऊ में वी०आर०मोहन पूंजीपति हैं । वह कहां हैं ? जनसंघ में हैं ? समाजवादी दल में हैं ? इंडिकेट के अन्दर हैं । गाजियाबाद में शराब बनती है और लखनऊ की तमाम सड़कों पर बोर्ड लगे हैं । इन शराब की दूकानों को नीलाम किया जाय इससे ५० करोड़ रुपये का फायदा होगा । जब मैं मांग करता हूं कि राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाय तो त्रिपाठी जी और नारायणदत्त जी कहते हैं कि रुपया नहीं है । मैं बतलाता हूं कि ५० करोड़ रुपया शराब से आयेगा, ३१ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से आयेगा । ३ करोड़ रुपया बिरला से मिलेगा । इसमें से १३ करोड़ रुपये राज्य कर्मचारियों के लिये निकल आयेगा और ४८ करोड़ रुपये का घाटा भी पूरा हो जायगा । लेकिन न आप जयपुरिया की फैक्टरी नीलाम करायेंगे और

[श्री रामगोपाल संड]

न बिरला को १८ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे और आप डिग्री कालेज के अध्यापकों को, पंचायत मंत्रियों को, नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देंगे ?

आप भी उपाध्यक्ष महोदय समाजवादी हैं और जेल यात्रा भी हमने की है। हम पीटे गये हैं तो आप अस्पताल में देखने भी आये हैं। २०,२२ साल से गरीबी को मिटाने की बात कही जा रही है। जब नारायण दत्त तिवारी तथा त्रिपाठी जी विरोधी पक्ष में थे तो रोज राजकर्मचारियों के लिये आंसू बहाते थे और आज गद्दी पर बैठने के बाद कहते हैं कि उनके पास १३ करोड़ रुपया नहीं है। केंद्र में उनकी ही सरकार है। ७६ संसद सदस्य यहां से चुन कर गये कितना रुपया खर्च किया उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन क्या आज उनका इतना भी दबाव केन्द्र पर नहीं है कि वहां से १०० करोड़ रुपये इस प्रदेश को दिलवा सकें। दल बदल का जिक्र भी कहां तक किया जाय? बेगम साहिबा २८ तारीख तक इधर बैठती थीं फिर उधर चली गयीं मंत्री बनने के लालच में। टी०एन० सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश का तथा बुन्देलखंड का विकास नहीं कर पाये हालांकि वह बड़ी ईमानदारी से विकास करना चाहते थे, लेकिन अब आप ही करें, आपके द्वारा ही इस प्रदेश का भला हो।

आप इस बजट को पढ़ें। उसमें कर्मचारियों के लिये कुछ भी नहीं है। राज्य कर्मचारियों, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यापकों को, नगरपालिका के कर्मचारियों को तथा पंचायत मंत्रियों को ५० रुपये अन्तरिम सहायता मिलनी चाहिये थी और आज के सूचकांक के अनुसार उनको जीवित रहने लायक वेतन भी मिलना चाहिये था जो कि २२० रुपये है लेकिन पंचायत मंत्रियों को यह सरकार ७०रुपये देती है, प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को १२५रुपये तथा माध्यमिक स्कल के अध्यापकों को १४० रुपये देती है। यह सरकार कोठारी आयोग की सिफारिश को भी लागू नहीं करती। सारे प्रदेश में विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब ४ हजार विद्यार्थी पढ़ते थे उस समय विश्वविद्यालय को जितना अनुदान मिलता था आज भी उतना ही अनुदान उसको मिलता है जब कि वहां ८ हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय घाटे में चल रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ८ जुलाई तक वेतन नहीं मिला। बड़ी संख्या में विद्यार्थी वहां से पढ़कर पी०सी०एस०, आई० ए० एस० हो कर निकलते हैं। बहुतों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है लेकिन आज वहां पर अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पाता है। यही हालत कानपुर तथा आगरा विश्वविद्यालय की भी है। डिग्री कालेज के अध्यापक रोज प्रदर्शन करते हैं कि उनको वेतन दिया जाय।

इसी प्रकार विद्युत् कर्मचारियों के लिये एक वेज बोर्ड बिठाया गया। उसकी रिपोर्ट आप देखें तो आपको विदित होगा कि कर्मचारियों के वेतनक्रम में केवल इतना ही परिवर्तन हुआ है कि उसकी अन्तिम सीमा बढ़ा दी गयी है। जूनियर नोटर ड्राफ्टर, रेकार्ड कीपर का वेतनक्रम जो पहले १२०से२२० रुपये था वह अब ११० रुपये से २५० रुपये कर दिया गया है। इसी तरह तकनीकी वर्ग के रंगसाज, बढ़ई, मिस्त्री, लोहार, फिटर और टर्नर का वेतनक्रम ७५–११५ से ७०–११८ रुपये कर दिया गया है। हाइडल के सब स्टेशन अटेंडेंड आदि के श्रेणियों के कर्मचारियों का मूल वेतन तथा अन्तिम सीमा दोनों घटे यानी ११०–१६० रुपये का वेतन क्रम से ८०–१४५ रुपये का वेतनक्रम कर दिया गया। बिजली कर्मचारी इसलिये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वे आन्दोलन करेंगे। बिजली भी नहीं बढ़ रही है। नारायण दत्त जी तथा त्रिपाठी जी दिल्ली जाते हैं लेकिन गाजीपुर, बलिया व आजमगढ़ के लिये अटोमिक एनर्जी का प्लांट लगवाने में सफल नहीं हो सके। उनको चाहिये कि वे इस प्लांट को केन्द्र से लगवाये, कर्मचारियों को मंहगाई केन्द्र के स्तर पर दें, बिरला को १८ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दें ताकि पावर हाउस घाटे में न चलें।

अभी-अभी एक वेतन समिति बनी है। यहां के जो कर्मचारी हैं और सेक्रेटेरियेट के जो कर्मचारी हैं उनमें वेतन-क्रम में कितना कितना अन्तर है वह मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर जो कर्मचारी हैं उनका वेतनक्रम इतना कम है कि उनके अन्दर एक असन्तोष पैदा हो

जाता है। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। मान्यवर, सचिवालय में जो अधिकारी हैं उनका वेतन क्रम ८०० से ११५०रु० है और जो आपके अन्दर अधिकारी कार्य करते हैं जो देवकी नन्दन मित्थल हों, चाहे सहायक सचिव हों उनका वेतन क्रम ८०० से ९५० रु० तक ही है। जो आपके यहां पर साधारण लोग बैठे हुए हैं यदि ये सेक्रेटेरियेट में चले जायं तो इनको ३५० से ७५० तक का वेतन क्रम मिलेगा किन्तु आप इनको २५० से ५५० रु० का वेतन कम ही देते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह असमानता क्यों है। हमारे प्रान्त के कर्मचारियों में नगरपालिका कर्मचारियों में और प्रदेश के अन्य विभागों के कर्मचारियों में जो असन्तोष फैला हुआ है वह इसी कारण से है कि आप उन्हें केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं। जो नये वेतन मानो को निर्धारित करने के लिये आपने समिति गठित की है उसमें आपने कर्मचारियों का प्रतिनिधि क्यों नहीं किया है। उस समिति में मेरी मांग है कि कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये। प्रदेश का कर्मचारी अपनी समस्याओं से जूझ गया है वह जल गया किन्तु आप उसकी चिन्ता नहीं करते हैं। मैंने जब देखा कि जो आपने अलीजहीर के प्रतिनिधित्व में यह कमीशन नियुक्त किया है उसमें विधायकों को ही क्यों रखा गया है। कर्मचारियों का इससे कोई लाभ होनेवाला नहीं है। उनका भी एक प्रतिनिधित्व इस समिति में होना चाहिये था।

मान्यवर, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। वहां पर एक नया बाजार लगाया गया है। माननीय लक्ष्मीशंकर यादव जी यहां नहीं हैं। ५ करोड़ रुपये का घाटा प्रदेश में चल रहे हैं ७ नये बाजारों में हुआ है पिछल तीन सालों में, जिसमें कि खाली इलाहाबाद नये बाजार में १ करोड़ २२ लाख रुपय का घाटा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय लक्ष्मीशंकर यादव से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों ये नये बाजार भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को देने के लिये आपके पास १३ करोड़ रुपया नहीं है कि आप केन्द्र के समान उनका महंगाई भत्ता कर दें। आपका प्रशासन कैसे स्वच्छ हो सकता है। प्रदेश की प्रगति पेंशन देने से या विधवाओं को पेंशन देने से नहीं हो सकती है। मैं दावे के साथ पूछना चाहता हूं कि पिछले २३ वर्षों से अब तक क्यों प्रदेश की बेरोजगारी दूर नहीं हुई। आज हाई स्कूल, इंटर, बी० ए०, बी० एस-सी० पास करने के बाद, इंजीनियरिंग और डाक्टर्स की उपाधि प्राप्त करने के बाद क्यों हमारे प्रदेश में बेकारी और भुखमरी फैली हुई हैं। उसे दूर करने के उपाय आप क्यों नहीं सोचते हैं। हजारों शिक्षक आज बेरोजगार हैं। क्यों आप उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ऐसी औद्योगिक शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है जिस प्रकार की रूस, चीन और अमेरिका में दी जाती है। मान्यवर यही कारण है कि यहां पर नक्सलपंथी बढ़ेंगे। क्यों यह सरकार प्रजातांत्रिक ढंग से भारतीय संस्कृति में समाजवाद नहीं ला पाई।

मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि आज इलाहाबाद के इरादत गंज में १० हजार बंगला देश के लोग आये हैं। कल मेरे भाई माननीय रूपनाथ सिंह जी यादव ने एक सवाल उठाया था उनके बारे में मैं भी वहां मौके पर गया था। वहां पर करया और जसरा नामक स्थान पर १० हजार बंगला देश के स्वयं सेनानी आये हैं। ये हमारे अतिथि हैं किन्तु आज उन अतिथियों को जैसा कि नेशनल हेराल्ड अखबार ने लिखा है कि उनको जो पीने का पानी दिया जा रहा है वह हाथ धोने और कुल्ला करने के काबिल भी नहीं है। मान्यवर, इस संबंध में सरकार से उत्तर आना चाहिये। यह प्रदेश यदि उनको सहायता नहीं दे सकता था तो क्यों इतना बोझ उठाया। वे बंगला देश के स्वतंत्रता के सैनानी हैं। हिन्दुस्तान के एक भाग के सैनानी हैं। जिन्ना साहब ने उर्दू भाषा के लिये साम्प्रदायिकता का विष फैलाया और मुजीब साहब ने उर्दू को हटाकर बंगला भाषा को समर्थन दिया। उर्दू एक विदेशी भाषा है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जानें वाली है। भगवती चरण वर्मा के शब्दों

में उर्दू हिन्दी की एक शैली है, यदि उसे फारसी लिपि में न लिखा जाय तो उसका व्याकरण हिन्दी का है ।

जिस समय राजर्षि टंडन आपके पद पर आसीन थे, १९४७ में यह फैसला हो गया था कि इस प्रदेश में एक भाषा है वह हिन्दी है जिसको तुलसी ने, सूर ने, रहीम ने, रसखान ने जो अल्लाह पर विश्वास रखते थे, आगे बढ़ाया । आज शिक्षा निदेशक उर्दू के लिये अलग बनाये जा रहे हैं, डिग्री कालेज के लिये प्रबन्ध हो रहा है । बेगम ऐजाज रसूल कौन हैं ? ये मुसलिम लीग के जो एक बड़े नेता थे उनकी पत्नी हैं और जिन्ना साहब इनके घर पर जाकर ठहरा करते थे । आज बेगम साहा । उधर बैठकर बड़ी खुश हैं, नेहरू जी की दुहाई देती हैं । आज इस प्रकार से जो उर्दू का भूत खड़ा किया गया है इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है । हम उर्दू को प्रदेश की दूसरी राज भाषा नहीं बनने देंगे । यदि उर्दू आती है तो आपसी वैमनस्य आता है । इसीलिये बंगला देश के नौनिहाल मुजीब ने उर्दू को अपने यहां राजभाषा नहीं बनने दिया और आज वहां का हर नागरिक बंगला पढ़ता है, लिखता है, गीतांजली पढ़ता है, इसीलिये वहां बंगला को मान्यता दी जाय । यहां उत्तर प्रदेश में डिवीजन करने के लिए १० फीसदी मतदाताओं को खुश करने के लिये उर्दू की बात कही गयी है ।

व्यक्तिगत रूप से मैं उर्दू का विरोधी नहीं हूं । उर्दू भाषा पढ़ाई जाय, उर्दू लोग पढ़ें, लेकिन उसके लिये इतनी बड़ी मात्रा में विभाग खोला जाय, १० हजार अध्यापक रखे जायं इसका मैं विरोध करता हूं ।

एक बात आप से और कहकर मैं विदा ले लूंगा । मैं आपके द्वारा सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं, कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिये । भ्रष्टाचार रोकने की बात करने से भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता । समाजवाद लाने और बेकारी दूर करने की केवल बात करने से नहीं रुकेगा । हमारा देश मनुष्य प्रधान है, इस बजट के अन्दर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का कोई विवरण नहीं दिया गया है । मान्यवर, जब तक इस प्रदेश की शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं किया जायगा, राष्ट्रभाषा हिन्दी का विकास नहीं किया जायगा और वर्तमान शिक्षा संघ के अध्यापकों को, प्राथमिक अध्यापकों और उन कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं किया जायगा तब तक प्रदेश का भला होने वाला नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं आप से प्रार्थना करूंगा और यह चेतावनी दूंगा कि अलीगढ़ के अन्दर जो उर्दू की भाषा सन् ४७ में राजर्षि टंडन और पंत जी के नेतृत्व में दफनाई गयी थी उसका भूत खड़ा करके इस तुलसी, सूर, रहीम और रसखान के प्रदेश में फिर से अलगाव की नीति को अपनाकर उस भूत को जगाने का प्रयत्न न करें और सरकार को अविलम्ब राज्य कर्मचारियों के लिये १३ करोड़ रुपया की व्यवस्था करके केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ता देकर और नगर महापालिकाओं की समस्या को हल करके प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिये ।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । वित्त मंत्री जी को भी धन्यबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्मानित सदन के समक्ष एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिससे हम को एक नयी आशा और उत्साह मिला है। मान्यवर, मुल्क को आजाद हुए लगभग २४ वर्ष हो गये और २४ वर्ष के भीतर यहां पर कई हुकूमतें आयीं और गईं लेकिन आप देखेंगे मान्यवर, कि हमारी सरकार जो अभी थोड़े दिनों से ही हुई है, उसने जितना महान काम इतने समय में कर लिया, आज के पहले बनी हुई सरकारों ने नहीं किया था । बहुत मांग होती रही कि दंडित कर्मचारी बरी किये जायं, वे अपने काम पर वापस

बुलाये जायं और चौधरी चरण सिंह, के मुख्य मंत्री रहते बराबर हमारे विरोधी सदस्य मांगते रहे लेकिन उनके काम पर जूं नहीं रेंगी । हमारी सरकार आयी, उसने दंडित कर्मचारी बहाल किये और उन्हें अपने काम पर वापस बुलाया ।

अभी पूर्व वक्ता उर्दू का बड़ा विरोध कर रहे थे । सरकार का एक कर्त्तव्य होता है कि प्रदेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं और खास कर जो अपंग हैं, अपाहिज हैं और जो कम तादाद वाले हैं उनकी वह रक्षा करे । यह उसका कर्त्तव्य है ।

इसी सिद्धान्त के अन्तर्गत उर्दू को भी अपनाया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उनका कहना है कि अध्ययन अध्यापन के कार्य के लिये तो उसको रखा जाय लेकिन उसके द्वारा जो अलगाव की भावना पैदा की जा रही है, इसकी रोक होनी चाहिये ।

श्री शिवकुमार पांडेय---

हम तो उसको सेंकिड फार्म के रुप में अपनाना चाहते हैं । हमारे देश में रहने वाले मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है उनकी भाषा को हम मरने नहीं देना चाहते हैं, उनकी सभ्यता को मिटने नहीं देना चाहते । उनके मजार, उनकी मसजिद और उनकी भाषा की हम रक्षा करना चाहते हैं, यह हमारी सरकार का महानतम लक्ष्य है ।

विद्यार्थी यूनियनों को तोड़ दिया गया था, उनको इस सरकार ने मान्यता दे दी है । बंगला देश से जो शरणार्थी आये हैं उनकी देखरेख का गुरुतर भार हमने अपने ऊपर लिया है और उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, उनका मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं । किसानों के खेतों के लिये तत्काल पानी देने के लिये सरकार प्रयत्नशील है । अनुसूचित जातियों और हरिजनों के लिये हमने आर्डिनेंस निकाला है । उनके रहने के लिये मकानों और जमीन की व्यवस्था की जा रही है । इतने कम समय में जो जल्दी से जल्दी हो सकता था वह किया जा रहा है और किया गया है और समाजवाद को लाने के लिये उसका रास्ता साफ करने के लिये जो कदम उठाने चाहिये थे वे उठाये गये हैं और इतनी तेजी के साथ उठाये गये हैं, मैं चेलेन्ज कर सकता हूं कि इतनी तेजी के साथ किसी और सरकार ने इससे पूर्व नहीं उठाये हैं ।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जिन तकलीफो का वर्णन किया है, वे आज की नही बहुत पुरानी हैं । श्री चन्द्रभान गुप्त, पंत जी, सम्पूर्णानन्द जी श्री टी० एन० सिंह और श्री चरण सिंह के जमाने में वे चली आ रही हैं । लेकिन उन तकलीफों को दूर करने की कार्यवाही इतनी तेजी से हमारी सरकार ने ही की है । मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नेता विरोधी दल को जिन्होंने हरिजनों को याद तो किया । अगर वे नेता विरोधी दल न होते तो वे कदाचित उस पार्टी में न रहे होते, न जाने कहां होते । वे न चल पाते हैं, न बोल पाते हैं और नेता विरोधी दल बने हुये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आप नहीं कह सकते, वे नेता विरोधी दल नहीं बने हैं और न किसी और ने बनाया है, वह तो श्री अध्यक्ष द्वारा बनाये गये हैं । और वह भी उनके दल की संख्या के ऊपर बनाये गये हैं ।

श्री शिव कुमार पांडेय---

मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं । माननीय नेता विरोधी दल स्वयं ही निर्णय ले लें कि वे कहां होते अगर वह नेता विरोधी दल न होते तो ।

मैं यह कह रहा था कि ये सारी तकलीफें पुरानी हैं और उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है । इस बात को देखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वाकया

[श्री शिवकुमार पांडेय]

तो यह है कि किसान आज भी बड़ा दुखी है खासकर इस बार बे टाईम बरसात होने के कारण उसका सारा अनाज सड़ गया। उसके पास न तो अनाज ही रहा और न भूसा ही रहा लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पूरे तौर पर सहायता देने के लिये कोई योजना नहीं बनायी। वैसी कोई योजना नहीं बनायी जैसी कि सरकार उस समय बनाती अगर उतना नुकसान किसी व्यापारी का हो गया होता। वह व्यापारी तो अपना दिवाला निकाल कर बैठ गया होता और सरकार भी उसकी सहायता करने के लिये तैयार हो जाती। यह इसलिये है कि किसान का तबका बहुत गरीब तबका है। इसलिये सरकार भी उतना ध्यान उनकी तरफ नहीं दे सकी है जितना उसको देना चाहिये।

मान्यवर, उनको कुछ छूट दी गयी है, ५०–१०० रुपया तकावी भी दी गयी है। मेरा तो कहना यह है कि अगर उसकी फसल मारी गयी है तो उसका खाद और बीज भी मर जाना चाहिये, उसके लिये लिया गया सारा कर्जा उसका बिलकुल माफ हो जाना चाहिये, चाहे उसमें सरकार का कितना ही नुकसान क्यों न होता। उसकी वसूली मुल्तवी नहीं होनी चाहिये वह तो छोड़ ही देना चाहिये। कुछ ऐसी भी रकमें है जो खाद बीज के अलावा ली गयी हैं उनकी वसूली स्थगित की जा सकती है लेकिन उसके बारे में भी मेरा निवेदन है कि वसूली मुल्तवी के दिनों की सवाई और सूद उस पर न लिया जाय। वसूली जो स्थगित की गयी है वह आज नहीं तो एक साल बाद वसूली की जायगी। यह कोई राहत नहीं हुई। इसलिये जो देना है वह छूट के रुप में दीजिये, केवल बसूली स्थगित करने से कोई लाभ नहीं होगा।

तीसरे इस प्रान्त का बड़ा दुर्भाग्य रहा, हम तो जब से विधायक हो कर आये तब से चार मुख्य मंत्री इस प्रान्त में आये। त्रिपाठी जी चौथे मुख्य मंत्री हैं। इससे प्रान्त में बड़ी अव्यवस्था फैल गयी है। लोगों के दिमांग में यही बात है कि यह सरकार कब तक रहेगी। और यह अस्थिरता हम ही लोगों की वजह से रही चाहे वह दल बदलने के कारण रही हो या किसी कारण से। इसका परिणाम यह हुआ कि तमाम अधिकारियों पर से मंत्रियों का रोब बिल्कुल खत्म ही गया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि मंत्री फाइल मांगते हैं और सचिव फाइल नहीं भेजते। मंत्री आर्डर देता है और सचिव उसको कार्यान्वित नहीं करते। मैंने तो लिख कर दिया था कि मंत्री जी को कि मैं आपको मंत्री मानूं या गिरजा शंकर पांडेय को मंत्री मानू। मंत्रियों में हमारे जिले के श्रीपति मिश्र और सचिवों में गिरजा शंकर पांडेय, ये दो ऐसे हैं जो नमस्ते बड़े प्रेम से करते हैं, बोलेंगे बड़े प्रेम से और क्षमा भी बड़ी जल्दी मांग लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ा रहा कि हमारे महमूद अली साहब पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर हैं और पांडेय जी सचिव हैं लेकिन मालूम हुआ कि पांडेय जी ही मंत्री का काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

काम तो करते ही होंगे, यह दूसरी बात है कि किसी की सुनते न हों।

श्री शिव कुमार पांडेय—

अब काम तो करते ही हैं। न कुछ करते होंगे तो फाइलों पर दस्तखत ही करते होंगे। यही स्थिति जिले के लेविल तक चली गयी है। एक सबसे बड़ी खराबी आ गई है जो हर सदस्य स्वीकार करता होगा। आज हमारे सामने दरोगा घूस मांगता है। मैं जब सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर था तो उनकी यह हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज अगर मैं रिपोर्ट लिखाने जाऊं तो मोहर्रिर भी मुझसे पैसा मांगने लगेगा। इसका कारण यह है कि उसको डर नहीं रह गया है। मैं अगर शिकायत करूंगा कि यह हेड कांस्टेबिल पैसा मांग रहा था तो कोई दूसरे खद्दरधारी जाकर कह देंगे कि नहीं, यह तो बड़ा अच्छा आदमी है। यही कारण है कि आज खुले आम भ्रष्टाचार हो

रहा है। और यह खराबी पहले से चली आ रही है। मेरे ही गांव के मेरे थाने के दरोगा ने कई आदमियों से घूस ले लिया और अगर मैं बोलूं तो कोई दूसरे भाई उसकी मदद को आ जायेंगे। तो यह जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार आज फैला हुआ है इसको दूर करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिये। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, एक दिन दरोगा मुझ से बात कर रहे थे कि देवी सिंह नाम का एक डाकू था। वह जंगलों में कैम्प डालकर रहता था। एक दूसरे दरोगा थे। हो सकता है कि वही हों, लेकिन वह कहते थे कि एक दूसरे दरोगा जीप पर निकले और देवी सिंह से बातें करें और १-२ हजार रुपया देवी सिंह दे दे और उसके बाद वह चले आयें। फिर उनका कैम्प एक जगह पड़ा हुआ है और सिपाही गश्त कर रहे हैं और उधर देवीसिंह झांसी के जंगल में टहल रहा है। पी० ए० सी० के लोगों ने गल्ती से एक दिन उसी देवी सिंह को मार दिया तो दरोगा का नुक्सान हो गया। वह दरोगा उसकी रक्षा करते थे। गांस में डाकुओं की रक्षा ये पुलिस वाले करते हैं। डाका पड़ता है उसमें हजारों रुपया वे लूटते हैं। जब आपस में डाकू बांटते हैं तो बहुत कम पैसा पाते हैं १००, २०० ही पाते हैं लेकिन दरोगा बड़ी रकम पाते हैं। एक डाकू ने हमको बताया कि हम तीन डकैतियों में पकड़े गये लेकिन हमको मिला ६५ रुपया ही और दरोगा ने पाया ७५०० रुपया।

किस गांव में अगर कोई डकैती पड़ती है तो वह गलत या सही आदमी बुलाते हैं और उनको परेशान करते हैं। उनसे उनको रुपया मिल जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि हर एक डाकू बहुत पाता है तो १०० या २०० रुपया हिस्सा और एक दरोगा १०, ५ और २ हजार तक आमदनी करता है। इसलिये इस तरह से डकैती बन्द नहीं हो सकती है। हमारी यह सरकार जो समाजवाद का नारा लेकर आई है और मेरा विश्वास है कि वह समाजवाद की तरफ बराबर बढ़ रही है। इस नई सरकार का बजट बता रहा है कि वह समाजवाद के रास्ते पर चल भी रही है। भ्रष्टाचार का हर तरह से विरोध करना चाहिये। मैं बहुत साफ बतला देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इसके लिये एक मजबूत विभाग कायम होना चाहिये जो इसकी जांच करे। उसकी जांच उसी विभाग से नहीं कराना चाहिये। यहां पर होता यह है कि गिरदावर की शिकायत कीअगर जांच कराना है तो वह उस गिरदावर के पास ही भेज दी जाती है। पहले वह डी० एम० के पास जाती है फिर तहसीलदार के पास जाती है और फिर उसके पास पहुंच जाती है। यह नहीं होना चाहिये कि वह स्वयं अपनी जांच करे। यह कैसे हो सकता है कि वह अपनी शिकायत की जांच खुद ही करे। क्या इस तरह से सही जांच हो सकती है? यदि सही रूप में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है तो कोई मजबूत विभाग इसके लिये अलग से कायम किया जाय जो केवल, भ्रष्टाचार की ही जांच करे और किसी बात से इसका मतलब न हो।

पिछले दिनों जब यहां पर बहस हुई तो पानी पड़ने से गल्ले के नुक्सान के बारे में बहुत कहा गया। माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि रेविन्यू वाले गलत रिपोर्ट देते हैं। जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो वह रेविन्यू विभाग से ही मांगी जाती है कि कितना नुक्सान हुआ। खेत के नुक्सान की रिपोर्ट रेविन्यू विभाग सदा गलत ही देता है जब कि उसकी जिम्मेदारी यह है कि वह सही रिपोर्ट दें। कुछ आंकड़ों का धन्धा ही इनका ऐसा है कि जिससे यह बातें समझ में नहीं आती हैं। पानी अधिक बरसा या नहीं बरसा तो धान और जड़हन की फसल नष्ट हो गयी और यदि किसी ने सांवां बो दिया जो नष्ट नहीं हुआ तो उस पर वह सब पिछला हिसाब ऐसा लगा देते हैं कि नुक्सान पचास फीसदी से कम है। सांवां की फसल धान से अलग है। इस प्रकार सांवां की पैदावार जोड़कर यदि ५० फीसदी से कम नुक्सान हुआ है तो कह देते हैं कि यह तो बाढ़ पीड़ित नहीं है और इनको नुक्सान नहीं हुआ है। अगर धान और जड़हन की फसल किसी की बर्बाद हो जाती है और सांवां हो जाता है तो उनका नुकसान वह ५० फीसदी से ज्यादा नहीं बताते हैं। सांवां थोड़ा सा लोग बोते हैं और उसमें हुई पैदावार से धान के नुक्सान की कमी पूरी नहीं की जा सकती मगर वह उसको भी उसमें शामिल कर लेते हैं तो यह रेविन्यू विभाग का तरीका गलत है।

[श्री शिवकुमार पांडेय]

कोआपरेटिव की बात कही गई। उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। आज कल तो यहां पर जो कोआपरेटिव के मिनिस्टर हैं उन्होंने इस तरफ बहुत ध्यान दिया है। कोआपरेटिव को सुधारने में उनका जितना ध्यान है उतना आज तक जितने भी मिनिस्टर हुये हैं उन्होंने किसी ने नहीं दिया है। लोग लाखों का कर्जा कोआपरेटिव से लेते हैं। बनारसीदास के लड़के ने बीमा के जरिये कोआपरेटिव से करोड़ों रुपया पैदा किया है। अगर कोआपरेटिव कमेटी ने बीमा का प्रस्ताव तक नहीं किया तब भी वे बीमा करने पहुंच गये और बिना स्वीकृति के बीमा करा लिया, इस तरह से उनसे रुपया लिया गया। श्री बनारसीदास का लड़का करोड़पति हो गया है इस कोआपरेटिव में बीमा कराने के जरिये से। इस तरह से हमारे सैंडीकेट के मालिक बनारसीदास करोड़पति हो गये हैं महज इस कोआपरेटिव के बीमे के जरिये से.....

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)--

जो सदस्य यहां पर नहीं हैं उनके खिलाफ आक्षेप इस तरह से लगाना गलत होगा।

श्री शिव कुमार पांडेय--

अगर मेरी बात गलत या अनुचित हो तो मैं उसके लिये माफी चाहता हूं। और अगर सही होती हो तो मेरी बात उन तक पहुंचाने की कृपा करें। लक्ष्मी शंकर यादव ने इस बात की व्यवस्था की कि कर्जा किसानों को चेक से दिलाया जायगा। जिस आदमी को भी कर्जा मिलेगा वह अब बैंक से केवल चेक द्वारा ही मिलेगा। मेरे जिले में एक सज्जन हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन वह यहां सिन्डीकेट कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं उनके ऊपर १९ हजार रुपया बाकी है और १४ साल से आडिट तक नहीं हुआ है, सारा हिसाब किताब गड़बड़ है और कुछ नहीं हुआ है। हमारे यादव जी ने अब ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसी सब गड़बड़ी दूर हों और इसके लिये वह हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

इस सदन में एक दिन और बड़ी चक चक चली कि जो आई० जी० होने वाले थे वह नहीं हुये और दूसरे को बना दिया गया। चौधरी साहब के जमाने में उनको नहीं किया गया और इस सरकार ने उनको आई० जी० बना दिया। इस सरकार ने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी सिफारिश के उनको आई० जी० बनाया गया। कोई उस बात का खयाल नहीं किया गया कि वे हिन्दू हैं या मुसलमान है। समाजवाद के इस रास्ते और इतनी निष्पक्षता की तारीफ तो विरोधी दल के लोगों को भी करना चाहिये। इस तरह से समाजवादी बजट की सराहना हमें आशा है कि सारा सदन करेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

*श्री मोहन लाल (जिला हमीरपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इस बजट पर जो सामान्य चर्चा चल रही है उसी सम्बन्ध में मैं अपने विचार यहां प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने इस बजट को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसको गौर से देखा। इसको देखने से पता लगा कि जिस तरह से पुराने जमाने में किताबें स्तुति से आरम्भ होती थीं वही तरीका माननीय तिवारी जी ने बजट भाषण के आरम्भ में अडाप्ट किया है। उन्होंने उसका आरम्भ इन्दिरा जी की वन्दना से किया है और उन्होंने उसमें लोकसभा के चुनाव के बारे में भी लिख दिया कि उनकी समाजवादी नीतियों से नया युग आरम्भ हो रहा है जब कि देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि झूठे प्रलोभन और प्रचार कर के वोट लेने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयास उन के द्वारा किया गया है। जो बेचारे गरीब देहाती आकाश वाणी को ईश्वर की वाणी समझते हैं उस पर रात दिन उनकी कांग्रेस को जगजीवन राम की कांग्रेस कहा गया, न गांधी जी की कांग्रेस, न जवाहर लाल नेहरू की कांग्रेस बल्कि जगजीवन राम की कांग्रेस कहा गया। मुल्लिम लीग से इनके समझौते हुये। जनता को धोखे में डाला गया कि वही एक काम धेनु है और उनके समाजवाद के नाम पर सारी चीजें एक साथ हो जायंगी और भोली जनता उनके कहने में आ गई, देश की जनता परेशान और गरीब तो थी ही उसने आंख मीच कर उनको बहुमत दे दिया लेकिन इस सरकार ने क्या किया और किन नीतियों पर यह सरकार बनी है यह सब जानते हैं। समाजवाद की नीतियां उसे स्वीकार नहीं हैं और न उस पर यह सरकार बनी है बल्कि दलबदल के परिणाम पर ही इस सरकार का निर्माण हुआ है।

इसके अलावा इस बजट भाषण में जहां माननीय तिवारी जी ने और सब बातें कहीं हैं उन्होंने इसमें बड़ी चतुराई से बजट की पोलपट्टी भी खोल दी है। उन्होंने इ समें बजट के आंकड़ों को, प्रस्तुत किया है। सन् ६०–६१ में उनका शुद्ध अन्तरिक उत्पादन १७९९ करोड़ था और दस वर्ष बात वह बढ़ कर २३७० करोड़ का हो गया और इतनी आय हुई। इस तरह से दस वर्ष में केवल५७ लाख रुपये प्रतिवर्ष की ही बढ़ोत्तरी हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का क्या हश्र होगा, किस तरह से लोगों पर से कर भार कम होगा, कैसे हमारी आय बढ़ेगी और किस तरह से कर्मचारियों का वेतन आदि बढ़ सकेगा।

दूसरे उन्होंने अपने इस बजट में किसानों को भी राहत देने की बात कही है। आज हमारे यहां ८५ प्रतिशत आदमी गांवों में रहते हैं और केवल १५ प्रतिशत लोग ही नगरों में रहते हैं। देहात की पूरी आय का औसत केवल ५६ प्रतिशत है...

एक सदस्य––

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पंखा नहीं चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप जहां पंखा है, वहां बठ जायें, वह ठीक कराया जायगा।

श्री मोहन लाल––

आज देहात के लोगों की आय बहुत कम है और वहां का रहने वाला दिनोदिन गरीब से गरीब बनता चला जाता है, यह इस बजट से साफ जाहिर है।

दूसरी बात, मान्यवर, आप देखेंगे इसमें इन्होंने बिजली का आश्वासन दिया है कि हम आठ-नौ साल में सारे प्रदेश में बिजली लगा देंगे। मान्यवर, यहां पर एक लाख १२ हजार गांव हैं। उनमें एक लाख के करीब गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। जब २३ वर्षों में केवल १२ हजार गांवों तक ही बिजली पहुंची है तो एक लाख गांवों में बिजली पहुंचाने में कितना समय लग जायेगा इसका अनुमान श्रीमन्, हम लगा सकते हैं। यह जनता में झूठा प्रचार करने की कोशिश की जा रही है कि हम यहां समाजवाद ला रहे हैं। श्रीमन्, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको हमारे नेता विरोधी दल ने विस्तारपूर्वक कहा और हमारे अन्य विरोधी दल के नेताओं ने भी प्रकाश डाला है। मान्यवर, इसके अलावा मुझे थोड़ी सी बातें अपने जिले के बारे में भी कहनी हैं। मान्यवर, मैं हमीरपुर जिले से, जो बुन्देलखंड में है, आता है। उसकी स्थिति आपके सामने रखता हूं। वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी हैं जहां माननीय पन्त जी के जमाने में केसेज चले आ रहे हैं लेकिन आज तक उन केसेज का निपटारा नहीं हुआ है। कठिनाईयों को देखते हुये दो तीन महोबा में ग्रान्ट भी हो गई थीं लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा, आज जितना भ्रष्टाचार, पी० डब्ल्यू० डी०, यातायात और चकबन्दी में फैला हुआ है, लाखों रुपया उसमें लिया जाता

[श्री मोहन लाल]

है, कोई सुनवाई नहीं होती। बेतवा पर पुल बनाने की स्कीम सन् ६० में स्वीकार हुई थी वह सन् ६७ में पूरी हो जानी चाहिये थी लेकिन ७१ में आधे से कम काम हुआ है वह पूरा नहीं हुआ। मालूम हुआ है कि उसमें इंजीनियर तथा ठोकेदार कोशिश कर रहे हैं कि इसकी दुगुनी रकम कर दी जाय।

इसी तरह से मान्यवर, आप देखिये कि हमीरपुर जिले में दो बांध बनाये जाने मुकर्रर हुये थे। एक बांध बरवल ऐसा है कि जिसके बारे में कलेक्टर ने कहा है कि यह बरबल नदी पर नहीं बनाया जाना चाहिये उस पर भी उन्होंने इस बात की कोशिश की कि जिसके बारे में जिलाधीश कहते हैं कि इसको बनाया जाना जनता के हित में नहीं है उसको चालू कर रहे हैं और जिसको कलैक्टर, वहां की सारी जनता, प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिकारी यह कहते हैं कि इस बांध को बनाया जाना चाहिये उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पर अगर हम एक एक पर गौर करें तो हम देखेंगे कि यहां की सरकार ने लोगों के लिये समाजवाद की स्थापना कर रही है और न ही ऐसी स्कीमें ला रही है जिससे इसकी गरीबी दूर हो। हरिजनों को जो भूमि पिछली सरकार ने पट्टे पर दे दी थी उसका यह हाल है कि जो पुराने जमींदारी थे वे उनको वे जमीन जोतने नहीं देते और न ही लेखपाल और न ही कानूनगो उन पट्टों को बताते हैं। सरकार यहां से कानून भी बनाये जा रही है और आदेश भी चले जाते हैं लेकिन मशीनरी इतनी ढीली है कि वहां दो दो हजार और पांच पांच सौ रुपये चार और पांच एकड़ के पट्टे के लिये उन भूमिहीनों से मांगे जाते हैं। इसमें हुआ क्या जो पुराने जमींदार थे उनके यहां जो किसान थे या हलवाही करते थे उन्होंने वे पट्टे उनके नाम करवा लिये हैं। इस तरह पट्टा देकर जमीन किसी को नहीं मिली। सरकार ने इसके अलावा जो अध्यादेश निकाला कि हरिजनों को जमीन और जिनके मकान नहीं हैं उनको मकान दिया जायेगा। लेकिन हमीरपुर जिले में किसी को जमीन नहीं दी गई। वे यह कहते हैं कि दो सौ रुपये या एक हजार रुपये दो तो जमीन देंगे वरना नहीं देंगे। वर्षों से हरिजनों के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये कहा जाता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं और हम भी मानते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं।

आज समाजवाद के युग में आरम्भ से जो सरकार बन रही है उसमें चार मिनिस्टर ऐसे हैं जो दो डाक्टरेट लिये हैं और दो बहुत अनुभवी हैं। अगर वह लोग चाहें तो जो उनके महकमे हैं उनमें हरिजनों को पूरा कर दें। इस तरह से जो गरीब लड़के हैं वह नौकरी में आ सकते हैं और उनकी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन हमारे हरिजन मिनिस्टर ही खुद इस बात की कोशिश नहीं करते हैं। ब्राह्मण या क्षत्रीय मिनिस्टर तो कुछ सुन भी लेते हैं, लेकिन हरिजन मिनिस्टर तो और भी त्रेपन बनते हैं, बात ही नहीं सुनते हैं। और कहा यह जाता है कि इनकी अशिक्षा और बेकारी दूर नहीं हो रही है। जो इस चौथाई डिपार्टमेंट्स हमारे लोगों के हाथ में हैं उनमें भी उनको ठीक से नौकरी नहीं मिल पाती है इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग खुद इस बात की कोशिश नहीं करते हैं कि हरिजनों को मौका दें।

मान्यवर, एक प्रार्थना और करनी है। बस का जो हमारे यहां साधन है वह बहुत कम है। वहां इतना भ्रष्टाचार है कि एक-एक कंडक्टर, ड्राइवर और ए० जी० एम० सैकड़ों रुपये कमाता है। ठीक समय से बस नहीं चलती। बिना आठ आना, रुपया, दो रुपया दिए ठीक से बस नहीं मिलती। तो जहां पर रेल्वे के साधन नहीं हैं, जहां नेशनेलाइज्ड रूट्स हैं, जहां आवागमन के साधनों की दिक्कत है, वहां प्रायवेट टैक्सीज होनी चाहिए या बसों की संख्या बढ़ाकर साधन दिये जाने चाहिए।

श्रीमन्, बुन्देलखन्ड नक्शे में बिल्कुल नीचे है। जो मांग की जाती है कि हमारा बुन्देलखंड एक अलग सूबा बने उसका कारण यह है कि हम लोग बहुत ऊब गए हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बुन्देलखन्ड में शायद ही किसी गांव में बिजली है। वहां न सड़कें

हैं और सिंचाई का यह हाल है कि हमारे यहां एक तहसील में तो पानी है बाकी में कोई साधन नहीं है। पिछली बार जब टी० एन० सिंह जी ने बुन्देलखन्ड के विकास के सिलसिले में मीटिंग बुलाई थी तो मैंने कहा था कि चूंकि हमारे यहां ट्यूबवेल कामयाब नहीं हो पाते इस लिए जो चन्देलों के जमान के तालाब हैं उनको ठीक करा दिया जाय तो उनसे काम चल सकता है। सारी स्कीमें तो बन जाती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता। हर बजट में हम आशा लगाते हैं कि अब पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान किया जाएगा लेकिन न पूर्वी इलाके का, न बुन्देलखन्ड का और न पहाड़ी इलाके का ही कुछ ध्यान किया जाता है। बजट का सारा रुपया ऐसे क्षेत्रों में खर्च हो जाता है जहां प्रभावशाली आदमी हैं और जो ज्यादा से ज्यादा रुपयों का दुरुपयोग करते हैं।

पिछले २३ वर्षों में हमारे साथ दुर्भांति का व्यवहार हुआ है। हमारे यहां न कोई डिग्री कालेज है न कोई यूनिवर्सिटी है। बड़ी मुश्किल से एक मेडिकल कालेज की स्थापना झांसी में हुई है, वह भी चालू नह. पाया है। हमीरपुर जिले में केवल एक इंटरमीडिएट कालेज है। बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन में कोई डिग्री कालेज सरकार की तरफ से नहीं है। न कोई यूनिवर्सिटी है, न कोई मेडीकल कालेज है और न कोई इंजीनियरिंग कालेज है। केवल झांसी में एक आई० टी० आई० है। हमीरपुर जिले में एक आई० टी आई० का प्राविधान था लेकिन वह तोड़ कर न जाने कहां कर दिया। हमारे यहां एक छोटा सा पोलिटेक्निक कालेज है, आप बुन्देलखन्ड को कुछ चीजें नहीं दे सके हैं, जो कि आपको देनी चाहिए थी। वहां पर खनिज पादार्थ प्रचूर मात्रा में हैं। अभी आपने सुना होगा कि हमीरपुर में ग्रेफाइट की खाने हैं और बांदा में भी खनिज पदार्थ हैं। वहां की मिट्टी में बालू की तादाद बहुत अधिक है। अगर वहां के साधनों को निकाला जाय तो काफी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं और लाखों आदमियों को काम मिल सकता है। अब तक यह कुछ नहीं हो सका है। हमारे यहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वहां पर सिंचाई के साधन दे दिए जाएं तो उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से को केवल बुन्देलखन्ड गल्ला दे सकता है। गल्ला रखने के लिये भी हमारे यहां गोदाम नहीं हैं। मेरी शासन से यह प्रार्थना है कि जो बुन्देलखंड के लिए आप विकास निगम बनाते जा रहे हैं, उसकी नियुक्ति शीघ्रतिशीघ्र होनी चाहिए, तभी वहां का उत्थान हो सकेगा।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मान्यवर, १५ मिनट की सीमित परिधि में इस विशाल प्रदेश की समस्याओंमें प्रस्तुत बृहत बजट तथा माननीय वित्त मन्त्री जी की विप्रतापूर्ण लम्बे भाषण, के प्रति पूर्ण न्याय करना किसी प्रकार मेरे लिये सम्भव नहीं है केवल आपकी उदारता का सहारा लेते हुए मैं प्रयास करूंगा। कि प्रचलित बजट निर्माण पद्धति में, विनियोग विधेयक पारण के पश्चात् उस बजट की व्यय प्रणाली में मैं कुछ सुझाव पेश कर सकूं और तत्पश्चात उत्तर प्रदेश की आर्थिक अवस्था की चिन्ताजनक रेखाओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। अन्त में मेरा यह प्रयास होगा कि मैं कुछ वास्तविक इस प्रकार के सुझाव सरकार के समक्ष रखूं जिन के कार्यान्वियन से निश्चित रूप से इस प्रदेश का कदम समाजवाद की ओर बढ़े।

मान्यवर, वस्तुस्थिति यह है कि गत वर्षों में इस प्रदेश के वित्त विभाग ने आर्थिक व्यवस्था में घाटे की परिपाटी अपनाई है। यदि इस तथ्य का हम निकट से गत वर्षों के बजटों में अध्ययन करें तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि इस घाटे की परिपाटी में सन् १९६८ पर एक अन्तर की रेखा खींची जा सकती है। सन् १९६८ के पूर्व जो राज्य के आय-व्ययक प्रस्तुत किये गये उनमें परिलक्षित अनुमानित आय की धनराशि से वास्तव में अधिक आय हुई और जो अनुमानित व्यय परिलक्षित किये गये उन से वास्तव में व्यय कम हुआ। नतीजा यह हुआ कि १९६८ से पूर्व के घाटे के बजट जो उत्तर प्रदेश के अन्दर पेश होते रहे हैं वे अन्त में, श्रीमन्, सरप्लस बजट सिद्ध होते गये। यह अवस्था यहां तक पहुंच गई कि लोगों की आस्था सरकारी

[श्री शिवराज सिंह]

बजट की सत्यता से जाती रही और यह समझा जाने लगा कि घाटे के बजट केवल नये टैक्स वसूल करने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं । इसका एक फायदा तो अवश्य हुआ। सरकार को इस घाटे के बहाने से समाज के उस वर्ग पर टैक्स लगाने का जो कि उसको दे सकता था एक हैन्डिल मिल गया और सरकारी एक्सचेकर में रुपया भी आ गया परन्तु, श्रीमन्, इससे दो बहुत बड़े नुक्सान हुए। सरकार को टैक्स इवेजन को रोकने के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे वे नहीं कर पाई और जो प्रयास टैक्स की बकाया की तेजी से वसूल करने के लिए करने चाहिए थे वे भी नहीं कर पाई। सन् १९६८ के पूर्व उन प्रयासों में इस कारण शिथिलता ही रही। लोक लेखा समिति भी इस प्रकार की सिफारिश वर्ष प्रति वर्ष शासन से करती रही कि आय-व्ययक में अनुमानित आंकड़े वास्तविक और शुद्ध होने चाहिए। मुझे इस सन्दर्भ में सन्तोष है और खुशी है कि सन् १९६८ के बाद जो बजट इस प्रदेश के अन्दर प्रस्तुत किये गये हैं वे घाटे के अवश्य हैं पर आय तथा व्यय के आंकड़े वास्तविक तथा शुद्ध सिद्ध हुए हैं। सन् ६८ के बाद के जो बजट पेश हुये हैं वह भी घाटे के पेश हुये हैं लेकिन अन्त तक वे घाटे के ही रहे हैं। इस काल में इस राज्य के वित्त विभाग ने एक नई शैली अपन ई, और दुख है कि भारत के सभी राज्यों ने अपनाई है कि संभावित खर्च अधिक होनेपर भी टक्सेशन कम से कम लगाने की कोशिश की है। फायनेंस कमीशन की पांचवीं रिपोर्ट में भी इस बात की शिकायत की गई है कि टक्सेशन के नाखुशगवार फर्ज को पूरा करने से सभी राज्य हटते जा रहे हैं: उद्धरण:—

"The additional tax measures adopted by State Government from year to year were on a diminishing scale being Rs.40 crores in 1966-67, Rs.26 crores in 1967-68 and Rs.18 crores in 1968-69."

मान्यवर, इस वर्ष भी घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है लेकिन नये टैक्स का प्रपोजल वित्त मन्त्री जी ने नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस घाटे की कहां से पूर्ति होगी? सम्भवतः यह राज्य सेक्युरिटीज से पूर्ति की जावेगी। पिछले वर्षों में जब घाटे के बजट आये थे और नये टक्स नहीं लगाये गये थे तब उनकी पूर्ति राज्य सेक्युरिटीज से की गई थी। १९६७ में इस राज्य में ९७ करोड़ की सेक्यूरिटीज थी, जो अब केवल ४७ करोड़ की रह गई है। तो इनके राज्य की सेक्यूरिटीज की बिना पर कब तक घाटे के बजट का सामना किया जा सकेगा। वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष रक्खें कि पहली विधान सभा काल में सेक्युरिटीज क्या थीं और धीरे-धीरे किस प्रकार वे क्षीण होती चली गई हैं। यह इसलिये रखने की जरूरत है ताकि हम समझें कि सरकार ने टक्स न लगाकर सेक्यूरिटी की बिना पर डेफिसिट फायनेंसिग की है। डेफिसिट फायनेंसिग से चीजों के भाव बढ़ना स्वाभाविक है। हम एक ओर चाहते हैं कि चीजों के भाव न बढ़ें और दूसरी ओर डेफिसिट फायनेंसिग करते रहें। यह मुनासिब नहीं है। मेरा अनुरोध है कि घाटे को पूरा करने के लिये वित्त मन्त्री जी टैक्स इवेजन को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठावें। जो पुराने टक्सों की बकाया धनराशि ४५.८७ करोड़ होती है। मान्यवर, इस बकाया धनराशि की वसूली के लिये भागीरथ प्रयत्न सरकार की ओर से होना चाहिए।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि दूसरी परिपाटी वित्त विभाग अपनाता है कि बहुत सी मांगों को बगैर जांच किये हुए बजट में शामिल कर लेता है। इस बजट में ऐसी योजनायें सम्मिलित हैं जिनकी समय के अभाव के कारण विस्तृत जांच नहीं हो सकी। इसकी स्वीकृति के पूर्व विस्तृत जांच की जावेगी और आवश्यक हुआ तो संशोधन कर दिये जावेंगे।

मान्यवर, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्स कमीशन ने वित्त प्रशासन रिपोर्ट के ११२ पेज पर स्पष्ट रूप से यह कहा है:

"There will be a total ban on the inclusion of lump sum provisions in the budget. Important schemes which are not yet ready in detail for

execution could be brought up in supplementary demands and less important ones could be left over for the next regular budget."

श्रीमन्, यह कहा गया है कि यह प्रथा गलत है कि वगैर जांच किये हुए कोई मांग बजट में शामिल की जाय, जब कि सप्लीमेंट्री बजट की परिपाटी मौजूद है।

यह परिपाटी कई वर्षों से प्रदेश के अन्दर चली आ रही है। मान्यवर, मुझे बड़ा सन्तोष है कि इस प्रदेश के अन्दर परफारमेंस बजट, जिसकी सिफारिश एडमिनिस्ट्रेशन रिफाम्मर्स कमीशन ने की थी, जारी हो गया है। परन्त इस परफार्मेंस बजट का प्रयोग वित्त विभाग को अधिक स्वयं करना है। जब अगले वर्ष के लिय योजनागत मांगों को स्वीकार करें तो वित्त विभाग पिछले वर्ष के परफारमेंस का मूल्यांकन अवश्य कर लें। मैं यह इस आधार पर कह रहा हूं कि तृतीय योजना काल अन्तर्गत मिसाल के लिय फिश मार्म्स के खोलने का प्राविधान था। वर्ष प्रतिवर्ष फिशपोण्ड बनाने के लिए योजनानुसार मागें वित्त विभाग हर वर्ष बजट में सम्मिलित करता गया था। लेकिन पांच वर्ष के पश्चात् यह जानकारी हुई कि किसी वर्ष भी एक पैसा उन स्वीकृत मांगों का उस योजना के अन्तर्गत फिश पोंड निर्माण पर खर्च नहीं हुआ और कोई फिश पोंड तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार अगर अन्धकार में रखकर पिछले वर्ष के परफारमेंस का मूल्यांकन किये बगैर पैसा बजट में रख दिया जाय तो यह व्यवहार सदन के प्रति अनुचित होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस परफारमेंस बजट का ज्यादा इस्तेमाल वित्त विभाग को स्वयं करना है और जिन विभागों से परफारमेंस बजट तैयार नहीं किया जाता उनके सम्बन्ध में भी जब कभी योजनागत मांग रखी जाय तो पिछले वर्ष का मूल्यांकन अगले वर्ष के लिए धनराशि रखने से पहले करना बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, इस राज्य के अन्दर पूरक अनुदानों को प्रस्तुत करने की परिपाटी है। अनुभव यह है बहुत सी पूरक अनुदानों में ग्रान्ट के अन्दर जो मांगें प्रस्तुत की जाती हैं उनसे कहीं अधिक बचतें वर्ष के अन्दर उन्हीं मांगों में हो जाती हैं। मान्यवर, आप सोचें कि जहां हम डेफिसिट बजट का सहारा ले रहे हों वहां इस प्रकार की उदासीनता कहां तक उचित है। एक तरफ महकमे में धनराशि बच रही है और दूसरी तरफ सप्लीमेंटरी बजट के माध्यम से मांगें प्रस्तुत कर रहे हैं मैं अनुरोध करूंगा कि पूरक बजट पेश करने से पूर्व इस बात का मूल्यांकन कर लें कि क्या वे मांगें जिनके सम्बन्ध में मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं उस विभाग की ओर उस मांग की सेविंग्स से उनकी पूर्ति हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो केवल टोकन मांग मांगकर काम चलाया जाय और नई धनराशि मांग कर प्रदेश पर बोझ न डाला जाय। मान्यवर, व्यय करने के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि पिछला तजुर्बा है कि इस सदन में बजट पास हो जाने के पश्चात् वित्त विभाग से स्वीकृति प्रदान करने में काफी वक्त लग जाता है। यह आये वर्ष की शिकायत है। साल में १२ महीने होते हैं और इस वर्ष जबकि ५ महीने का वोट आन एकाउन्ट ले चुके हैं केवल सात महीने शेष रह गये हैं। इसलिए आवश्यक है कि जैसे ही बजट पास हो जाय वित्त विभाग उस सम्बन्ध में अपने आदेश तुरन्त प्रसारित कर दे।

मान्यवर, अपने इस सुझाव को बल देने के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन (वित्त प्रशासन) की रिपोर्ट के एक अंश को प्रस्तुत करना चाहता हूं :

"A prompt system of communication of the new budget grants is necessary in all cases."

यानी इस सदन से विनियोग विधेयक पारित हो जाने के बाद तुरन्त बिना किसी विलम्ब के वित्त विभाग से विभागों की स्वीकृति आदेश प्रसारित हो जाने चाहिए। मान्यवर, इतना ही नहीं हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, उनका प्रापर प्रोग्रामिंग टाइम फेजिंग बहुत आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत साल भर में जो खर्च दर्शाया जाता है उसका फेजिंग प्रोग्राम सदन के समक्ष नहीं आता है लेकिन न उस पर सदन की राय ली जाती है और न उस पर यहां

[श्री शिवराज सिंह]

विवाद ही किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि साल का बहुत काफी हिस्सा मांग विशेष के सम्बन्ध में खर्च किये बिना ही रह जाता है और इसके बाद जो बचत होती है उस को देख कर श्रीमन्, बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपके सामने पी० ए० सी० की रिपोर्ट से कुछ उद्धरण पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है—"लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६८ (पैरा २८, पृष्ठ २७) में कहा गया है कि चार अनुदानों में से प्रत्येक में उपयोग में न लाई गई धन व्यवस्था (कुल ५७.४१ करोड़) कुल धन व्यवस्था (११४.७३ करोड़) के २५ प्रतिशत से अधिक थी तथा छः अनुदानों और एक विनियोजन में खर्च न की गई राशि ५ प्रतिशत से ११ प्रतिशत तक थी।"

मान्यवर, २५ प्रतिशत से अधिक धन बिना खर्च किये रह गया। राज्य व्यापार योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६१-६२ में ५२ प्रतिशत बिना खर्च किये धन रह गया। सन् ५-६६ में ४६ प्रतिशत बिना खर्च किये रह गया और सन् ६६-६७ में ५६ प्रतिशत धन बिना खर्च किये रह गया। इसको हम सेविंग नहीं कर सकते। बजत के मानी तो यह होता है कि योजना गत जितनी धनराशि हो उसके अन्तर्गत हो अपना काम पूर्ण कर लें और फिर उसमें जो धनराशि बच जाय वह बचत है। मान्यवर, यहां तक देखा गया है कि योजना के अन्तर्गत अगर किसी विभाग को कुछ धनराशि दी गयी तो वे उस सम्पूर्ण धनराशि को भी व्यय करने में असमर्थ रहे। बहुधा यह देखा गया है कि विभाग के पास बहुत सा धन बिना खर्च किये हुए रह जाता है और उसको समय से वे सरेंडर भी नहीं करते फाइनेंशियल हैन्ड बुक में यह नियम है कि जैसे ही इस बात की सम्भावना मालूम पड़े कि बचत होने वाली है तो विभाग को तुरन्त ही उसकी जांच करके उस धन को सरेंडर कर देना चाहिये। उससे लाभ यह होता है कि दूसरे विभाग जिनको जितने धन की आवश्यकता पड़ती है, वहां उसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सी मिसालें ऐसी है लेकिन मैं उसके आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं। साल बीत गया और बहुत सा धन सरेंडर ही नहीं किया गया। इस साल के बजट में तो करीब ४९ करोड़ रुपये का घाटा ही दिखलाया गया है लेकिन १००-१०० करोड़ रुपये तक की धनराशि सरेंडर होने से कई बार रह गयी। इसलिये मैं संकेत मात्र कहना चाहता हूं कि इस साल जब कि घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है, उस परिस्थिति के अन्दर इस प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिये। और इस प्रकार की कोशिश होनी चाहिये कि जिन विभागों का रुपया खर्च होने से रह गया हो, और आगे खर्च होने सम्भावना न हो उन सबको इकट्ठा करके उस घाटे की पूर्ति करें जिससे जनता पर और कोई कर का बोझ न पड़े।

श्रीमन्, इस राज्य के अन्दर एक और परिपाटी चल गयी है जिसकी ओर मैं संकेत कर देना चाहता हूं। इस राज्य के अन्दर सदन से बजट पारित हो जान के पश्चात काफी मदों में एक्सेस करने की परिपाटी चल पड़ी है जबकि सदन की स्वीकृति के बिना एक पैसा भी अधिक नहीं खर्च करना चाहिये। मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में विभागों को कड़ी चेतावनी दे दें कि जो धन सदन द्वारा स्वीकृत हुआ है उससे अधिक खर्च न किया जाय।

मान्यवर, इस राज्य के अन्दर कर्जा अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। १९६७-६८ में इस राज्य पर ७९३.८३ करोड़ का कर्जा था। १९६८-६९ में वह बढ़कर ८८७.७४ करोड़ हो गया और १९६९-७० में वह बढ़कर १००२.१७ करोड़ हो गया। इस कर्जे पर जो राज्य कोव्याज देना पड़ता है उसके कारण हमारी अर्थ व्यवस्था बड़ी चिन्ता जनक हो गई है। यह ठीक है कि यह कर्जा ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडीचर में व्यय किया जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडीचर कहां करना है, यह भी एक प्रश्न है। सरकार को कैपिटल

एक्सपेंडीचर उद्योग क्षेत्र में करना चाहिये क्योंकि १९५६ में जो उद्योग नीति सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र ने पास किया था वह सोशलिस्ट पैटर्न पर काम करने के बारे में था जिसमें यह कहा गया था कि राज्यों को उद्योगों के क्षेत्र में अधिक से अधिक कैपिटल एक्सपेंडीचर करना पड़ेगा। मेरी आपत्ति यह है कि राज्य में वही पुरानी घिसी पिटी पब्लिक अन्डर-टेकिंग्स चल रही हैं, नई की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है। इसके कारण आज प्रदेश में बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है। मेरी राय है कि जितनी पुरानी अन्डरटेकिंस चल रही हैं उन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए साथ ही एक समिति होनी चाहिए जो उनकी जांच कर सके या इस्टीमेट्स कमेटी को ही यह अधिकार दे देना चाहिये कि वह उनकी जांच कर सके।

मान्यवर, राज्य आय अनुदान १९६०-६१ से १९६९-७० सम्बन्धी यह पुस्तक है जिससे में यह बता रहा हूं कि पिछले दशक में कृषि आय का हिस्सा राज्य की कुल आय में किस प्रकार घटता गया। एक ओर हम गांव में रिवोलूशन की बात करते हैं, दूसरी ओर कृषि के क्षेत्र में उससे होने वाली आय का राज्य की कुल आय में प्रतिशत घटता जा रहा है। १९६०-६१ में कृषि आय राज्य की कुल आय का ६०.९ प्रतिशत थी जो १९७०.७१ में घटकर ५६.५ रह गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव में कृषि से जितनी आय होती थी वह शहरी आय की उपेक्षा घटी है। शहरों में इनकम तेजी से बढ़ी है। यही कारण है कि गांव आज अधिक गरीब होते जा रहे हैं और शहर अमीर होते जा रहे हैं। शहर और गांव के बीच प्रति व्यक्ति आय की खाई और अधिक चौड़ी होती जा रही है जो समाजवाद के बिल-कुल विपरीत है। गांव में हमारी ८७ प्रतिशत के करीब जनता रहती है ग्रामीण जनता की आय कम होती गई है। हमारा जो कन्सेप्ट समाजवाद का है, उसके यह विपरीत है। राज्य सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिये कि जो बिना मेहनत किये हुये धन कमा रहे हैं उन्हें खत्म किया जाय। देहात के अन्दर जो हाट और बाजार लगते हैं वे जिनके हाथ में होते हैं, उन्हें बिना कुछ किये ही हजारों रुपये की आय होती है। सरकार को चाहिये कि वह इन हाट-बाजारों को अपने हाथ में ले ले और उससे होने वाली आय या तो सरकार खुद ले या गांव पंचायतों को दे दे।

मान्यवर, अन्त में एक बात मैं यह जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं इनके बारे में कहना चाहता हूं। आज जो उनको परमिट आदि देने की जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। इससे तो अच्छा यह हो कि प्राइवेट गाड़ियां चलाने वालों को पूरी छूट दे देनी चाहिये, यह जो आज बड़ी धनराशि कमा रही हैं। आपकी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी बनी है, उसमें बड़ा करप्शन है, इसके सदस्य बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि इसको तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के तंख्वाह में जो अन्तर है वह भी समाप्त होना चाहिए। उनके बीच बहुत बड़ी विषमता है। दूसरे देशों में भी यह अन्तर है लेकिन बहुत कम है। यूनाइटेड किंगडम और यू० एस० ए० में क्रमशः यह १ और ११ तथा १ और ७ है। केन्द्र में १ और १५ का है और हमारे प्रदेश में यह अन्तर बढ़कर १ और २५ तक पहुंच जाता है। इसे घटाने के सक्रीय कदम उठाये जायं।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इस बजट भाषण को अद्योपान्त जो मुझे पढ़ने का मौका मिला उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनके प्रथम और अन्तिम शब्द ही ऐसे हैं जो इस बात का संकेत देते कि हमको शब्दों का जाल दिखाया गया है। इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है केवल शब्दों का जाल बुनकर प्रदेश की जनता को बहकाया गया है। कृषि, सिंचाई, बिजली, उद्योग के बारे में कोई कारागर व्यवस्था न करके सरकार हम विरोधी लोगों से ही यह कहे जा रही है कि हम उसको सुझाव दें कि

[श्री चन्द्र ाल आजाद]

यह क्या करें और उसके लिए साधन कहां से जुटाएं और सरकार स्वयं समाजवाद का गान गाये चली जा रही है। उसने केवल समाजवाद का बार-बार नारा लगाया है और इन्दिरा गांधी का गुणगान किया है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। बजट भाषण में कहा गया है—"आज हमारा राष्ट्र संकट की अभूतपूर्व घड़ियों में से गुजर रहा है। बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम तत्प्रासंगिक घटनाओं ने देश की जनता को नई चुनौतियां दी हैं।

राष्ट्रनेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अभी हाल ही में लखनऊ में ही हमें व देश को सावधान किया है कि हमें नरक में से गुजरना पड़ सकता है। एक तरफ तो उनकी दृष्टि में समाजवादी स्वप्न है, गरीबी दूर करने की कल्पना है और दूसरी तरफ नरक से गुजरने की सम्भावना है, यह दोनों इस तरह की घटनायें हैं जिन पर गम्भीरता से हमें सोचना पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री और उनकी सरकार से पूछना चाहूंगा कि ४ अप्रैल से जब से सप्त ऋषियों की यह सरकार बनी, तब से अब तक इन सप्तऋषियों ने अपनी कार्य-प्रणाली से जनता की क्या सेवा की है क्या वह सच नहीं है कि अपना अधिक समय पार्टी में दिया है? मुझे इस बात को कहने में दुख: होता है कि इन लोगों ने पूरे समय में केबिनट मीटिंग के अलावा एक दिन सातों ने बैठकर सरकारी कार्य नहीं किया है। ४० की संख्या में जो इनके मंत्रियों की टीम है, उसने अपने चुनाव क्षेत्रों में जाकर केवल सारे समय भीषण भाषण ही दिए ह और अपना प्रचार किया है। सरकारी काम उन्होंने भी कम किया है। इस तरीके से समाजवाद का नाम लेकर इस सरकार ने प्रदेश और सदन को गुमराह ही किया है। दूसरी ओर इस नई कांग्रेस की बुनियाद ही अनुशासन तोड़कर बनी है। यह सही है कि इस देश को आजाद कराने का श्रेय कांग्रेस को है, किन्तु वही नई कांग्रेस आज अनीति, अन्याय और अनुशासनहीनता भ्रष्टाचार आदि चला रही है, उसके कारण आपको इतिहास क्षमा नहीं करेगा। जिस पार्टी को देश को आजाद कराने का श्रेय प्राप्त हुआ उसी के हाथों देश की बर्बादी का सूत्रपात भी होने जा रहा है।

समाजवाद तो केवल एक कोरा नारा है। अपने प्रदेश में ही २०० करोड़ रुपये की क्षति सरकरी तौर पर भी आंकी जा चुकी है। हमारे ही मथुरा जिले के बलदाऊ क्षेत्र में लगभग ५० लाख रुपये का गेहूं ६ जून की बारिश में बह कर जमुना में चला गया। और उसके आंकड़े मैंने यहां लिख कर भी दिये हैं। इससे पहले ओले पड़े थे। ओले का भी लिख कर दिया था जिसको मैं सिद्ध कर सकता हूं। सरकार ने दो सौ करोड़ की क्षति की पूर्ति का क्या प्रबन्ध किया। लोगों को आकर्षक रूप दिखा कर जाल में फंसाया जाता है। तामिल-नाडु में डी० एम० के० का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक ही रात में २५ करोड़ की निधि दे दी गयी और यहां दो सौ क रोड़ की क्षतिपूर्ति के लिए क्या किया गया। सरकारी पक्ष के सभी वक्ता कह रहे हैं कि दो सौ करोड़ की क्षति है ही जब कि वरोधी पक्ष के नेताओं ने ६ सौ करोड़ की क्षति कहा है। केन्द्र से क्षति पूर्ति के लिये क्या सुविधा से प्राप्त की गयी जब कि बजट भाषण में केन्द्र का गान गया गया है? प्रदेश के इतिहास में आज तक किसान की इतनी पैदावार नहीं हुई और आज तक उसको तनी कम कीमत भी अपनी पैदावार की नहीं मिली जिसे किसान कभी क्षमा नहीं करेगा। ७६ रुपये का रेट केन्द्रीय सरकार ने निश्चित किया। गरीब किसान को ५६ रुपये, ६ई रुपये, ६३ रुपये, ७० रुपये से ज्यादा नहीं मिला। क्या सरकार स बात का सबूत देगी? मैं लेंज करके कहता हूं, यह सि करें, प्रदेश के किसानों की सही सूची तैयार करवाएं, जिलेवार सूची दें, २० फीसदी से अधिक अगर किसान हों, जिनको ७६ रुपये सही रेट मिला है, तो मैं स्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यह इस बात का सबूत है कि किसान पर किस प्रकार दोहरी मार पड़ी है।

किसान के नाम पर खजाने से रुपया निकाला गया। वह पैसा किसानों कोन मिल कर बीच के लोगों को, खाद्य निगम के द्वारा, नियुक्त किये गय हों, चाहे वह कच्चे आढ़ती हों,

पक्के आढ़ती हों, या एजेंट हों, उनको मिला। किसान को पैसा नहीं दिया। सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ, हमारे खाद्य मन्त्री यहां नहीं हैं, जब वह मथुरा गये तो वहां एक विशाल मीटिंग हुई जिसमें जन प्रतिनधि थे, जनता के भी आदमी थे। वहां भी मैंने संकेत किया था, वहां के अधिकारियों ने भी संकेत किया था, वहां की कोसी मंत्री के अधिकारियों ने भी गल्ले की वसूलयाबी में काफी कठिनाइयां बताई जो निगम द्वारा पैदा की गई हैं। एक व्यक्ति ने वहां कहा कि खाद्य निगम के जो कलेक्टर हैं उन्होंने मुझसे हजारों रुपया लिया। मन्त्री महोदय के समक्ष कहा, न मेरा माल बिक रहा है और न लाइसेन्स दे रहे हैं। और गल्ले की पूर्ति के लिए रद्दी गल्ला भरा जा रहा है। यहां किसानों के प्रहरी, समाजवाद का नारा लगाने वाले बैठे हैं। किसान को जो दुर्दशा इस प्रदेश में इस वर्ष हुई है, इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। बहुत कुछ अनियमितता मेरे भाईयों ने बताई हैं। यह किसान के शुभचिन्तक एक दो जिलों को परीक्षा करने के लिये ले लें और एक सूची तैयार करें कि जो किसानों को मूल्य मिला है उनमें कितने किसान ऐसे हैं जिनको जो मूल्य तय हुआ है वही मिला है।

मजदूरों के हितैषियों का भी बेरोजगारी मिटाने का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि एक क्रश स्कीम चलाई है। हम में से सभी लोग जानते हैं कि वह आदमी जो देहात में मिलते नहीं उनके लिये यह स्कीम है। उनसे सड़क निर्माण करवाएंगे और नहरों का निर्माण करायेंगे। जिस आदमी को ५ रुपये रोज मिलता है उसके लिये ३ रुपये का प्राविधान किया गया है। क्या इस तरह से पढ़े लिखों की भी बेरोजगारी दूर की जायगी? बेरोजगारी दूर करना है पढ़े लिखे लोगों की। कितने इंजीनियर बेकार हैं कितने ग्रेजुएट बेकार ह? स्कूलों में अच्छे ट्रेंड अध्यापकों की भी भरमार है। यह क्रैश स्कीम इन्हीं के कार्यकाल की है और गल्ला वसूली स्कीम भी इन्हीं के वक्त की है। समाजवाद की प्रहरी जो यह सरकार है इसने समाजवाद की प्रथम इकाई पंचायत मन्त्रियों को प्रथम दिन ही गिरफ्तार कर शुभारम्भ किया जो वज्र अपशकुन है। उनकी मांग के औचित्य को मानते हुए भी उसने उनको जेल भिजवा दिया उनकी आहों से यह सरकार बच नहीं सकती।

अखबार में आज यह भी पढ़ने को मिला कि प्रधान मन्त्री ने संकेत किया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये कांग्रेस जन आन्दोलन करे। बजट भाषण में बताया गया कि प्रति व्यक्ति की औसत आय २५३ रु० से २५९ रु० हो गई है लेकिन सरकार यह भी देखे कि बाजार में चीजों के भाव भी कितने बढ़ गये हैं। उस अनुपात से पर कपिटा इनकम बढ़ी जिस अनुपात से बाजार के भाव बढ़े हैं। ऐसी हालत में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जनता को आवाहन किया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि जिस सरकार का आरम्भ ही भ्रष्टाचार पर हुआ हो वह भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकती है? क्या यह सच नही है कि यशपाल कपूर नाम के व्यक्ति लखनऊ के किसी बड़े होटल में आकर ठहरे थे और विधायकों को तोड़ने के लिये न जाने कितना रुपया पानी की तरह बहाया था और उनकी औकात क्या थी।

एक सदस्य—

पृथ्वी नाथ सेठ को आप क्यों भूल जाते हैं?

श्री चन्द्रपाल आजाद—

वह रुपया उनके पास वहां से आया? क्या उसका कोई हिसाब यह सरकार सदन के सामने रखेगी? तो जो सरकार स्वयं भ्रष्टाचार पर बनी हो वह भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकती है?

यह सरकार किसानों के प्रति हर तरह की ज्यादती कर रही है। उनकी कोई सुनवाई आज नहीं है। लाखों मन गल्ला फसल पर सड़ गया है। उसका मूल्यांकन सरकारी

[श्री चन्द्रपाल आजाद]

तौर पर भी किया गया है और यह सरकार किसानों के आंसू भी नहीं पोछ सकती। आज भी उन किसानों से सभी प्रकार की सरकारों ऋणों की वसूलयाबी हो रही है। मथुरा जिले के गोकुल क्षेत्र में किसानों से सरकारी वसूलयाबी की जा रही है, जहां लाखों मन गल्ला सड़ गया।

शिक्षा के विषय में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। शिक्षा मन्त्री यहां उपस्थित नहीं हैं लेकिन आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि शिक्षा प्रणाली में एक के बाद दूसरा परिवर्तन किया गया है लेकिन दुख इस बात का है कि यह तय नहीं हो पाता कि वह शिक्षा क्या होगी जिस पर देश को चलाया जाय। हम यह सब महसूस करते हैं कि शिक्षा की जो प्रणाली है इसमें नवयुवकों को कोई ऐसी चेतना जाग्रति नहीं दी देश के सभी शिक्षाविदों ने शिक्षा में नैतिकता के अभाव को महसूस किया है परन्तु अभी तक उसका सुधार नहीं हो सका है जो अति आवश्यक है। उनको ऐसी शिक्षा का ज्ञान नहीं कराया गया कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसके लिये इस बजट में ठोस कार्यक्रम होना चाहिए था। उद्योगों के बारे में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों में इजाफा हुआ है और उनका परसेंटेज प्रदेश में बढ़ा है। मैं कहता हूं कि यदि आप यह मानकर चलें कि प्रदेश में बड़े उद्योगों के बजाय लघु उद्योगों के लिये कोई योजना बनायें तो प्रदेश की हालत अच्छी हो सकती है। उन लघु उद्योगों को आप जिले-जिले में अपनायें तो प्रदेश की सर्व प्रथम गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, प्रदेश के पढ़े लिखे लोग रोजगार पा सकते हैं और किसी सीमा तक उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप प्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो प्रदेश के जिले-जिले में आप-काटेज इंडस्ट्रीज खुलवा दें।

सहकारिता के बारे में भी यहां पर चर्चा की गई। यहां पर पेमेन्ट के लिये एक चेक प्रणाली ईजाद की गई है। वह चेक जो किसानों को दिया जाता है वह सरपंच के द्वारा दिया जाता है। पेमेन्ट के लिये सरपंचों को बीच में मध्यस्थ बना दिया गया है जो कि उनसे पहले बट्टा मांगते हैं और तब उनको चेक देते हैं। यदि आपको यह चेक प्रणाली ही चलानी है तो उनको आप सीधे बैंकों के जरिये से क्यों नहीं करते हैं। सरपंच की मध्यस्था समाप्त होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ प्रदेश में जो जनसंख्या बढ़ गई है उनके सम्बन्ध में आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि प्रदेश के हित के लिये जसा कि सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है प्रदेश के टुकड़े कर दिये जायं जिससे प्रदेश की उन्नति हो सके। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। और बजट भाषण का विरोध करता हूं।

(श्री रामलाल राही का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्यारेलाल शर्मा (जिला मेरठ)--

मैं बार-बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं किन्तु आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया है। अतः मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्यारे लाल सदन त्याग कर चले गये)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

ये पार्टी से भी गये और सदन से चले गये।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट यहां पर सदन में वर्ष १९७१-७२ के लिये पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस बजट में हमारे वित्त मन्त्री माननीय

नारायण दत्त तिवारी जी ने समाजवादी दृष्टिकोण अपना करके जिस सूझ-बूझ के साथ बनाया है उसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। मान्यन्र, इस बजट की मुख्य-मुख्य बातें बिलकुल स्पष्ट हैं जैसे चीनी मिलों का अधिग्रहण करना, जो श्रमिक जनता खेती पर लगी हुई है उसको रोजगार की तरफ लगाना इत्यादि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि एक प्रगतिशील और समाजवादी नीति की द्योतक है। इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह सही है कि यह बजट बहुत अच्छा है और बहुत उत्तम है तथा समाजवादी है। अगर इस बजट का कार्यान्वयन सही रूप से हुआ तो वास्तव में हमारे प्रदेश का कदम समाजवाद की ओर बढ़ सकता है और इस प्रदेश की गरीब जनता की गरीबी और बेरोजगारी मिट सकती है। किन्तु मान्यवर, यदि इसका कार्यान्वियन सही नहीं हो पाया, इस बजट में दी गई योजनायें हम लागू नहीं कर पाये तो फिर यह बहुत मुश्किल हो जायेगा कि हम प्रदेश की गरीबी और बेकारी को मिटा सकें। और यह कहना कि यह समाजवादी बजट है, बहुत मुश्किल हो जायेगा। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इस बजट को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक है कि प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फला हुआ है जो कि धीरे-धीरे पनप रहा है, वर्षों से पनपता आ रहा है, उसे दूर किया जाय। अगर उसे दूर नहीं किया गया तो २४ साल हमें आजाद हुये हो गये। बेकारी, बेरोजगारी मिटाने का प्रयास होता रहा है, हरिजनों की समस्याओं का समाधान सोचा जा रहा है।

नयी नयी योजनायें बनायी गयीं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। एक ही कारण है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। गत वर्ष बजट को भी मा० नारायणदत्त जी ने ही पेश किया था उसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये जिलाधिकारियों का सम्मेलन बुलाये जाने की बात कही थी। मुख्य मंत्री जी ने जिला कप्तानों को बुलाकर उनकी मीटिंग की थी। बजट में कहा गया था कि अगर भ्रष्टाचार बढ़ा, प्रशासनिक कमजोरी आयेगी तो यह उत्तरदायित्व व्यक्तिगत जिलाधिकारियों का माना जायगा, पुलिस प्रशासन के संचालक जिला स्तर पर कप्तान साहबान का माना जायगा। मैंने देखा कि थोड़ा-बहुत सुधार हुआ, कुछ सरकारी कर्मचारी सहमे, चाहे दफ्तर में, सेक्रेटेरियट में काम करने वाले हों या जिलों में, लेकिन अब कोई डर-भय नहीं रहा। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इन अधिकारियों की जांच करने के लिये, इन सरकारी कर्मचारियों की जांच करने के लिये इस प्रशासन के फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति बनावें जिसको पूर्णरूपेण अधिकार दें। वह मौके पर जाय, देखे और अधिकारी के खिलाफ सबूत, साक्ष्य मिलता है तो उसके आधार पर तत्काल उसे मौत्तिल किया जाय, उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायं। जब इस तरीके की कार्यवाही होगी तभी प्रशासनिक भ्रष्टाचार दूर होगा।

जहां तक हम गलत अधिकारियों के विरोध म सख्त कार्यवाही करने का पक्षपाती हूं, वहीं हम चाहते हैं कि प्रशासन में बैठे स्वच्छ प्रशासन देने वाले ईमानदार प्रशासकों को बल दिया जावे। परन्तु हम देख रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है। लोग, चाहे ईमानदार हो चाहे बेईमान हों, एक ही तराजू में तोले जा रहे हैं। मैं एक मिसाल बता दूं, बहुत छोटी सी बात लगेगी। मेरे यहां एक यशपाल सिंह दरोगा थे जिला सीतापुर में। ९ साल रहे, एक नये पैसे के रवादार किसी के नहीं रहे। कोई व्यक्ति उनकी शिकायत करने के लिये तैयार नहीं हुआ। इतने ईमानदार और आचारवान व्यक्ति थे। आज उनको लखनऊ में बैठाल दिया गया है। कोई कंट्रोल रूम कहलाता है वहां नियुक्ति की गयी है, यानी ऐसी जगह पर रख दिया गया है जहां पर गलत और भ्रष्ट आदमी को सजा जब देनी होती है तब रखा जाता है। इससे तो सरकारी कर्मचारी जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन न मिल कर उनका मनोबल ही गिरेगा। इस प्रकार अगर ईमानदार और अच्छे कर्मचारियों को परेशान किया गया तो वह भी बेईमान और भ्रष्ट हो जायंगे।

[श्री रामलाल राही]

मान्यवर, बेरोजगारी मिटाने और समाजवाद लाने की बात कही गयी हमारे सरकारी पक्ष से भी और विरोधी पक्ष से भी। हम भी अपने को समाजवादी कहते हैं और हमारे सिंडीकेटी भाई जो हैं, सोशलिस्ट हैं, और जनसंघी भी अपने को समाजवादी कहते हैं। हम भी समाजवादी हैं इसको मैं तो मानता हूं, आप भी मानते हैं। आप दोष भी देते हैं कि हम समाजवाद नहीं ला पायेंगे।

मान्यवर, मैं विरोधी पक्ष के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात के कहने के हकदार हैं कि समाजवाद यह दल न ला पायेगा। आपके सब दल जब सरकार में रहे थे तो वह काम आप क्यों नहीं कर पाये। समाजवाद को लाने के रंचमात्र भी कदम क्यों नहीं उस समय उठाया गया। अगर आप नहीं सोचे, अगर आपके कुकृत्यों से बेरोजगारी और बेकारी फैली है तो फिर आपको इस सरकार की टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। अब किसी दल विशेष की बात नहीं रह गयी है। यह तो मानव मात्र के सोचने की बात हो गयी है। जो भी व्यक्ति शोषण करने वाला है, पूंजीपति है उसको तो यह मनोवृत्ति ही है, जिस प्रकार से पहले वह गरीबों और हरिजनों का शोषण डंका मार करता था, आज वह भाषणों और प्रस्तावों से शोषण करता है और हम उनके सब कुकृत्यों को देख रहे हैं। मैं उन तमाम शोषक तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अब वे जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। उन कुकृत्यों को जिनको इतने दिन तक किया है, जिनको करके बेकारी और बरोजगारी पैदा की है, अगर उसको आपने समाप्त करने की बात नहीं सोची, आपने उसके लिये कोई कदम नहीं उठाया गया तो नक्सलवादी दल अथवा एक नये दल जिसके बारे में हमने असेम्बली में सुना कि वह पैदा हो गया है, और अनेक दल बनेंगे और उन्हीं को ही अधिक कठानाई होगी जो पूंजीपति हैं। क्योंकि गरीबों के पास न तो धन है, न धरती है न और कोई साधन है लेकिन अगर नक्सली यहां पैदा हो गये तो आपका धन और धरती ही न जायगी आपकी जान भी जायगी। अतः पूंजीपतियों को सोचना चाहिये कि वैसी स्थिति न आने पाये कि जिससे इस देश और प्रदेश में खूनी क्रान्ति मचे। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी नीतियों में और परिवर्तन नहीं हुआ तो इसके जो भयंकर परिणाम होंगे वह आपको भी भुगतने पड़ेंगे केवल गरीब को नहीं।

माननीय संड जी ने कहा कि गरीबों को शिक्षा मिलनी चाहिये, उनका सामाजिक स्तर ऊंचा होना चाहिये। शिक्षा ऐसा एक यंत्र है जो गरीबी को मिटाने में बड़ा सहायक हो सकता है। अगर गरीबों के उचित ढंग से शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करें तो इस प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक विषमता को मिटाने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन आज कल जो मार्टेसरी स्कूल की शिक्षा दी जाती है, क्या उसको कोई धनहीन और गरीब अपने बच्चों को दिला सकता है? सड़क पर ठेला लगाने वाला क्या १२–१६ रुपया महीना मान्टेसरी स्कूल में पढ़ा कर अपने बच्चे की फीस दे सकता है और कैसे वह कहां से अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिला पावेगा। मान्यवर, इसकी व्यवस्था शासन को स्वयं करनी होगी। मैं तो शासन से आग्रह करूंगा कि जो गरीब, बेसहारा और बेरोजगार लोग हैं, चाहे वे शहर में रहते हों या गांव में, उनके बच्चों की सूची तैयार करे और जितने उच्च शिक्षा देने वाले स्कूल चलते हैं उन सब में उनको मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिये। ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों के बच्चों को जब मुफ्त अच्छी शिक्षा मिलेगी तब वह सामाजिक और आर्थिक तौर से ऊपर उठ पायेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो केवल बनावटी बात कह कर, जनता को धोखा दे कर कि हम समाजवाद लाना चाहते है, इन बातों से काम चलने वाला नहीं है।

अब मैं अपने जिले के बारे में दो, एक बातें कहना चाहूंगा। मेरे जिले सीतापुर में मूंगफली की पैदावार बहुत अधिक होती है और समूचे उत्तर भारत की मूंगफली की वह प्रमुख मंडी है। १९६९ मे वेजीटेबिल फैक्टरीज पर से बिक्री-कर माफ कर दिया गया। तब छोटे-छोटे

मिल वालों को यह शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर दुगुना टैक्स कर दिया जाय। और वह हुआ। वेजिटेबिल फैक्टरी पर तो माफ कर दिया और जो छोटे-छोटे काम करने वाले, १०–२०–५० मन तेल बनाने वाले थे उनके ऊपर १ परसेंट के बजाय ३ परसेंट कर दिया गया। आप देखे कि ९० फीसदी तेल वेजिटेबिल फैक्टरी लेती हैं उन पर तो टैक्स माफ कर दिया और जो १० फीसदी तेल फुटकर रूप में जाता है उस पर टैक्स लगा हुआ है। जो बेड़ मिल वाले, १००–२०० मन तेल बनाते है या एक टैंक, दो टैंक बनाते हैं, उन्हों ने तो सीधे टैंक में भराया और वेजिटेबिल फैक्टरी को भेज दिया। लेकिन जिसने २०–२५ मन बनाया वह क्या करता है? वह भी टैक्स नहीं देता है। वह सीधे दे देता है छोटे मिल वाले को और इस तरह से जब १००-२००–४०० मन तेल खरीद लिया तो फैक्टरी में पहुंचा देते हैं। इस तरह से सरकार को टैक्स का घाटा होता है। मने पिछले सत्र में भी इसके बारे में निवेदन किया था कि इस टैक्स को अगर ३ परसेंट से घटा कर १ परसेंट कर दिया जाय और वेजीटेबिल फैक्टरीज पर भी लागू कर दिया जाय तो टैक्स की चोरी नहीं होगी और जितना रुपया ३ परसेंट लगाने से मिलता है उससे कहीं अधिक सरकार को मिलेगा क्योंकि आज १० परसेंट तेल पर ही टैक्स लगता है और जो ९० परसेंट वेजिटेबिल फैक्टरीज को तेल जाता है। उस पर नहीं लगता जो जब तब मिलने लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय हो गया।

श्री रामलाल राही––

एक मिनट और दे दीजिये। समाज कल्याण के अन्तर्गत प्रोबेशन डिपार्टमेन्ट चलता है सन् ६७–६८ में इस डिपार्टमेंट को निलम्बित कर दिया गया। क्लर्क वगैरह को हटा दिया गया, केवल अधिकारी रह गये। उनकी दशा खराब है? उसके बाद जब संविद सरकार यहां पर आई तो उसको पुनः कायम कर दिया गया। इसके बाद जब माननीय शिक्षा मन्त्री जी बनारस गये···

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)––

माननीय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)––

हम लोगों को समय मिलना चाहिये। संसोपा के बहुत कम बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

यह बात सही है। कांग्रेस दल से १६ बोल चुके हैं कांग्रेस संगठन से ६, भारतीय क्रान्ति दल से ५, जनसंघ से ३, संसोपा से २ बोल चुके हैं। जब यह पूरा हो जायगा तो आपको भी समय दिया जाय। संसोपा को भी समय दिया जायगा।

श्री छांगुर राम––

मैं आपका आदेश मानने के लिये तैयार हूं। इस सामान्य विवाद पर कम से कम हर एक दल को बोलने का अवसर मिलना चाहिये। हर एक सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। वैसे आपका आदेश जैसा होगा उसको मैं पालन करुंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

समय जितना है उतने में ही मैं कोशिश करूंगा कि सब को समय दिया जाय किन्तु दलों की संख्या का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके अनुसार ही उनको समय दिया जाता है।

श्री बांकेलाल--

हमको भी समय दिया जाय ।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)--

पूर्वी जिलों की दशा खराब है, वे जिले पिछड़े हुये हैं तो उनको अधिक अवसर मिलना चाहिये ।

श्री बांकेलाल--

आप हमको भी समय दीजियेगा । हम आपका आदेश मानते हैं ।

श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि दिन भर की उठक-बैठक की तपस्या के बाद और दिन पर भोजन के लिये न जाने की तपस्या के बाद आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिये अवसर प्रदान किया । यह पहला ही अवसर है कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है यह आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है । आज जो यहां पर बजट पेश हुआ है उस पर सामान्य चर्चा के बारे में मैं भी चन्द शब्द आपके सामने कहना चाहता हूं । समाजवाद का नारा दिया गया । समाजवाद को सुनते-सुनते किसान, मजदूर और जनता के कान भर रहे हैं । समाजवाद एक बड़ी अच्छी चीज है लेकिन समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या लायेगा और कैसा होगा यह किसी को पता नहीं है । हर पार्टी और हर दल समाजवाद की दुहाई दे रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के त्याग और तपस्या के बाद और आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद देश की बागडोर हमारे कांग्रेस जनों के हाथ में आई । हम से जो जनता को आशायें थीं वह आशायें पूरी हम नहीं कर सके । इसलिये हमारी लोकप्रियता जनता के बीच में कम हुई । सरकार बनाने की हमारी सामर्थ्य नहीं रही । हम अल्पमत में हो गये । यह सब हम यहां पर पिछले २० वर्षों से करते रहे । महात्मा गांधी और जवाहरलाल जी के नाम को लेकर और उनके नाम की दुहाई देकर मनमाने ढंग से यहां पर निज हित करते रहे । हम उस रास्ते को भूल गये जिस पर हमको चलना था और हमारी स्थिति उस हद तक पहुंच गई जो उसका वास्तविक रूप कर्मानुसार होना चाहिये ।

तब महसूस हुआ कि इस पतनोमुखी दशा को सुधारने के लिये दल के कुछ होशियार और तिकड़मबाज अवसर का लाभ उठाने वालों ने समाजवाद का नारा खड़ा किया और समाजवाद के आवरण में इस भ्रामक वाद को वह लाये । उस आवरण के रूप में जनता को तरह-तरह के प्रलोभन और लालच दिये गये हैं और उन प्रलोभनों का जिक्र, सदन में बार-बार आया है और यह पिछले जो लोक सभा के एलेक्शन हुये हैं वे आप के सामने उसका एक ज्वलंत उदाहरण हैं । समाजवाद के नाम पर पूंजीपतियों के विरुद्ध जो चीजें कही गई हैं वे यथास्थान कही जा सकती हैं और उचित हो सकती हैं लेकिन इन चुनावों में जो सब से बड़ी बात देखने में आई वह यह कि एक आदमी है वह कोई मजदूरी करता है, उसके बाद एक अन्य व्यक्ति है जो खाना खा सकता है उसके पास थोड़ी सी बीघा-२ बीघा खेती है उससे ऊपर की श्रेणी में धीरे-धीरे पूंजीपति तक आते हैं लेकिन उस किसान के जरिये भी यह भड़काना कि वह खाता-पीता है और मजे में है, इसलिय वह पूंजीपति है, कहां तक उचित

है ? नतीजा इसका यह है कि इस समाजवाद के नारे के आवरण में ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी तक तो वर्ग और क्लासेज की ही लड़ाई थी और अब व्यक्ति-व्यक्ति की लड़ाई का बीज आरोपण किया गया है। एक कहावत है—और वह सत्य भी है कि जसा शासक होगा वैसी ही प्रजा भी होगी, शासन के जैसे विचार होंगे उसी तरह के विचार प्रजा के भी होत जायंगे। हम अगर ईमानदार नहीं हैं, भ्रष्टाचारी हैं तो हमारे देश में भ्रष्टाचार और बेईमानी बढ़ेगी वह घटेगी नहीं।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है हर आदमी इसके लिये चिन्तित है और चाहता है कि वह किसी तरह से रुके। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसके लिये ठोस सुझाव दें ताकि वह रुके। मैं एक उदाहरण दूंगा, नंदा जी ने कोशिश की कि वह रुक। कहा गया कि माननीय कमलापति जी ने पुलिस के कप्तानों और क्लर्कों की बैठक करक यह किया और वह किया। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश की और समाजवाद की तरक्की के लिये कहा जाता है कि संविधान में संशोधन लाया जायगा, इसका बहुत जोर है और यही बात चुनावों से पहले भी कही गई थी और आज भी कही जा रही है कि केन्द्र की सरकार उसमें संशोधन लायेगी। मैं आप को भ्रष्टाचार उन्मूलन का एक नुक्सा बतलाना चाहता हूं हो सकता है कि आप उसको कार्यान्वित करने में समर्थ हों और आपके सामने कोई कानूनी बाधा हो।

मैं सन् ५८ से गत वर्ष तक नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट अल्प बचत योजना का एजेंट था और मेरे पास उनकी एजेंसी रही है। इसमें एजेन्ट का जो एग्रीमेंन्ट फार्म होता है उस में एक क्लाज ६ है उसमें लिखा है कि कोई भी एजेंट यदि किसी तरह का प्रलोभन या किन्हीं शर्तों को तोड़ कर बिजनेस लेने की कोशिश करेगा और वह तरीके इस्तेमाल करेगा जो कानूनन वैध नहीं है तो उसकी सूचना सुपरवाईजिंग अथारिटीज के पास आने पर बिना उसको इत्तिला दिये हुये ही इस एजेन्ट की एजेंसी खत्म कर दी जायगी। जबकि स्वयं संविधान कहता है कि अगर किसी के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जाय तो उसको उत्तर का और सुनने का अवसर दिया जाय लेकिन उसके बावजूद यह धारा है और उसका पालन होता है, नतीजा यह है कि अल्प बचत योजना की एजेंसी में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने पाता और केवल जरा संदेश पर एजेंसी खत्म हो जाती है। इस लिये भ्रष्टाचार उन्मूलन के सम्बन्ध में यह जरूरी है कि शीघ्र सरकार मेरे सुझाव पर विचार करे, यह सरकार करे या केन्द्र की सरकार करे। यदि ईमानदारी से आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं चाहें वह किसी विभाग का हो तो सरकार को एक एजेंसी कायम करनी होगी चाहे वह इस सरकार की हो या सेन्टर की हो या गैर सरकारी ही हो जैसा भी सरकार उचित समझे और उसके बनाने के बाद सरकार एलान करे कि हमने अपने गुप्तचर जिले-जिले और नगर-नगर में छोड़ दिये हैं और यदि हमें किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत की रिपोर्ट मिलेगी तो बिना कोई सूचना दिये हुये उस कर्मचारी को सर्विस से टरमिनेट कर दिया जायगा। अगर इस चीज को कार्यान्वित कर सकें तो निश्चय ही मैं दावे से आपसे कहता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जायेगा।

आपको याद होगा कि चौधरी चरण सिंह की जिस वक्त सरकार आई थी उस वक्त भ्रष्टाचार उन्मूलन करने की बात फैली थी और उन्होंने कुछ कहा भी था। लोगों को डर था कि चौधरी चरण सिंह सख्त आदमी हैं। उन्होंने कुछ हाई आफिशियल्स को टच भी किया। एक सन्नाटा छाया। भ्रष्ट कर्मचारियों में बड़ी घबराहट पैदा हुई। लोग घबड़ाये रहे लेकिन उसके बाद चौधरी साहब भी जहां के तहां चले गये। यदि आप भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रस्तावित गुप्तचरों की घोषणा कीजिये चाहे आप सभी को समाप्त करें या न करें कम से कम एकाध आदमी को उसके विरुद्ध गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पनिश कर दीजिये। तो आप निश्चय मानिये कि कोई भ्रष्टाचार करने का साहस नहीं करेगा। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात, आपकी समझ में

[श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित]

एक कठिनाई की यह बात यदि आती है कि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार रत कर्मचारी मिलेंगे और यदि वे निकाल दिये जायेंगे तो काम कैसे चलेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि पढ़े-लिखे बेकारों की संख्या कम नहीं है। दूसरे लोग जो बेकार हैं वे सर्विस में लिये जा सकते हैं। एक तो भ्रष्टाचार की बात यह हुई। दूसरे जो समाजवाद की बात सरकार ने कही है।

समाजवाद का अर्थ क्या है ? इसकी परिभाषा शायद सरकार ने नहीं की है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा जो समझ सका हूं वह यह है कि समाजवाद के माने हैं कि हर आदमी को उपयुक्त अवसर और समान तरक्की करने की सुविधायें मिलें। जिस तरह से प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधायें दी हैं उसी तरह से भेदभाव किये बिना प्रत्येक व्यक्ति को सुविधायें सरकार द्वारा मिलनी चाहिये।

(इस समय ३ बजकर ५१ मिनट पर, अधिष्ठाता, डाक्टर हरिप्रसाद शाही पीठासीन हुये।)

अगर आपकी समाजवादी सरकार है और आप समाजवादी बजट लाने का दावा करते हैं तो आपको उससे पहले सोच लेना चाहिये था कि हमारे यहां वेतन-क्रम में सुविधायें और हमारे यहां पर चीजों में कोई फर्क और विभिन्नता नहीं होनी चाहिये। इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। भ्रष्टाचार के सिलसिले में एक और बात पुलिस के बारे में कही गई है। माननीय सदस्यों ने सदन में कहा है इस बारे में। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके जिले का अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता है तो वहां पर कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती है।

मैं अपने सदन के सम्मानित सदस्य श्री मनोहर लाल जी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उनकी कान्स्टीटुवेन्सी मेरी कान्स्टीटुवेन्सी से मिली हुई है। उन्हें मेरे क्षेत्र में रोक कर लूटा गया, और उनका सामान छीना गया। उस वक्त श्री राधेश्याम शर्मा एस०एस०पी० कानपुर थे। जिस दिन रात में घटना घटी उसी के दूसरे दिन शर्मा जी से मुलाकात अचानक हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके क्षेत्र में श्री मनोहर लाल विधायक लूट लिये गये और यह तो बड़ी मुश्किल हो गई है। मैंने कहा कि शर्मा जी अगर आप चाहेंगे और एस०ओ० महराजपुर चाहेगा तो मुलजिम पकड़ा जायेगा। वे थोड़ी देर बाद थाने में पहुंचे और उन्होंने एस० ओ० से कहा कि मेरा क्या होगा वह बाद में देखा जायेगा लेकिन मैं तेरे को बरखास्त कर दूंगा। सेकेंड आफिसर को इंचार्ज बना दूंगा। चीफ को कहा कि मैं तुमको दारोगा बना दूंगा। इसको फौरन वर्क आउट करो। छः घंटे के अन्दर मुलजिम मय माल के पकड़ा गया और सारा केस वर्क आउट हो गया। यह मामला श्री मनोहरलाल विधायक का है जो एक्स-मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यह तो एक उदाहरण है। यदि अधिकारी करना चाहें तो कर सकते हैं। इन चीजों को देखते हुए मैं आपसे कहूंगा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के सिलसिले में सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिये जो योजना मैंने प्रस्तावित किया है सरकार को उस पर विचार करना चाहिये।

इस सिलसिले में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये मैंने माननीय इंदिरा जी को भी लिखा है उसमें क्या कायवाही हुई, उस पर ध्यान दिया जायेगा या नहीं, इसका तो मैं कुछ नतीजा जान नहीं सका। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। कानपुर जिले में जहां का मैं रहने वाला हूं वहां पर एक पुलिस अधिकारी जो वहां पर पहले भी एक उच्च पद पर रह चुके हैं इसके बाद अब उससे भी उच्च पद पर डी० आई० जी० होकर आ गये हैं। जब कोई आदमी उच्च पद पर आ जाता है और उसके दोस्त और दरबारी यदि अवांछनीय और अनैतिक हुए तो उसका एडवान्टेज लेकर अपनी मनमानी बेखौफ होकर उस अधिकारी के संरक्षण के वल पर करते हैं। शासन की तरफ इशारा करके बहुत-सी बातें कही गई हैं। उसी तरह से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस दिन से वह

अधिकारी आ गये हैं उसके महीने दो महीने के अन्दर ही उनके अ ंछनीय दोस्त डकैती की योजना में रत हो गये और एक भीषण डकैती रायपुर कठार सचेंडी थाने के अन्तर्गत अभी २९/३० जून, ७१ को पड़ी। मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं, माल मिला, मुलजिम ने इन अधिकारी के दोस्तों के नाम भी बताये लेकिन फिर भी उसको किसी न किसी तरह से हशग्रप करने की कोशिश की जा रही है। शासक दल के एक माननीय मंत्री जी जो दुर्भाग्य से कानपुर के हैं और उनके साथी उस डकैती के अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही खत्म करने में लगे हुए हैं। इस अधिकारी को बचाने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है माननीय मुख्य मंत्री कमलापति जी से कि वे ऐसे अधिकारी को जिसके कारनामे बच्चे-बच्चे की नालेज में है, जो बड़े विद्वान् हैं, संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी के, वे माफ करेंगे बात करने में वह देवपुरुष हैं पर कर्म उल्टे हैं, वे ऐसे अधिकारी को जो चार या छः वर्ष वहां रहे हों, उसके बाद चन्द दिनों बाहर गये हों और बाहर जाने के बाद भी हेडक्वार्टर कानपुर ही बना लिये हों और ऐसे आदमी जो भीषण डकैती डलवाते हों उनसे उनकी दोस्ती और आना-जाना हो ऐसे आचरण के अधिकारी का कानपुर में रखना कतई उचित नहीं है। इस बात पर अविलम्ब जरूर ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा कानपुर जिले के सिलसिले में मैं वहां की रोड व्यवस्था की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब से आजादी हुई है तब से हमारी कांस्टीटुवेंसी में या जिले में शायद ही सड़कों का नम्बर आया हो। सरसौल से नरवल रोड ही एकमात्र रोड है जो कानपुर और घाटमपुर के बड़े भू-भाग को वह ज्वाइन करता है, पब्लिक के काम आता है। वह बहुत दुर्दशा में पहुंच गया है और खराब हो गया है। गत वर्ष की वर्षा एवं बाढ़ से पहले यह पी० डब्लू० डी० की उत्तम सड़क थी। सड़क खराब हो गयी यद्यपि अच्छी सड़क थी। निरन्तर कहने के बाद भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से नरवल से करविगवां की सड़क है। रास्ते में एक पुल है। उसके लिये बहुत कहा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह पुल टूट गया। आज स्थिति यह है कि जो बच्चे पढ़ने आते थे नर्वल के सेकेंडरी या इंटरमीडिएट में १७–१८ गांव से, वे बच्चे शिक्षा से वंचित हो गये। दूसरी तरफ से जाना चाहे तो पहले कानपुर आना होगा। तो श्रीमन्, किसी प्रकार इस सड़क और पुल को बनवाया जाना चाहिये।

इसी तरह से रमईपुर से मझावन होते हुए साढ के लिए एक सड़क के लिए प्रयास किया गया। वह बजट में आ गयी थी। चौधरी गिरधारी लाल जी ने कुछ आदेश भी संभवतः कर दिये थे, लेकिन हमारी समाजवादी सरकार ने उसको नहीं रखा। माननीय श्री गणेश दत्त जी बाजपेयी जो आज श्रम मंत्री हैं मेरे पास उस वक्त आये थे जब बजट हेतु कानपुर की सड़क के बारे में विचार देने का समय था। मैंने उपरोक्त सड़कों का सुझाव दिया और उन्होंने जोर भी दिया था लेकिन अफसोस की बात है कि पी०डब्लू०डी० मिनिस्टर साहब, माननीय महमूद अली ने इसके बावजूद भी उसको छोड़ दिया। श्रीमन्, इसमें आधी सड़क माननीय श्री बेनीसिंह जी मंत्री के इलाके की थी और आधी मेरे इलाके की। कुल सात मील की सड़क है। मझावन बहुत बड़ी मंडी भी है। बेनी सिंह जी ने भी कहा था कि इस पर जोर देना चाहिये। मुझे यह मालूम नहीं था कि चूंकि मेरा उठाया हुआ यह मामला है इसलिये बावजूद एक मिनिस्टर के जोर देने पर भी, उसे नहीं लिया जायेगा क्योंकि मैं विरोध पक्ष का विधायक हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। (व्यवधान) मान्यवर, यह समाजवादी बजट है। इसका लक्ष्य

[श्री त्रिवेणी राय]

समाजवाद की ओर है और पिछले जो बजट दो-तीन वर्षों में यहां पेश हुए उनसे प्रगतिशील बजट है । इसलिये प्रगतिशील है और उदार है कि जो पिछड़े इलाके हैं, जो शिक्षा में, सड़क के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, खेती के मामलों में और लघु उद्योगों के मामले में पिछड़े हैं, उनके लिये खास तरीके से इस बजट में प्राविधान है । पिछले वर्ष, जब हमारे साथी जो उधर बैठे हैं उनकी सरकार थी तो मैंने यही बात कही थी कि पिछड़े इलाकों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और जो प्रगतिशील इलाके हैं उनको भी देखिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पिछड़े इलाकों का ध्यान छोड़ दें । तो इस बजट में उन इलाकों के लिये प्राविधान है और पिछड़े इलाकों की तरफ ही इसका सारा संकेत है. . . .

एक सदस्य—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने प्रगतिशील का नाम लिया । प्रगतिशील के माने क्या होते हैं वह जरा बता दें ।

श्री त्रिवेणी राय—

मैं बता दूंगा, घबराइये मत ।

मान्यवर, आज तक जितने भी बजट २–३ वर्षों में प्रस्तुत किये गये हैं, चाहे संविद की सरकार हो, चाहे कोलिशन की सरकार हो और चाहे हमारी और चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, उनसे इस बजट में कितना फर्क है, यह देखने पर मालूम होगा । इस फर्क को माननीय सदस्य बजट को पढ कर जान सकते हैं । मुझे एक बात यह कहनी है कि हमारे साथी जब इधर बैठते हैं तो कुछ और वकालत करते हैं और जब उधर बैठते हैं तब कुछ और वकालत करते हैं और उनका दिमाग कुछ और हो जाता है। हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि यह बजट रिएक्शनरी बजट है और बड़ा ही खराब बजट है । मालूम होता है कि उन्होंने बजट की किताब को पढ़ा नहीं है क्योंकि अगर वे पढ़े होते तब ऐसी बात कभी भी न कहते ।

सड़कों के मामले में एक सदस्य ने कहा कि हमारी सड़क को काट दिया गया है और इस प्रकार समाजवाद लाया गया है हमारी सड़कें काट कर। तो इस प्रकार के लांछन लगाये गये । जब माननीय चौधरी चरण सिंह इस जगह पर मुख्य मंत्री थे तो मान्यवर, मैं उनसे सड़कों के बारे में बात करने के लिये गया था । उन्होंने कहा था कि विकसित एरियाज में जहां पैदावार ज्यादा है और जहां उद्योग-धंधे ज्यादा हैं वहां सड़कों की आवश्यकता होती है और जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर सड़कों की आवश्यकता नहीं है। यदि चौधरी चरण सिंह साहब इस सदन में होते तो स्पष्टीकरण जरूर करते । हमारे बजट में ऐसा नहीं किया गया है कि जो इलाके पिछड़े हैं वहां पर सड़कें न दी जाएं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

उस समय भी श्री नारायण दत्त तिवारी फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने ही बजट पेश किया था ।

श्री बांकेलाल—

अधिष्ठाता महोदय, बजट तो खराब है ही, मगर बजट से ज्यादा ये खराब हैं ।

श्री त्रिवेणी राय—

आप खामोशी अख्तियार कीजिये और सब्र कीजिये । सड़कों के मामले में तो मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बजट को डिटेल में पढ़ लें और मुझे विश्वास है कि जब आप इसको पढ़ लेंगे तो यह पायेंगे कि सड़कें उन स्थानों पर दी गयी ह जहां पर

कि सड़कों की कमी थी और जहां ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं हैं । मान्यवर, उन जिलों में सड़कें दी गई ह जहां पर कि रलवज कम हैं और जहां पर मीटर गेज और ब्राड गेज नहीं हैं ।

लघु उद्योग के सिलसिले में भी इस बजट में साफ लिखा हुआ है । हमारे माननीय सदस्य जब बजट पढ़ नहीं पाते हैं तब फिर क्यों झल्लाते हैं। इस बजट में उन क्षेत्रों को सहूलियतें देने की कोशिश की गयी है जो अविकसित क्षेत्र हैं, साधन विहीन क्षेत्र हैं, जहां शिक्षा के साधन नहीं हैं और जहां स्वास्थ्य के साधन नहीं हैं। विपक्ष की ओर से जो स्पीचेज बजट के सिलसिले में हुई हैं वे बड़ी ही अशोभनीय हैं। नेता विरोधी दल चौधरी गिरधारी लाल जी ने जो स्पीच दी, मैं समझता हूं कि वह सदन की परम्परा के विपरीत थी और उन्होंने व्यक्तिगत अटैक किये । व्यक्तिगत अटैक अपोजीशन की ओर से ज्यादा हो रहे हैं । जिस समय माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य स्पीच दे रहे थे तो कुछ साथियों ने इसी प्रकार का व्यवहार किया । मैं अपने साथियों से, आपके माध्यम से, यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार सदन की मर्यादा नहीं रहेगी और न हमारी ही मर्यादा रहेगी हम आपको कहें और आप हमें कहें, यह अनुचित है । बजट में आप यह देखें कि उसमें कौन-सी कमियां हैं और कौन-सी खामियां हैं, इसे देखने के लिये माननीय सदस्य यहां बैठते हैं । वे इसलिये नहीं बैठते हैं कि व्यक्तिगत अटैक करें । जब इधर से कोई बोलता है तो उधर के लोग खड़े होकर बोलने लगते हैं । मैं सरकारी बेंचेज की बात कहता हूं कि हम ऐसा नहीं करते हैं । जब आपकी तरफ से कोई बोलता है तो हम बीच में खड़े नहीं होते हैं ।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

प्वाइन्ट आफ आर्डर.....

श्री बांकेलाल--

ये उपदेश दे रहे हैं हाउस में, इसका क्या मतलब है ?

श्री रामकुमार--

ये हाउस में नीति निर्धारित कर रहे हैं या बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री बांकेलाल--

ये व्यक्तिगत आक्षेप पर बोल रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आती है । बजट पर ही अपना भाषण करें ।

श्री त्रिवेणी राय--

मान्यवर, बजट के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि साधनों की कमी से वह सुविधायें नहीं दी जा सकी हैं जितनी कि होना चाहिये । पिछले मुख्य मंत्री, श्री टी० एन० सिंह, न कहा था कि उन्होंने भारत सरकार से १०० करोड़ रुपया मांगा है यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये । वह मांग करते करते चले गये लेकिन पूरी नहीं हुई । उन्होंने कहा था कि हमारे बजट में दो ढ़ाई सौ करोड़ का घाटा है । मान्यवर, उनको गये हुए दो तीन महीने ही हुए हैं तो वह घाटा कहां से पूरा हो जावेगा । सवा ६ एकड़ का लगान माफ कर दिया गया, छोटे-छोटे किसानों को सबसिडी दी गई, तो वह कभी पूरी नहीं हुई है । यह हमारे बजट में कमी है कि जितनी सुविधायें दी जानी चाहिये थी, उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बुन्देलखंड है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जितनी आवश्यकतायें हैं, हम उनकी पूर्ति नहीं कर सके हैं । हमको चाहिये कि यहां के सभी सदस्य मिलकर केंद्रीय सरकार से सर्वसम्मत होकर मांग करें कि यह जो कमी है, पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए कदम उठावे ।

जब पिछले मुख्य मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा था कि विरोधी पक्ष उनका साथ दे, तो हमने कहा था कि आप मांग रखिये, हम साथ देंगे । यह उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, यह सभी के लिये कलंक की बात है । तो यह फायनेंस कमीशन या प्लानिंग कमीशन से कहा जाय कि

[त्रिवेणी राय]

किसी जगह से सोर्सेज निकालें कि कमी दूर हो जावे । आज पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, आज वहां सिंचाई के साधन नहीं है, वहां पर छोटे उद्योग धंधे भी नहीं हैं, न वहां के लोग सर्विसेज में हैं क्योंकि अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैं । मैंने तो एक बार असेम्बली में कहा था कि कि अंग्रेजों की खास तरीके से पालिसी थी । अंग्रेजों का एक दृष्टिकोण था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहादुर इंसान पैदा होते हैं, आजादी की लड़ाई में लड़ते हैं, इसलिये उन्होंने इसको पिछड़ा हुआ रक्खा और आज भी वही बात चली आ रही है । मैं कहूंगा कि साधन काफी नहीं हैं लेकिन जो कुछ भी हैं उनका पिछड़ापन दूर करने के संबंध में इस्तेमाल किया जाय । मैंने बजट पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा । अपोजीशन में होने के कारण आप लांछन लगाते हैं । मेरी यह चुनौती है कि तीन वर्षों का बजट उठा लिया जाय और जो बजट पेश किया गया है उसे देख लिया जाय और संतुलन किया जाय । अगर सुपीरिअर हो तो समर्थन करें नहीं तो नहीं करें ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आज गोरखपुर और वाराणसी डिवीजनों में खेती की स्थिति ऐसी है कि किसानों पर वज्र पात हो गया है । आज खेती का गल्ला आजमगढ़, काजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर आदि इलाकों में खलिहान में सड़ गया है और उससे बदबू आ रही है ।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री सुरेंद्र विक्रम---

पंखा गिरने वाला है, उसे ठीक कराइये । नये पंखे भी खराब हैं यह ठीक नहीं हैं ।

श्री त्रिवेणी राय---

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि वे जिले ऐसे हैं जो साधनविहीन हैं, जिनकी कमर टूट गयी है । आज उनकी फसल बरबाद हो गयी है । फसल तो बरबाद हुई ही और लोग कहते हैं कि उनकी फसल सोलह आने बरबाद हो गयी । मैं तो कहूंगा कि सोलह आने फसल का नुकसान हुआ और मकानों का नुकसान अलग हुआ । वहां लोगों के खपरैल के मकान हैं । इतने बड़े-बड़े पत्थर गिरे कि मकान नष्ट हो गये । पानी भी लगातार गिर रहा है इसलिये वे अपने मकानों की मरम्मत भी नहीं कर सके हैं । मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस बात पर भी सोचें । ये चीजें सारी आपके सामने हैं ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

मैं बोल रहा हूं । आप बैठ जायं । अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा ।

मान्यवर, पहली, दूसरी और तीसरी योजना बीत गयी और आज हम चतुर्थ योजना में चल रहे हैं । आज भी चाहे बुन्देलखंड हो, पूर्वी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो जो स्थिति २० वर्ष पहले थी वही आज भी है । कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ । उसका कारण है कि जो बजट पिछले पेश किये गये थे वह सामान्य रूप से पेश किये गये थे, उनमें पिछड़े इलाकों का कोई जिक्र नहीं था । माननीय टी० एन०सिंह की सरकार ने एक ढिंढोरा पीटा था कि हम पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड बना रहे हैं, बुन्देलखंड के लिये विकास बोर्ड बना रहे हैं, पिछड़े क्षेत्रों के लिये, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह बोर्ड बना रहे हैं, लेकिन श्रीमन् वह कोरी नारेबाजी थी और बजट में उसका कोई जिक्र तक नहीं था । इस बजट में उसका जिक्र है और इसलिये यह प्रगतिशील बजट है ।

(लाल बत्ती होने पर)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं तीन मिनट और लूंगा । मुझे लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया है ।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा था । चाहे किसी रूप में देखें वहां की हालत अच्छी नहीं है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई ब्राड गेज नहीं है । इसलिये कोई बड़ा उद्योग नहीं लग सकता । गाजीपुर और आजमगढ़ वित्त मंत्री श्री चह्वाण गये थे और उन्होंने सर्वे किया और देखा और कहा कि बड़े उद्योग लगाने में यह दिक्कत है कि पूर्वी इलाके में ब्राड गेज नहीं है । जहां साधन हैं वहां भी बड़े उद्योग के लिये प्रयत्न नहीं किया गया । खेती के मामले में यह है कि जितनी बिजली चाहिये उतनी किसानों को नहीं मिलती । जो पावर हाउसेज है वह अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली दे रहे हैं । लेकिन डिमांड बुगनी है । इसलिये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ।

इन सब बातों की दिक्कत और कठिनाई हमारे सामने है । हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट में जो भी प्राविधान किया है, खास तौर पर पिछड़े इलाके की तरफ जो तवज्जह की गयी है उसके लिये मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं । आज तक पिछले इलाके की तरक्की करने के केवल कोरे नारे लगाये जाते थे, कोरी आवाजें उठाई जाती थीं कि पिछड़े इलाके के लिये हम यह करेंगे, हम यह करेंगे मगर किसी ने अपने बजट भाषण में कभी इस बात को नहीं कहा था । आप पिछले तीन साल के बजट भाषण को उठा कर देख लीजिये । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं जो कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है । साथ ही मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि बजट पर बोलते समय वे किसी पर व्यक्तिगत अटैक न किया करें । अगर वे व्यक्तिगत अटैक करेंगे तो इस हाउस की मर्यादा और परम्परा कायम नहीं रहेगी । इधर और उधर के बैठे हुए सभी दोस्तों से मेरा यह निवेदन है ।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)––

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी का जो सन् १९७१–७२ का बजट भाषण है उसको मैंने भली भांति पढ़ा है । उस बजट भाषण को देखने से मुझे यह मालूम होता है कि यह समाजवादी बजट न होकर पूंजीवादी बजट ही है । इस नाते मैं इसका घोर विरोध करता हूं । इस बजट भाषण के शुरू में दी संसद के चुनाव के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के समाजवाद का ढिंढोरा जो पीटा गया है वह किसी से छिपा नहीं है । लोक सभा के चुनाव के बाद यह किसी से छिपा हुआ नहीं रहा कि समाजवाद का जो ढिंढोरा पीटा गया था वह समाजवाद कहां तक आया श्रीमन् इस बात को मैं सब के सामने साफ बतला देना चाहता हूं कि समाजवाद के बारे में डाक्टर लोहिया कहा करते थे

श्री त्रिवेणी राय

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस हाउस की यह परम्परा रही है, आप भी इस सदन के पुराने सदस्य हैं और आप भी जानते हैं कि जो सदन का मेम्बर न हो उसका जिक्र सदन में बजट भाषण में नहीं किया जा सकता है । नियमावली में भी यह है जिसे आप देख सकते हैं । माननीय सदस्य ने बजट का नाम नहीं लिया, ७१–७२ का भी कोई नाम नहीं लिया और श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लेने लगे । इसलिये मेरा यह प्वायन्ट आफ आर्डर है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)––

बजट भाषण में श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष––

ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने बजट भाषण को पढ़ा नहीं है । बजट भाषण में प्रधान मंत्री का जिक्र है । अच्छा होता कि प्रधान मंत्री का जिक्र नहीं होता ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी राय---

पहले उन्होंने बजट का नाम नहीं लिया और प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लेने वेंगे। यह मैं जानता हूं कि उनका नाम उसमें है। लेकिन पहले उनको बजट का नाम लेना चाहिये। नियमावली में है कि जिस विषय पर सदन में बोलें उसका नाम लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको और आपके दल को इतना अभीष्ट था तो माननीय वित्त मंत्री से कह देते कि प्रधान मंत्री का नाम इसमें नहीं लाते।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन्, आपसे मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्यों से आप कह दें कि जब वे यहां बोलने के लिये आवें तो पढ़ लिख कर आया करें। श्री त्रिवेणी जी ने शायद इस बजट भाषण को पढ़ा नहीं है, इसलिये यह गलतफहमी उनको हो गयी।

श्री भाभी यादव---

श्रीमन्, बजट भाषण को पढ़ने से वह साफ मालूम होता है, डाक्टर लोहिया कहा करते थे कि करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिये। इस बजट भाषण को पढ़ने से मालूम होता है कि यह केवल कथनी ही है, करनी की भविष्य में कोई आशा नहीं है। जो लम्बी-लम्बी तनख्वाह पाने वाले हैं, जो बड़े-बड़े उद्योग धंधे वाले हैं, यह बजट उन्हीं के लाभ के लिये है, भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों के लिये बजट नहीं है। आज पूरे प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता ऐसी है जो भर पेट भोजन तक नहीं करती, जिसके पूरे परिवार को पहनने के लिये कपड़ा तक नहीं मिलता, जिसे बीमार पड़ जाने पर दवाइयां नहीं मिलतीं। उनके बच्चों की पढ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, वे पढ़ नहीं पाते। मैं कहता हूं कि विधायकों में भी आधे विधायक ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार को भर पेट भोजन कपड़ा और दवा वगैरह नहीं मिल पाती और वे भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि आज हमारे विधायकों को दल बदलने में शर्म नहीं आती, लेकिन यहां पर सही आवाज उठाने में शर्म आती है।

डाक्टर लोहिया बराबर कहा करते थे कि जमीन की सीमा बांध दी जाय। जो जमीन निकले उसे भूमिहीनों में बाट दी जाय। मगर जमीन की सीमा नहीं बाधी गयी, भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल पायी। आज भी जमीन की सीमा बांधने में कितने ही रोड़े अटकाये जा रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, मगर यहां अपने लिये तो ३०० रुपये माहवार से साढ़े ४०० रुपये करने में कोई नहीं हिचका, १५ रुपये रोज से २५ रुपये रोज भत्ता कर देने में कोई नहीं हिचका। क्या हालत है इस सरकार की जो समाजवाद का ढोंग रचती है? जो बड़े-बड़े आफिसर हैं, जिनके पास बड़े रोजगार हैं, जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीने हैं, आज उन्हीं के लड़कों को नौकरी मिलती है, उन्हीं के लड़कों को रोजगार मिलता है, जो गरीब है उसके बच्चों को न नौकरी मिल पाती है, न तो रोजगार मिल पाता है। गरीब बेचारा उसके लिये तरसता है। तो मुझे आप लोगों से निवेदन करना है कि जमीन की सीमा बांधो। यह सीमा बांधी गयी है कि जिसके पास साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन है, वह जमीन नहीं खरीद सकता, मगर यह सीमा आप क्यों नहीं बांधते कि किसी के पास साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी? हाय रे इन्द्रा गांधी का यह प्रदेश, और देश, कि जहां व्यक्तियों के पा ५-५ हजार एकड़ जमीन है और बिड़ला के पास तो ४५ हजार एकड़ जमीन है,

सारी आमदनी के जरिये उसके पास हैं, तिस पर भी क्या कोई कह सकता है कि यहां समाजवाद आयेगा ? क्या इसको समाजवादी सरकार कहा जा सकता है ? समाजवाद आयेगा जब जमीन की सीमा बांधी जायेगी, भूमिहीनों को जमीन मिलेगी और उसका सही बटवारा होगा।

तनख्वाहों की सीमा बांधना चाहिये। कर्मचारी का वेतन डेढ़ सौ रुपये से कम नहीं होना चाहिये और डेढ़ हजार से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। एक और दस गुने का फर्क रहना चाहिये, इससे अधिक का नहीं। जब तक सिद्धान्त नहीं बनेगा तब तक समाजवाद आने वाला नहीं है। आमदनी और खर्चे की सीमा बांधनी चाहिये, तभी जाकर काम चलेगा। जिसके पास खेती, नौकरी और उद्योग धंधे नहीं हैं उनको आपको आमदनी का कोई न कोई जरिया उसकी योग्यतानुसार अवश्य देना चाहिये। बिना इसके उसकी अन्न, कपड़े, मकान की आवश्यक आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकती हैं। आज बीमारी में दवा के बिना गरीबों के लड़के तरस रहे हैं। यह सिद्धान्त होना चाहिये कि हाई स्कूल तक पढ़ाई निःशुल्क होनी चाहिये। गरीबों की हालत बहुत ही बदतर है। सभी पार्टियों के विधायकों को एक राय होकर सोचना चाहिये कि न्यायपूर्वक गरीबों की तरफ वे सोंचें। पढ़ाई और शिक्षा का इन्तजाम हो, आमदनी के जरिये का इंतजाम हो, नौकरी का इंतजाम हो।

आज पढ़े-लिखे लोग बेकार घूम रहे हैं और मंत्रियों और विधायकों के पीछे रोजी के तलाश में चक्कर लगा रहे हैं। वे पढ़े-लिखे लोग भी बेकार हैं, उनको आधा सेर अन्न भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं पूर्वी क्षेत्र के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं वहां पर हरिजनों की हालत यह है कि वे गोबर से निकला हुआ अन्न निकाल कर, धो कर और फिर सुखा कर खाते हैं। अब तो उनको महुआ भी खाने को नहीं मिलता है। पूर्वी क्षेत्र के हम लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा पहनने का नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह समाजवादी बजट नहीं है। कथनी और करनी में फर्क होता है। जो करना चाहिये वह कहना चाहिये। लेकिन २३ सालों से सुनते सुनते गरीबों का कलेजा फट गया किन्तु उसको कुछ मिला नहीं है। इस बार उसने सोचा था कि शायद इस बार डाक्टर लोहिया के विचारों का समाजवाद आ जाये। लेकिन इस बार भी वह भ्रम में पड़ गया है। आपको बहुत नाज नहीं होना चाहिये। नगरमहापालिकाओं और म्युनिसिपैल्टीज के चुनाव में आपको इसका सबक मिल चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश का हर गरीब आदमी इस बात की ताक में है कि कौन सा दल राज्य में ऐसा आयेगा जिससे हमारी गरीबी मिटेगी। २२–२३ सालों में जनता को समझने का मौका मिला है, अब देर नहीं होगी। अब फिर से २२–२३ सालों तक मौज मारने की बात आपको नहीं सोचनी चाहिये। देहातों में गरीब आदमी जिसके पास कम जमीन है उसकी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगा तो व्यक्तिगत ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकता। आज कुये की बोरिंग करवा कर कर्जा लेकर किसान बैठा है। हमारे जिले में तीन वर्ष से लाइन नहीं मिली, सूद बढ़ता गया। यह कहते हैं कि कर्जा देकर बड़ी इमदाद कर दी। सूद की दर इतनी महंगी रखी कि देहात का आदमी जब कर्जा देता था तो एक पैसा सूद लेता था। आप तो इतना मंहगा सूद कर दिये हो, कि देहात के आदमी से भी आगे बढ़ गये हो। जनता की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश की सारी जरूरियात की चीजों को पूरा करे। लेकिन राय रे हमारा प्रदेश, जितनी जो बेईमानी कर ले, लूट खसोट कर ले, जितना रुपया पैदा कर ले, हवाई जहाज पर मौज करके शान से रहे, वह समझता है कि हम बड़े समाजवादी है। वह उल्टा अर्थ लगाने लगता है। वह दिन दूर नहीं है, देर होगी अंधेर चल नहीं सकती। जनता का अरमान जो है वह पूरा होगा। शान्तिमय तरीके से समाजवाद को सब लोग मिल कर आने दो, नहीं तो मुल्क में पता नहीं क्या होने वाला है। अब बहाना करने से काम नहीं चलेगा।

[श्री भाभी यादव]

बंगला देश का मामला लेकर, पाकिस्तान की लड़ाई दिखा कर, अब जान बचने वाली नहीं है। मुल्क का काम करो। मुल्क की जनता में सामर्थ्य है। वह मुकाबला कर लेगी। लेकिन बहानेबाजी से अब काम चरने वाला नहीं है। इधर बजट को दिखाओ, उधर बंगला देश की बात दिखाओ, पाकिस्तान की लड़ाई दिखाओ, अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। बिलकुल ईमानदारी से चलना पड़ेगा। तब जनता की सरकार यह कही जायगी। आपको बड़ा अच्छा मौका है। दोस्तो, आप काम करो, समाजवाद कायम करो, सब लोगों का सहयोग रहेगा। लेकिन महज कुर्सी पाने के लिये, इसलिये कि लाखों रुपया चनाव लड़ने के लिये मिल जायगा, दल बदलने से गरीबी नहीं मिटेगी, न समाजवाद आयेगा। मैं करीबों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हथेली पर जान लेकर त्याग करो, अपने सिद्धान्त पर मरो। चाहे हारो चाहे जीतो। कितनी ही मुसीबत सहो लेकिन अपने सिद्धान्त पर डटे रहो जैसे संसोपा में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में अकेले मैं अपने सिद्धान्त पर डटा हूं। इन शब्दों को कहते हुए मैं बजट का सख्त विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री पन्ना लाल।

श्री विजयबहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)---

अभी सूचना मिली है जो रिहन्द का जलाशय है, मिर्जापुर में, या तो टूट गया हो अब तक कल ही खतरा पैदा हो गया था कि यह टूट जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

लिख कर दे दीजिये।

श्री विजयबहादुर सिंह---

कल न जाने क्या हो।

श्री उपाध्यक्ष---

आप चाहते हैं कि विवाद हो ?

श्री विजय बहादुर सिंह---

विवाद के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर रिहन्द बांध टूट गया तो उधर के जितने जिले हैं, मध्य प्रदेश और बिहार सभी जलमग्न हो जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बिलम्ब कर रहे हैं। आप लिख कर दीजिये फौरन, गवर्नमेंट को जाय। अगर ऐसी दुघर्टना है तो लिख कर दीजिये।

श्री विजयबहादुर सिंह---

लिख कर मैं दे रहा हूं। साथ ही साथ सूचना भी दे रहा हूं।

(श्री पन्नालाल गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

१५ तारीख को चीनी के दाम बढ़ने के सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न दिय था .....

श्री उपाध्यक्ष—

आज दूसरा काम नहीं है। इसलिये मैंने उचित समझा कि एक भाषण और हो जाय।

श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी अनुकम्पा हुई कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह जो बजट भाषण प्रस्तुत है इसके अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बजट भाषण सरकारी अधिकारियों के हथकंडे का एक नमूना है। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, आजाद हिन्द फौज के सैनिक तथा विधवाओं को जो थोड़ी सी राहत इस बजट के द्वारा दी गयी है उसके लिये वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, लेकिन खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी ओर कतई नहीं देखा गया। उनके लिये आयोग बनाने की बात कही गयी है लेकिन दूसरी ओर उन कर्मचारियों के जिनको ५०० रुपये के ऊपर महंगाई भत्ता नहीं मिलता है उनके ग्रेड दिन प्रति दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ५० आदमियों के ग्रेड जो ७५० से १,४०० के अन्तर्गत थे उनके ग्रेड १ ३०० से १,६०० कर दिये गये। इसी प्रकार जुडीशियल आफिसर्स के ग्रेड को भी बढ़ा दिया गया है। सहायक सचिव तथा अवर सचिव का ग्रेड भी बढ़ा कर एक कर दिया गया है। सहायक अधीक्षक तथा अधीक्षक का ग्रेड भी बढ़ा कर एक कर दिया गया है। तो आप देखें कि सचिवालय में कोई गरीबी नहीं है, सचिवालय में कोई समाजवाद नहीं आया। छोटे आदमियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। १० साल पहले सचिवालय में जहां १० सेक्रेट्री होते थे आज उनकी संख्या एक तरफ बढ़ी तो दूसरी तरफ सब के नाम के पहले आयुक्त लगा कर उनको ८०० रुपये माहवार अधिक दिये जाने लगे हैं।

आज सचिवालय में कोई सचिव नहीं रह गया, सभी आयुक्त हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका काम सचिव के अलावा और क्या अधिक हो गया है जो वह सचिव से, आयुक्त बना दिये गये हैं? दूसरी तरफ गरीब आदमी के घर में चिराग तक नहीं जलता, शाम को खाना खा कर ही वह लेट जाता है। यह कौनसा समाजवाद है? समाजवाद वह है जो गरीबों को देख जैसे गांधी जी का समाजवाद था। वह कहा करते थे कि बड़े आदमी को थोड़ा सा जुलाब दो और छोटे आदमी को चूरन दो। बड़े आदमी की चरबी छांटो और और छोटे आदमी को मोटा होने दो। लेकिन आज बड़े आदमी को जुलाब देने के बजाय इमरती खिलाई जा रही और छोटे आदमी को रोशनी के बजाय अन्धेरे में रखा जाता है। चाहे गुप्ता जी का समाजवाद रहा हो, अथवा सम्पूर्णानन्द जी का समाजवाद रहा हो जब जब वे चीफ मिनिस्टर रहे उनका समाजवाद केवल कागज पर ही रहा।

दलबदलुओं की बात कही गयी। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि दलबदलुओं का सबसें बड़ा मुखिया वह है जिसने सबसे पहले इस प्रदेश में, इस देश में बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी इस्तीफे के चुपचाप इधर से उधर १७ आदमियों के साथ दल बदल लिया और वे लोग चुपचाप इधर से उधर चले गये। और उसके बाद कुछ इधर गये कुछ उधर गये किन्तु फिर उसी संगठन कांग्रेस में आ गये। चौधरी साहब से बात हुई तो उनके साथ हो गये। तो मैं नहीं समझता कि वह कौन है जिसने दल न बदला हो। आज वही बात है कि "बुरा जो देखन मैं चला बुरा न देखा कोय, जो खोजा दिल आपना मुझसे बुरा न कोय"। आज यह मालूम नहीं होता है कौन किस तरफ गया और कहा से गया और फिर किस तरफ है। एक तरफ रह कर अनेकों कत्ल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जाकर मुकदमे वापस हो जाते हैं। तो इन दलबदलुओं की बात मेरी समझ में नहीं आती। आज कौन दल-बदलू नहीं रह गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुझसे पूर्व मेरे एक माननीय सदस्य ने बड़ी अच्छी तरह से कहा.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)-

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं। यह बजट पर भाषण हो रहा है या दल बदलुओं के सम्बन्ध में सफाई दी जा रही है? बेकार में समय नष्ट हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

बजट के सिलसिले में दलबदलुओं की चर्चा चल रही थी तो क्या आप चाहते हैं कि यह चर्चा न चलाई जाय?

श्री पन्नालाल गुप्त—

असरार भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। जब शम्भूनाथ चौधरी जी ने इसकी शुरुआत की थी तो उस समय मना कर लेते। "दीगरां नसीहत, खुद मियां फजीहत।"

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि दल बदलू नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इस विधान सभा में सभी लोग दल बदलू हैं। तो माननीय सदस्य का यह कहना कि दलबदलुओं की कोई परिभाषा नहीं रह गई है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस कद्र सही है, वह सही है किन्तु पूरी तरह से यह बात सही कैसे हो सकती है? आपका कहना है सभी माननीय सदस्य सही सही बोलें। सभी माननीय सदस्य वाक स्वातंत्रय है। इसका अर्थ क्या होता है? वह गलत भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी माननीय सदस्य नपा तुला और सत्य से भरा वाक्य ही बोलें.....जिसके लायक जो है.....(व्ययधान)

श्री मोहनलाल कपूर—

उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार बज गये नियम ५१ के बारे में आप कब समय देंगे...

श्री उपाध्यक्ष—

अभी यह समाप्त हो जाय उसके बाद हम उसे लेंगे।

श्री जगवीर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि माननीय पन्ना लाल जी मुझे कहने का समय दें तो मैं उनसे कुछ सफाई की बात करूं। माननीय पन्ना लाल जी ने अपनी समानता एक हिन्दू पतिव्रता नारी से दी है और वे बराबर करते आये हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि यह नारी भाग जाय तो उसे क्या कहेंगे?

श्री पन्नालाल गुप्त—

मेरे भाई ने एक हिन्दू स्त्री का हवाला दिया है। मगर मैं उनको बताऊं कि अगर हमारे यहां पुरुष नपुंसक हो तो वह स्त्री नियोग कर देती है

अगर नपुंसक पुरुष निकल गये तो नियोग नहीं करना पड़ेगा क्या?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गुप्ता जी से जानना चाहता हूं कि औरत के सिलसिले में माननीय सदस्य पंडित जी को योग्य मानें या श्रीमती इंदिरा गांधी को?

श्री पन्नालाल गुप्त––

आपका सवाल बड़ा सही है कि इंदिरा जी को मानें या पंडित जी को ? तो मैं कहूंगा कि उसी तरह से मानें जिस तरह से माननीय जायसवाल साहब जब तक मिनिस्ट्री रही बलरामपुर हास्पिटल में उतने रोज वहीं नियोग करते पड़े रहे।

अब मैं बजट पर बोलूंगा। इस बजट में दो चीजें रखी गई हैं। मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इसको जरा सख्ती से पालन करें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अधिकारी किस तरह से बे नकेल हो गया है। एक हमारे तहसील के तहसीलदार हैं जिसने जबकि कृषि उत्पादन मंडी समिति विभाग से प्रमाणित कराने के लिये नाम भेजे गये कि कौन भूमिहीन हैं तो उन्होंने ४ आदमियों को प्रमाण-पत्र दे दिये। उनमें दो ब्राह्मण हैं, दो हरिजन। मैं आपको बतलाऊं कि यह साधूराम का मैं प्रमाण देता हूं जोतबही मेरे हाथ में है जिसके पास साढ़े बारह बीघा जमीन है और उसको भूमिहीन का प्रमाण-पत्र दे दिया। इसी तरह से रज्जन लाल को उन्होंने लिख दिया कि भूमिहीन है, मगर जब उन्होंने ही दरख्वास्त दी तो उसमें प्रमाण दिया है कि इनके पास साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा भूमि है। ५ तारीख को उसका ट्रांसफर किया गया और १३ तारीख को उसको मन्त्री महोदय ने कैंसिल कर दिया। इसी तरह से एक और आदमी का ट्रांसफर हुआ और फिर खाद्य मन्त्री जी ने रोक दिया जो कि भ्रष्ट हैं ...

(व्यवधान)

इन्हीं तहसीलदार के खिलाफ A.D.M. (RA) ने डेरापुर तहसील जिला कानपुर ने ३१ दाखिल खारिज के मुकदमों की जांच करके आयुक्त, इलाहाबाद को अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें भ्रष्ट तरीका अपनाया गया है। अभी-अभी हमारे डी० एन० शर्मा का नाम लिया गया जो नहीं लेना चाहिए था, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस डी० एन० शर्मा के खिलाफ ऐक्शन लिया गया उसी के सामने चौधरी साहब हाथ जोड़ते थे कि मिनिस्टर बनवा दो उसके खिलाफ कहना उसी तरह है जैसे सूर्य में ऊपर धूल फेंकना है। उसका ऐसा गरीब-परवर कोई नहीं है। जब मुख्य मन्त्री नहीं हुए थे तो कभी उधर मुंह भी नहीं किया था स्वप्न में

(व्यवधान)

डा० खरे जो सिविल अस्पताल में थे तो चौधरी साहब ने झूठे सर्टिफिकेट देने का भ्रष्ट तरीका अपनाने पर इसका तबादला सीतापुर को कर दिया मगर माननीय गुप्ता जी मुख्य मन्त्री बने तो उन्होंने इसे फिर बलरामपुर बुला लिया और अब उनकी सरकार बदली तो चौधरी चरण सिंह व उनके परिवार को तथा श्री अनवार अहमद मन्त्री को खुश कर लिया और बना रहा और चौधरी साहब ने पहले उसके खिलाफ कार्यवाही की फिर वही सर्वेसर्वा हो गया।

मैं भी कभी उनके बंगले नहीं गया मगर जब से मुख्य मन्त्री हो गये हैं फिर से सुबह शाम हाजिरी देता है। मरीजों के साथ यह व्यवहार है कि जब तक घर में दो मर्तबा फीस न देकर दिखा ले अस्पताल में दाखिल नहीं होता है, दवाएं बेंची जाती हैं, इस तरह पंडित जी भी गलत आदमी को ताज पहिनाये हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय आपने लाल बत्ती जला दी है इसलिए मैं पुनः वित्त मन्त्री को धन्यवाद देकर उपरोक्त निवेदन के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

ये बी० के० डी० के टिकट पर चौधरी साहब के हाथ जोड़ कर क्यों लड़े थे जब उनमें खराबियां थीं और इतने दिन रहने के बाद एहसान-फरामोशी करके क्यों दल बदल किया ?

श्री त्रिवेणी राय––

चौधरी साहब के जूतों के आप इतने शौकीन हैं कि उनको चाट रहे हैं।

श्री पन्नालाल गुप्त---

श्री अनवार अहमद ने अपनी मिनिस्ट्री में लाखों रुपया कमाया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम तो उनका साथ देते ही रहेंगे।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, रोज कभी न कभी दलबदुलुओं का जिक्र आ जाता है। एक दिन इस पर ही चर्चा के लिये क्यों न रख दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दलबदल अगर कोई कर रहा है तो जब वह जनता के सामने जायगा, जनता उसके लिये जो करना चाहेगी वह करेगी। इस निरर्थक बात पर बहस मांगने से क्या लाभ है। अगर हम समझेंगे कि उसके ऊपर चर्चा किये बिना नहीं चलेगा तो देनी ही पड़ेगी। यह भी हो सकता है कि उसके लिये चुनाव हो लेकिन मैं समझता हूं आप लोग चुनाव भी न चाहते होंगे। इसलिये इस पर चर्चा न हो तो ही अच्छा है।

विविध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)---

श्रीमन्, मैंने १५ तारीख को एक नोटिस दिया था उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुये चीनी के दामों के बारे में कि कन्ट्रोल रेट और बाजार भाव में कितना अन्तर हो गया है। जिसका सन्तोषजनक उत्तर खाद्य मन्त्री नहीं दे सके। मैंने उस पर एक घंटे की चर्चा के लिये लिखा था। १५ तारीख से आज तक न स्पीकर साहब ने और न आपने ही कोई उत्तर दिया कि उसमें क्या निर्णय लिया गया।

दूसरी बात यह है कि कल विरोधीदल के कई माननीय नेताओं की तरफ से नियम ५२ में इस प्रदेशीय सरकार के एक-दो मन्त्रियों के सम्बन्ध में एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के गम्भीर आरोप लगाये गये थे। वह कल शाम को सचिव को दे दिया गया था। उसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं बताया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

दफा ५२ का आपका अभी अध्यक्ष जी के विचाराधीन है। १५ तारीख को जो आपने दिया था उसको देख लेंगे।

राजस्व विभाग के चपरासियों तथा चकबन्दी कर्मचारियों की छटनी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय कृष्णानन्द राय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री बंशीधर पांडेय द्वारा राजस्व विभाग के वर्तमान चपरासी तथा चकबन्दी कर्मचारियों की छटनी के बारे में दी गई है। यह स्वीकार नहीं हुई।

कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप ऐसी कुर्सी पर विराजमान है जो बहुत जिम्मेदारी की कुर्सी है। आप अध्यक्ष जी का कोई फैसला सुना देते हैं और उसके बारे में कह देते हैं कि यह अध्यक्ष जी का फैसला है और हम लोगों को उस पर कुछ कहने का अवसर नहीं

मिल पाता। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि या तो अध्यक्ष जी अपना फैसला सुनाया करें जिससे हम उनसे कुछ पूंछ सकें और अगर आप इस कुर्सी पर बैठ कर उसको सुनायें तो आप पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसको सुनायें ताकि हम आपसे पूछ सकें।

१५–२० दिन हुए रेवेन्यू विभाग के ४ हजार कर्मचारियों को, जिनमें चपरासी, लेखपाल, अमीन वगरह, छटनी कर दिया गया है। चार हजार कर्मचारीयों के मतलब होता है २० हजार आश्रित। तो इस महंगाई के जमाने में २० हजार आदमियों की जीवका का प्रश्न उपस्थित हो गया है। इसको भी आप अविलम्बनीय प्रश्न नहीं समझते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर नियम ५१ और ५२ क्यों बनाये गये हैं। अतः मेरी अपील है कि आप इसको चाहे कार्य-स्थगन के रूप में, चाहे नियम ५२, चाहे नियम ५१ में मान लें, लेकिन मान आप जरूर लें ताकि जो छटनी कर्मचारियों की हुई उस पर कुछ प्रकाश तो पड़ जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय अध्यक्ष ने जो इस पर निर्णय दिया है वह मैं पढ़ कर सुनायें देता हूं। राजस्व विभाग के अनुदान पर और सामान्य विवाद में इस पर चर्चा हो सकती है और यदि बजट विवाद के अन्त में इस पर सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया तो नियम ५२ में इस पर चर्चा हो सकती है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि कामरोको प्रस्ताव इस बीच लिया जाय। इसलिये अस्वीकृत किया है। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

बजट पर तो हम दूसरी बातें कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

अनुदान पर बहस के बीच में इस महत्वपूर्ण विषय पर अगर सरकार आपकी शंकाओं का समाधान नहीं करेगी.....

श्री बंशीधर पांडेय---

यह तो एक असाधारण घटना है। राजस्व विभाग में बजट पर तो हम से यह एक्सपेक्ट किय जाता है कि जो इनका बजट है और जो सामान्य रूप से प्रचलित होता है उसके विषय में कहें।

श्री उपाध्यक्ष---

राजस्व विभाग के अनुदान पर बहस के दौरान अगर सरकार इसका उत्तर नहीं देगी तो यह ले लिया जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, यह तो ४ हजार आदमी आकस्मिक रूप से हटा दिये गये और २० हजार आदमी प्रभावित हो गये। बजट पर हम और बातें कहेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय---

आपको विदित होगा कि जब टेम्पोरेरी कर्मचारी हटाया जाता है तो एक महीने की नोटिस दी जाती है। अब पता नहीं किस दिन वह ग्रांट आयेगी। उन लोगों को नोटिस दी हुई है। किसी के १५ दिन हो गये, किसी के २० दिन हो गये। आप थोड़ा सा समय दे दें जिससे सरकार यह घोषणा कर दे कि हम नोटिसेज को विदड्रा कर लेते हैं। अगर हम बजट का इन्तजार करते रहे तब तक तो उनकी नौकरी खत्म हो जायगी। हमारा

[श्री कृष्णानन्द राय]

नम्र निवेदन है कि इस पर १५–२० मिनट का टाइम जरूर दे दें क्योंकि नोटिसें पेंडिंग हैं या आप सरकार से आश्वासन दिला दें कि उनके केसेज पर पूरा विचार किया जायगा और वह नोटिस सस्पेंड कर दी जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

२२ जुलाई को राजस्व मन्त्री का बृहत् जोत कर भू-राजस्व और दुर्भिक्ष सहायता कार्य के सम्बन्ध में अनुदान है, उस समय अगर सरकार इसका जिक्र नहीं करेगी तो इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपका एक आदेश हो जाय कि जब राजस्व मन्त्री जी अपना अनुदान पेश करेंगे तो अपने भाषण में इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वह नहीं करेंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

राजस्व मन्त्री को यह हिदायत कर दें कि जब वह अपना भाषण करने लगें तो इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें कि वह क्या करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा ठीक है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले सुन लीजिये कि आपका स्वीकार हुआ है कि नहीं। अगर स्वीकार नहीं हुआ है तो बोलने का हक होगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत १२ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें एक श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की है वह कहते ह कि "लखनऊ से बरेली जाने वाली राजमार्ग पर ट्रक और टैक्सी इत्यादि का लूटा जाना है।"

उनका ही दूसरा है कि मिर्जापुर जिले में वन विभाग द्वारा जमीनों की छीना झपटी है। इन दोनों को स्वीकार किया गया है। दिन अभी निश्चित नहीं है। बाद को तारीख निश्चित हो जायगी।

तीसरा, श्री डूंगर सिंह विष्ट का है जिसमें वह कहते हैं कि जिला परिषद् नैनीताल के अध्यापकों को गत ६ मास से वेतन नहीं मिला है।

इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

चौथा भी नित्यानन्द स्वामी का है जो प्रदेश के बिजली कर्मचारियों को वेज बोर्ड के सिफारिश के अनुसार वेतन न मिलने के संबंध में है । इसको स्वीकार नहीं किया गया है ।

पांचवां, श्री रामकुमार दीक्षित का है जिसमें वह कहते हैं कि असामयिक वर्षा के बाद कृषकों से तकावी और ऋण का वसूल करना है । इसको अस्वीकृत किया गया है ।

श्री रामकुमार (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, सरकार ने कहा था कि इस प्रकार की वसूलियाबी नहीं की जायगी फिर भी जिलों के अन्दर वसूलियाबी हो रही है । किसानों के साथ ज्यादती हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लें । मैं समझता हूं सरकार उस पर कार्यवाही करेगी ।

श्री रामकुमार—

यह ऐसा सवाल है कि सरकार का आदेश होने के बावजूद भी वसूलियाबी हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार इसका उत्तर अपने किसी जवाब में दे देगी ।

श्री रामकुमार—

अमीन को यह लिखित आदेश दिया गया है कि वह वसूल करे । इसलिये वसूलियाबी हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सिद्धांत का प्रश्न नहीं है । आप लिखकर उनको दे दीजिये तो इस पर कार्यवाही हो जायगी ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जब मैं अपने जिले में गया तो मैंने भी देखा कि आदेश वहां पर भी पहुंचे नहीं हैं । तो इस तरह का प्रबन्ध कर दिया जाय कि वे वसूल न करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बाद श्री मोतीलाल देहलवी का है जिसमें वह कहते हैं कि कानपुर जिला परिषद् के अध्यापकों से सी० पी० टैक्स बसूल किया जा रहा है । इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

वहां पर अध्यापक अपना वेतन नहीं ले रहे हैं ।

श्री रामकुमार—

जब तक यह सी० पी० टैक्स वसूल किया जा रहा है अध्यापकों ने कहा है कि हम वेतन नहीं लेंगे । उनसे जबरदस्ती यह टैक्स बसूल किया जा रहा है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

उपाध्यक्ष जी, श्री डूंगर सिंह विष्ट का इसी आशय का प्रस्ताव वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है, हमारा भी वही है यह तो पक्षपात है कि आपने ननीताल के अध्यापकों का संकट तो मान लिया और हमारा नहीं माना गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो कह रहे हैं उस की तरफ माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट किया जायगा अगर समान होगा तो स्वीकार किया जायगा और असमानता हुई तो नहीं होगा ।

अब यह आगे श्री शिव दास का है मिर्जापुर जिले के हरिजनों तथा खेतिहर मजदूरों और मालिकों के तनाव के बारे में । यह अस्वीकृत है ।

इसके बाद यह श्री सुखपाल पाण्डेय और श्री राम करन सिंह का है । यह बस्ती जिले में घाघरा नदी से हुई बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में है । २३ तारीख को जो अनुदान आयेगा उस के विषय में इस को लिया जा सकता है ।

फिर यह श्री श्री कृष्ण वाजपेयी का है कानपुर जिले के कल्यानपुर थाने के अन्तर्गत कल्यानपुर सेटिलमेंट ग्राम के निवासियों की उप पुलिस अधीक्षक, श्री अग्रवाल द्वारा घिराव के संबंध में । यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है ।

यह अब श्री भगवत दयाल का है झांसी जिले के ललितपुर तहसील में चोरी डकैती की घटनाओं के बारे में है । यह अस्वीकृत किया गया है क्योंकि यह सब आप बजट में कह सकते हैं कोई विशेष घटना नहीं, सामान्य चोरी डकैती के संबंध में आप कह सकते हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आप उनको सुन लें वह वहां की बात कह दें अगर वक्तव्य भी नहीं हुआ और विचार भी नहीं हुआ तो क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं देख लें और इस का औचित्य समझ लें अगर वह हो तो बात कर लें । वैसे ऐसी घटनाओं के बारे में आप बजट में कह सकते ह ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उनको आप श्रीमन् सुन लें, आप के सामने वह अपनी बात रख दें ।

डाक्टर भगवत दयाल सिलेइया (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, थाना ताल बेहट में उससे १ किलोमीटर और २ किलोमीटर की दूरी पर तमाम चोरियां और डकैतियां रोज हो रही हैं १४ और १६ तारीख को भी घटनायें हुई हैं और पुलिस झूठे ही आदमियों को फंसा रही है और सही लोग नहीं पकड़े जाते । चोर जीप और मोटर से भागते हैं लेकिन पुलिस के पास उन को पकड़ने का कोई साधन नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस विषय में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

एक यह श्री मोहनलाल कपूर व श्री कल्याण सिंह आदि का है कस्बा फलावदा थाना मवाना जिला मेरठ में गायों की निर्मम हत्या के बारे में । इसको वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया गया है ।

और यह एक और है श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री बांकेलाल जी का विष्णु प्रताप शुगर मिल, खड्डा के कर्मचारियों को वेतन न मिलना तथा कृषकों का भुगतान न होने के बारे में। यह भी वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया गया है और इस की तिथि बाद में बतायी जायगी ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२० जुलाई, १९७१ ।

प्रेस प्रति

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७२ पर।)

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

क्रम-सं०	जिले का नाम	स्वीकृत विकास खंडों की संख्या	स्वीकृत किए गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालयों की संख्या जो अभी तक स्थापित नहीं किये जा सके हैं
१	२	३	४	५
१—आगरा	..	१८	१७	१
२—अलीगढ़	..	१७	१७	..
३—इलाहाबाद	..	२७	२५	२
४—अल्मोड़ा	..	१७	१७	..
५—आजमगढ़	..	२९	२९	..
६—बहराइच	..	१९	१५	४
७—बलिया	..	१८	१८	..
८—बांदा	..	१३	१३	..
९—बरेली	..	१५	१५	..
१०—बस्ती	..	३२	२८	४
११—बिजनौर	..	११	११	..
१२—बदायूं	..	१८	१७	१
१३—बुलन्दशहर	..	१९	१९	..
१४—बाराबंकी	..	१६	१६	..
१५—चमोली	..	९	९	..
१६—देहरादून	..	४	४	..
१७—देवरिया	..	२९	२९	..
१८—एटा	..	१५	१५	..
१९—इटावा	..	१४	१४	..
२०—फैजाबाद	..	१८	१८	..
२१—फर्रुखाबाद	..	१४	१४	..
२२—फतेहपुर	..	१३	१२	१
२३—पौड़ी गढ़वाल	..	१४	७	७
२४—गाजीपुर	..	१६	१४	२
२५—गोंडा	..	२५	२४	१
२६—गोरखपुर	..	३१	२५	६
२७—हमीरपुर	..	११	११	..

१	२	३	४	४
२८—हरदोई	.. ..	१६	१८	१
२६—जालौन	.. ..	६	६	..
३०—जौनपुर	.. ..	२०	२०	..
३१—झांसी	.. ..	१४	१४	..
३२—कानपुर	.. ..	२०	१६	१
३३—लखीमपुर खीरी	.. ..	१५	१५	..
३४—लखनऊ	.. ..	८	७	१
३५—मैनपुरी	.. ..	१५	१५	..
३६—मथुरा	.. ..	१२	१२	..
३७—मेरठ	.. ..	२६	१८	८
३८—मिर्जापुर	.. ..	२०	१६	४
३६—मुरादाबाद	.. ..	१६	१६	३
४०—मुजफ्फरनगर	.. ..	१४	१४	..
४१—नैनीताल	.. ..	१०	४	६
४२—पीलीभीत	.. ..	७	७	..
४३—पिथौरागढ़	.. ..	८	८	..
४४—प्रतापगढ़	.. ..	१५	१४	१
४५—रायबरेली	.. ..	१६	१५	१
४६—रामपुर	.. ..	६	६	..
४७—शाहजहांपुर	.. ..	१४	१२	२
४८—सीतापुर	.. ..	१६	१६	..
४६—सहारनपुर	.. ..	१६	१५	१
५०—सुल्तानपुर	.. ..	१६	१७	२
५१—टिहरी गढ़वाल	.. ..	१०	६	१
५२—उन्नाव	.. ..	१६	१५	१
५३—उत्तर काशी	.. ..	४	४	..
५४—वाराणसी	.. ..	२२	२२	..
		८७५	८१३	६२

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८१ पर)

आर० एम० पी स्कीम में ब्लाक धानी एवं फरेंदा की सड़कों की सूची

परिशिष्ट 'क'

नाम सड़क	लम्बाई	अनुमानित लागत लाख रुपये में
(१) धानी विकास खण्ड	मील	
अ——लेहड़ा स्टेशन से दुर्गापुर, शिवपुर, बिसुनपुर होते हुये बृजमनगंज फरेन्दा सड़क तक ।	८	८—००
ब——ढौढ़ घाट से लेहड़ा होते हुये दुबौलिया, फलमनहा महुलानी, मिश्रौलिया तक ।	१०	१०—००
स——करमैनी से सोनरा, बलुआ मदराघाट होते हुये मिरहिरिया जो गोरखपुर फरेन्दा सड़क में मिल जायेगी ।	१०	१०—००
द——वैल हरैया से पृथ्वीपाल गढ़, मोहनगढ़, सहजनवा, बाबू खरखोड़ा, राजपुर जो कोल्हुई लौटन सड़क में मिल जायेगी ।	१२	१२—००
य——कहरौली से गेरुई-मूसावार-रिगौली जो करमैनी-कम्पीयरगंज सड़क से मिल जायेगी ।	८	८—०
(२) फरेन्दा विकास खण्ड		
अ——सैमरहानी से पुरन्दरपुर रेलवे स्टेशन होते हुये मधुकरपुर महदेवा एवं साहरौलिया तक ।	१०	१०—००
ब——कबलदह से झामट होते हुये पुरन्दरपुर तक जो कोल्हुई फरेन्दा सड़क में मिल जायेगी ।	८	८—००

पी० एस० यू० पी ——ए० पी०——१२३ एल० ए०——१९७१—८४५ ।